हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

21.12.2024/1100/dt/HK.-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरंभ।

प्रश्न संख्याः 1687

श्री सत्तपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा बैंक में वन टाइम सैटलमेंट के माध्यम से जो जानकारी आई है उसमें लगभग 5461 केसिज वन टाइम सैटलमेंट में सैटल हुए हैं जिनमें 198,37,84,448/- करोड़ रुपये इन लोगों का सैटल किया गया है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने परसों भी कहा था कि हमें अनेकों लोगों के फोन आए कि उनकी कुर्की के ऑर्डर किए जा रहे हैं और वन टाइम सैटल मेंट में उन्हें कोई-न-कोई क्लॉज लगाकर बाहर किया है। जिन्होंने हमें फोन किया है वे मजबूर लोग ही हैं। अगर मुझे उनका दोबारा फोन आएगा तो मैं आपके ध्यान में उनके नाम ला दूंगा। क्या इस तरह के लोग हैं, जिन्होंने घर के काम के लिए या अपने बच्चों के विवाह के लिए या फिर बिमारी के उपचार के लिए कोई लोन लिया था और वह किन्हीं कारणों से वह लोन जमा करवाने में असमर्थ हैं और जमा न करवाने के कारण परेशानी में आ गए हैं, ऐसे लोगों को भी क्या सरकार इसमें राहत देगी। इसमें जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो मैनेजमेंट है क्या उनसे बात करके ऐसे लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है, इस पर का कोई वे-आउट निकाला जा सकता है? इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके कुर्की के ऑर्डर आ रहे हैं या उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि ये आपकी लास्ट डेट है, इस डेट तक आप अपना लोन भर दीजिए वरना उसके बाद आपकी अचल संपति या फिर चल संपति के कुर्की के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। मेरा इसमें सिर्फ यही कंर्सन है कि जो मध्यम या निम्न वर्ग के लोग हैं और जो ओ0टी0एस0 की किसी न किसी प्रकार की टेक्नकैलिटी में फंसे हुएं हैं क्या ऐसे लोगों को भी सरकार राहत देने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा कि जो लोग ऐसे रह गये हैं जिन्हें लगता है उनके लोन का वन टाइम सैट्टलमेंट होना चाहिए, ये बात सही है की बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन वन टाइम सैट्टलमेंट पॉलिसी जब 9.9.2022 को लाई गई। उसमें जो 10 लाख रुपये तक के लोन होते थे उन्हें ही वन टाइम सैटटलमेंट के तहत माफ किया जाता था। लेकिन उस पॉलीसी में उस समय भाजपा सरकार ने

21.12.2024/1100/dt/HK.-2

जो बदलाव किया वह यह था कि जो भी 10 लाख रुपये से ऊपर की राशि होगी उसको वन टाइम सैट्टलमेंट पॉलिसी के तहत सैट्टल कर दिया जायेगा। क्योंकि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का एन0पी0ए0 बहुत बढ़ चुका था और एन0पी0ए0 बढ़ने के कारण जो पॉलिसी पिछली सरकार लाई उसमें कई लोगों ने उस पॉलिसी का फायदा उठाया और कई लोग इस पॉलिसी में छूट भी गये, जैसा कि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं उसमें जिसने फायदा उठाया उसमें पूर्व सदस्य श्री सतपाल रायजादा जी का नाम भी आया था। मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने लोन ले रखा है और वह भी वन टाइम सैट्टलमेन्ट में अपना लोन सैट्टल करवाला चाहते हैं। कई लोगों को उस समय उन्हें उस पॉलिसी की जानकारी भी नहीं थी। यह पॉलिसी आर.बी.आई. और नाबार्ड बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार आती है। माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि जिन लोगों ने 4 लाख का लोन लिया है और ये लोन सैटल न होकर अब 10 लाख रुपये तक का हो गया है। **कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार में लोन की किस्त देने की स्थिति नहीं होती तो उस पर हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।**

श्री एन.जी. द्वारा जारी

21-12-2024/1105/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 1687.....जारी

मुख्य मंत्री.....जारी

जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए जो भी वित्त विभाग या बैंक के नियम होते हैं और आर.बी.आई. की गाइडलाइन्ज़ होंगी, **उन पर विचार करने के बाद इस पॉलिसी को दोबारा से कैसे लाया जा सकेगा, हमारी सरकार इन सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।**

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, तीनों बैंक के लिए करना है, enlarge to all the banks like The Himachal Pradesh State Cooperative Bank and The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यह सिर्फ दी कांगड़ा सैंटर्ल कॉप्रेटिव बैंक के लिए ही न हो बल्कि हिमाचल प्रदेश कॉप्रेटिव बैंक और लैंड मोरगेज़ बैंक के लिए भी हो। **लैंड मोरगेज़ बैंक वाले भी कुछ दिन पहले मुझे सचिवालय में मिले थे और इस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाएगा। इसके अलावा नियमों का पालन करने के पश्चात हमारी सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।**

21-12-2024/1105/एच.के.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या - 1765

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस प्रश्न का एक हिस्सा लगा हुआ था और उसमें कहा गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने आग्रह किया था कि एक दिन में

सारी सूचना दे दें तो आज काफी हद तक सूचना दे दी गई है। इस सूचना के माध्यम से हमारी जानकारी बढ़ी है। आपने इस प्रश्न के उत्तर में जो बताया है उसके अनुसार तो हमें भी मालूम नहीं था कि इतने ज्यादा संस्थान बंद कर दिए गए हैं। आपने पिछले 2 वर्षों में अलग-अलग विभागों के कुल 1865 संस्थानों को बंद/डिनोटिफाई/मर्ज किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत से संस्थान अति आवश्यक हैं और कुछ विभाग जनता से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। उसमें चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो और चाहे पशु पालन विभाग हो, इस प्रकार के विभागों में सबसे अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने दूसरी ओर कुल 103 संस्थानों को नोटिफाई भी किया है। इसलिए यदि सरकार द्वारा संस्थान खोले जा रहे हैं तो जो संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं क्या सरकार इन्हें भी खोलने का विचार रखती है? इसके अलावा यह भी बताया जाए कि जो संस्थान खोले गए हैं वे किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में खोले गए हैं? पिछले कल भी मेरा यही प्रश्न था और यदि आप उत्तर दे देंगे तो उस प्रश्न की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन को जानकारी दें कि किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से संस्थान खोले गए हैं?

21-12-2024/1105/एच.के.-एन.जी./3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी ने आपसे अनुरोध किया था कि इनके प्रश्न की सूचना कल शाम तक उपलब्ध करवा दी जाए। हमने तुरंत प्रभाव से श्री रणधीर शर्मा जी के आदेशों को मानते हुए आज उन्हें सूचना उपलब्ध करवा दी है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपने भी आदेश दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार स्थानीय क्षेत्र की परिस्थितियों और नीड बेस्ड को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न संस्थान खोलती है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लगभग 800

संस्थान खोले थे उनके लिए हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि ये सभी संस्थान आम चुनावों से 6 माह पहले ही खोले गए हैं और इन सभी पर पुनर्विचार किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि नए संस्थानों की महज नोटिफिकेशन करना ही उद्देश्य नहीं है। यह सब करना जनता को धोखा देना भी कहलाता है। यदि इनकी नोटिफिकेशन करने से पहले आप (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) चुनावों से पहले भर्तियां कर लेते और उसके बाद इन संस्थानों को खोलते तो उचित होता। हमारी सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया और उसके बाद फैसला लिया कि जहां पर भी नीड बेस्ड होगा वहां पर संस्थानों को खोला जाएगा। मैं नीड बेस्ड का उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि एम्ज़ में चौकी है, उसको आप कर दो

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.2024/1110/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 1765 जारी---

मुख्य मंत्री जारी---

हमने उसको रैगुलराइज़ कर दिया। नीड बेस्ड था। रणधीर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसी तरह से श्रीमती रीना कश्यप ने कहा कि हमें राजगढ़ में एक्सिअन ऑफिस दे दो। हमने देखा कि वहां पर जरूरत है और हमने इनका एक्सिअन ऑफिस खोल दिया। इसी तरह हमने देहरा में देखा कि वहां पर एस.पी. का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है तो हमने वहां पर एस.पी. ऑफिस खोल दिया। भटियात में हमने डी.एस.पी. ऑफिस खोल दिया। मैं नीड बेस्ड बता रहा हूं। उसके बाद देहरा में एस.ई., इलैक्ट्रिकल का ऑफिस खोला गया और बी.एम.ओ. का ऑफिस देहरा में तीन कंसीच्यूएंसी में नहीं था तो वहां पर नीड बेस्ड खोल दिया गया। नीड बेस्ड हमने अभी तक 37 संस्थान शुरू किए हैं और 103 संस्थानों की हमने नोटिफिकेशन की है। हमने स्टडी

किया कि कई जगह तहसीलें और सब-तहसीलें बहुत दूरी पर हैं, पटवार सर्कल बहुत दूर है। वहां पर भी हम नीड बेस्ड असेस्मैंट कर रहे हैं और वहां पर भी नीड बेस्ड होगा। हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं और साथ में संस्थान भी खोल रहे हैं।

ये जो संस्थानों की लिस्ट आपके पास आई है, मैं इन संस्थानों के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आपने प्राइमरी स्कूल भी, हाई स्कूल भी और सैकंडरी स्कूल भी खोल दिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब हमारी चर्चा हुई तो पता लगा कि रेशनलाइजेशन में उन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं। अब जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं वहां पर दो-दो टीचर्ज़ लगे हुए हैं। गम्भीरता पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह थी कि जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं, उन स्कूलों में टीचर हैं। नोटिफिकेशन हो चुकी है। हमने उन संस्थानों का सर्वे करवाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से स्कूलों का दौरा भी किया। प्राइमरी एजुकेशन का भी दौरा किया और रिमोटैस्ट एरिया में भी गए। एक नीतिगत फैसला लिया गया, हमने पाया कि सरकारी स्कूलों में गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हम उनको धोखा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने और मेरे क्षेत्र के स्कूल भी जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, सिर्फ अध्यापक ही थे, बंद करने का निर्णय लिया। लाहौल-स्पिति में शायद हंसा सीनियर सैकंडरी स्कूल है। उसमें 8

21.12.2024/1110/केएस/वाईके/2

अध्यापक और 3 बच्चे थे। अब 8 अध्यापक 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि पिछली सरकार की गम्भीरता देखिए। हम सिर्फ यह नहीं देख रहे हैं कि अध्यापकों को एडजस्ट करना है, बच्चों की क्वालिटी पर भी अच्छा असर पड़े, उस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। पिछले पांच साल में ...(व्यवधान) आपने ठीक कहा कि गुणात्मक शिक्षा में हम 22वें स्थान पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे ...(व्यवधान) यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। हमने ऐतिहासिक फैसला लिया, हमने कहा ...(व्यवधान) मैं वही तो कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐजुकेशन में गुणात्मक शिक्षा में सुधार किया। ...(व्यवधान) आपकी यह बहुत बुरी आदत है जब भी हम

बोलते हैं तो आप बीच में खड़ा हो जाते हैं। पेशेंस रखिए ...(व्यवधान) मैं कहानी नहीं, अतीत बताता हूं।

Speaker : No interruption please. ...(Interruption) Nothing will go on record except the Hon'ble Chief Minister's statement.

मुख्य मंत्री : अतीत बताना बहुत ज़रूरी है और हम प्रेज़ेंट में आए। ...(व्यवधान) हम अतीत बता रहे हैं, गुस्सा मत करिए। नॉलेज वाइड करनी चाहिए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप इनसे कहो कि जहां नीड होगी मैं वहां भी खोल दूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी और आपके मंत्रीगण के सदस्य दोषी हैं जिसके कारण गुणात्मक शिक्षा में हम 22वें स्थान पर पहुंचे, हमने शिक्षा के स्तर को मज़बूत करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, जहां बच्चों की संख्या थी, टीचर उपलब्ध करवाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.24/1115/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 1765---------- क्रमागत

मुख्य मंत्री----- जारी

पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाया गया। ...(व्यवधान) हमने क्वालिटी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए संस्थानों को बंद किया और वर्तमान में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्ज बना रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं इस संदर्भ में यह कह रहा हूं ...(व्यवधान) जय राम जी, क्या मुझे पूरी स्टोरी नहीं बतानी है? ...(व्यवधान) अच्छा, मैं अपनी स्टोरी को पॉज देता हूं। ...(व्यवधान) उत्तर कैसे दिया जाता है, श्री रणधीर शर्मा जी, आप बैठो। ...(व्यवधान) संस्थान बंद क्यों किए, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker : Let me clarify. ...(Interruption) Hon'ble Member Shri Randhir Sharmaji, please take your seat. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बंद करने के कारण बता रहा हूं और खोलने की जरूरत पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग सुन तो लो। आज लास्ट डे है, तो गुस्सा नहीं करते।

मुख्य मंत्री : माननीय श्री बिक्रम सिंह जी, आप माथे पर चंदन लगाते हो तो फिर गुस्सा क्यों करते हैं?

श्री बिक्रम सिंह : मुख्य मंत्री जी, मेरी शक्ल ही ऐसी है।

मुख्य मंत्री : आपकी शक्ल तो बहुत अच्छी है। हम शिक्षा संस्थान वहां खोलेंगे जहां बच्चों की संख्या पूरी होगी और हम वहां टीचर्स भी पूरे उपलब्ध करवाएंगे। हमने जो अन्य संस्थान खोलने हैं वे भौगोलिक परिस्थितियों तथा जनसंख्या इत्यादि को ध्यान में रखते हुए खोले जाएंगे। उसमें एस0पी0 ऑफिस, लोक निर्माण विभाग का एक्सियन ऑफिस, जल शक्ति विभाग का ऑफिस, कृषि विभाग, पशु पालन, पुलिस की चौकी को नियमित करना, डी0एस0पी0 ऑफिस, आयुष विभाग इत्यादि सारे खोलने हैं जो इन्होंने बोले हैं। उसमें अगर आपके विधान सभा क्षेत्र में कोई नीड बेस्ड होंगे ...(व्यवधान) उसका

21.12.24/1115/av/yk/2

उदाहरण हम दे चुके हैं। **कोई भी नीड बेस्ड होगा तो हमारी सरकार वहां की भौगोलिक परिस्थितियों व जनसंख्या को देखकर खोलेगी और उनमें हम कर्मचारियों की नियुक्ति पहले करने के बाद संस्थान खोलने के लिए खुले मन से तैयार हैं।**

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1120/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या : 1765... क्रमागत्

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी आप क्या पूछना चाहते है?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का यह भाषण दो साल पुराना है। इनको अपनी दो साल की उपलब्धियां बतानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नये संस्थान चुनाव के साल में खोले तो क्या आपने लोकसभा के चुनाव व विधान सभा के उप-चुनाव से पहले कैबिनेट में देहरा के लिए संस्थान खोलने की अप्रूवल नहीं दी? उस समय तो आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी आपने संस्थान खोले। आप एक साल पहले खुले संस्थानों को बंद कर रहे हैं और आचार संहिता लगने के बाद भी संस्थान खोल रहे हैं। आपकी यह जो दोहरी नीति है इसको जनता के बीच उजागर करने की आवश्यकता है। दूसरा, नीड बेस्ड क्या है? स्वारघाट डिग्री कॉलेज में उद्घाटन होने के बाद सिर्फ तीन दिन एडमिशन लेने के लिए मिले और एक क्लास में 27 छात्राओं ने एडमिशन ली। उसके छह महीने बाद उनके एग्जाम हुए और रिजल्ट निकला। यदि उसके बाद अगली क्लास बैठती तो वह संख्या 100 से ऊपर होती लेकिन आपने उस डिग्री कॉलेज को ही बंद कर दिया। क्या यह नीड बेस्ड नहीं था? क्या आपने उस डिग्री कॉलेज को राजनैतिक आधार पर बंद नहीं किया? आप जल शक्ति डिवीजन की बात करते हैं लेकिन आपने नदौन और हरोली में भी जल शक्ति डिवीजन खोला। उप-मुख्य मंत्री जी बताएं कि हरोली विधान सभा का जियोग्राफिकल एरिया कितना है और नैना देवीजी विधान सभा का एरिया कितना है? ...(व्यवधान) सर, जब उधर से भाषण दिया गया तो मैं भी भाषण दूंगा क्योंकि भाषण देने की परम्परा उधर से शुरू हुई है। मेरे विधान सभा के भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात की जाए। उस दृष्टि से आज हमारे पास जल शक्ति विभाग का डिवीजन ही नहीं है। हम बिलासपुर के सदर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। एम्ज को पुलिस चौकी दे दी लेकिन एम्ज को पीने का पानी देने वाली 64 करोड़ रुपये की स्कीम्ज के कारण और नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र के

जियोग्राफिकल डिफिकल्ट एरिया के कारण जो जल शक्ति विभाग की डिवीजन खोली गई थी उसको भी आपने बंद कर दिया। जबकि अपने विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर के रेडियस में आप जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस नीड बेस्ड का पैमाना क्या है? आपने छह महीने पहले नदौन में जल शक्ति विभाग के बंद डिवीजन को छह महीने बाद फिर से खोल दिया। ...(व्यवधान) मैं हरोली का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपने साला जी से बोल रहा हूं कि सारी तरफ कांग्रेस सरकार अपने भाइयों की चिंता करती है, आप भी अपने ज्वाईं की चिंता करो। मेरे विधान सभा में एक पटवार सर्किल है जिसके लिए लोगों को पंजाब होते हुए 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हमने एक और पटवार सर्किल खोला था लेकिन आपने उसको भी बंद कर दिया। हमने पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 अपग्रेड किए थे लेकिन आपने उनको भी बंद कर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नीड बेस्ड के क्या आधार है? क्या यही आधार है कि जहां कांग्रेस के नेता और विधायक हैं वहीं पर संस्थान खुलेंगे? इसलिए क्या मुख्य मंत्री जी नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र के कोठीपुरा में खुला जल शक्ति विभाग का डिवीजन जिसके लिए मकान किराये पर लिया गया था, जिसके लिए कर्मचारियों की भर्ती भी आउटसोर्स के आधार पर हो गई थी व बजट का प्रावधान भी था और जो स्वार घाट डिग्री कॉलेज खुला था जिसके लिए बजट का प्रावधान भी था, मैं उसकी नोटिफिकेशन भी दिखा सकता हूं, पोस्टें सैंक्शंड थी, उन संस्थानों को दोबारा खोलेंगे? दूसरा, जो संस्थान खोले गए हैं, वे किस-किस विधान सभा क्षेत्र में खोले गए हैं, क्या मुख्य मंत्री जी उनकी सूचनी सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित प्रश्न था लेकिन इसका जवाब दे दिया गया है और पूरी सूचना आ गई है। इसलिए मुख्य मंत्री जी जिन-जिन क्षेत्रों में नये संस्थान खोले गए हैं उनकी सूची आप सभा पटल पर रख दें।

मुख्य मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू ....

21-12-2024/1125/एन0एस0-ए0जी0/1

प्रश्न संख्या : 1765 -----क्रमागत

मुख्यमंत्री : माननीय रणधीर शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे यहां पर संस्थान बंद कर दिए गए तो उसके लिए हमने लिख कर दिया है कि बंद कर दिए हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछा तो हमने उसमें बता दिया है कि संस्थान डिनोटिफाई कर दिए हैं। अब खोलने की चिंता है। नीड बेस्ड क्या है? नीड बेस्ड हरोली में खुला है क्योंकि 10 किलोमीटर के रेडियस में पॉपुलेशन 90,000 से ज्यादा है। नदौन में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खुला क्योंकि 1 लाख के करीब पॉपुलेशन है। क्योंकि पानी का कनैक्शन सबको दे रहे हैं। ...(व्यवधान) आबादी बढ़ी, 6 महीने में बढ़ी या बाद में बढ़ी, यह नीतिगत सरकारें फैसला करती हैं। सरकार की कर्तव्यनिष्ठा देखिए, हमें लगा कि देहरा में संस्थान खुलना है तो हमने कैबिनेट मीटिंग से पहले देहरा में संस्थान खोल दिया। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जो कॉलेज जाता हो, चाहे वह स्वारघाट कॉलेज में पढ़ने वाला हो, हम उस छात्र को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। पूर्व सरकार ने नोटिफिकेशन्ज की हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि नीड बेस्ड होगा। हम पहले लैक्चरर की भर्तियां करेंगे, फिर टीचर्ज भर्ती किए जाएंगे तथा फिर नीड बेस्ड श्री नैना देवीजी के स्वारघाट कॉलेज की तरफ विचार करेंगे।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीड बेस्ड संस्थानों को खोला जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि नीड बेस्ड की डेफिनिशन क्या है? जहां से मुख्यमंत्री महोदय हैं तो नदौन का भी विकास हो गया है। वहां पर नीड ही नीड है। हमारा भरमौर, पांगी, डलहौजी, तीसा का क्षेत्र है। चम्बा में बिजली बोर्ड का एक ही डिवीजन है जो भरमौर, तीसा को देख रहा है। हमें खंभे नहीं मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर दो महीने तक नहीं मिल रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि हमने बड़ी मुश्किल से पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक डिवीजन खोला था और एक गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज, मसरूंड भी खोला था तथा इसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की थी। एक डवल्पमैंटल ब्लॉक,

कोटी में भी खोला था। दो पी0एच0सी0, पुहाल और बैरागढ़ में खुलवाई थीं। अब सारे संस्थान डिनोटिफाई होने की वजह से जो रफ्तार चुराह विधान सभा क्षेत्र ने आजादी मिलने के बाद 76 सालों के बाद उड़ान भरी थी उसको पिछले दो सालों से रोक दिया गया है। उस क्षेत्र की आप हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर

21-12-2024/1125/एन0एस0-ए0जी0/2

और शिमला के विधान सभा क्षेत्रों के साथ तुलना मत कीजिए। आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अब एस्पिरेशनल जिला चम्बा में सिर्फ एस्पिरेशनल ब्लॉक तीसा और पांगी रह गया है। उसमें आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो अच्छा है। बाकी तो क्या होना है वैसे भी दो साल तो निकल गए हैं और दो और निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आने वाले बजट में बिजली बोर्ड के डिवीजन, डवल्पमैंटल ब्लॉक, कॉलेज और दो पी0एच0सीज0 जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्या इनको दोबारा से नोटिफाई करेंगे? आप चुराह और चम्बा के लोगों को इसका आश्वासन देंगे।

मुख्यमंत्री -----आर0के0एस0 द्वारा जारी

21.12.2024/1130/RKS/एएस/-1

प्रश्न संख्याः 1765... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप भी चम्बा जिला से संबंध रखते हैं। पिछली बार हमारे साथी डॉ0 हंस राज जी घोर विपक्ष में थे यानी जब सत्ता में किसी के कार्य न हों तो वह घोर विपक्ष होता है। आपने जो अभी बात कही है उसमें मुझे नीड दिखती है। **आपने जो logically चम्बा में बिजली बोर्ड के कार्यालय के बारे में convenience किया है उसकी असैसमैंट की जाएगी। अध्यक्ष महोदय आप चम्बा दौरा करने के बाद यह भी देख लेना कि वहां से हम कौन से डिविजन निकालेंगे। वहां पर कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस पर हम नीड बेस्ड विचार करेंगे।** ये कह रहे हैं कि हमने वहां आउटसोर्स पर भर्तियां

कर दी थी लेकिन कल ये आउटसोर्स भर्तियों का विरोध कर रहे थे। हम आउटसोर्स भर्तियों को भी कम करना चाहते हैं। हम सारी चीजों को ध्यान में रखकर आगे काम कर रहे हैं।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, नीड बेस्ड डेफिनेशन की भी किसी नियम के तहत चर्चा करवाई जानी चाहिए। यहां पर मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और देहरा नीड बेस्ड है और हम सभी बिना नीड के चले हुए हैं। मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र 103 किलोमीटर लम्बा है। हमने वहां लोगों को व्यवस्था देने के लिए रक्कड़ व कोटला-बेहड़ में एस.डी.एम. के दो कार्यालय खुलवा दिए थे जिन्हें आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। ये ऑफिस नीड बेस्ड ही खुलवाए गए थे। परागपुर में जो बी.डी.ओ. ऑफिस खुला है वहां बहुत कार्यबोझ है। लोगों को वहां आने-जाने में भी समस्या रहती है इसलिए हमने डाडासीबा में भी एक बी.डी.ओ. ऑफिस खोल दिया था। उस समय हमें मालूम नहीं था कि आपने भी मुख्य मंत्री बनना है। उस समय आप हमसे काफी गपें मारते थे और आपके विचार महान थे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि आज के सुखविन्दर सिंह सुक्खू और आज के सुखविन्दर सिंह सुक्खू में इतना अंतर क्यों है।

अध्यक्ष : यह कुर्सी का अंतर होता है।

21.12.2024/1130/RKS/एएस/-2

श्री बिक्रम सिंह : मैंने आपके ससुराल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली थी लेकिन आपने उस डिस्पेंसरी को भी बंद कर दिया। मैंने अपने जीवन में इतना निर्दयी व्यक्ति और जीजा कभी नहीं देखा है। बहन जी आपको भी इन्हें समझाना चाहिए। मुझे इनके ससुराल के कार्यों के बारे में बोलना पड़ रहा है जो ठीक नहीं है। आपने एस.डी.एम., बी.डी.ओ. ऑफिस व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बंद कर दी। इन संस्थानों को खोलने के लिए लोगों ने

जमीन दान की है। मेरा आग्रह है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो ये तीन संस्थान बंद किए हैं क्या आप उन्हें दोबारा खोलने के बारे में आश्वासन देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन ससुराल और माइके को देखकर नहीं होता। अगर ऐसा किया जाए तो फिर न्याय कैसे होगा। मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक फैसले रिश्तों को देखकर नहीं लिए जाते। प्रशासनिक फैसले नीड को देखकर लिए जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल की जनता हमारा परिवार है, हमारा माइका और ससुराल है। इसलिए आप इसको किसी भावना के साथ न जोड़ें।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1135/बी.एस/ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 1765 क्रमांगत...

मुख्य मंत्री जारी...

यह ठीक है कि वर्ष 2003 से आदरणीय बिक्रम जी हमारे साथी रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जहां भी इस कार्य को करेंगे, मुझे डॉ0 हंस राज जी की बात अच्छी लगी कि चम्बा के बिजली बोर्ड के बारे में इन्होंने कहा है, जब आप तथ्य रखेंगे उस पर विचार किया जा सकता है। हम सत्ता में केवल सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं परंतु व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं जिसका अच्छा उदाहरण आपने दे दिया। जहां भी एस.डी.एम. की बात है, हम सभी जगह एस.डी.एम. रैशनलाइजेशन करने के पक्ष में है और विभाग का भी रैशनलाइजेशन करने में विश्वास रखते हैं। अगले दो तीन महीनों में जो हमारे सुधार होंगे, आप समोसे और मुर्गे में विश्वास रखते हैं, हम प्रशासन चलाने में, गुड गवर्नेंस में, गुड गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन में विश्वास रखते हैं। **आपसे चर्चा कर ली जाएगी कि कहां पर आवश्यकता है। यदि आप केन्द्र में कोई स्थान बताएंगे, उस पर अवश्य भविष्य में विचार किया जा सकता है।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने नीड बेस की बात कही है। जैसा आदरणीय बिक्रम सिंह ठाकुर जी कह रहे थे कि मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र 100 किलोमीटर तक फैला है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र 150 किलोमीटर तक फैला है और इसकी सीमा तत्तापानी से त्रिफालघाट तक फैला है। पूर्व में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में मेरे विधान सभा के क्षेत्र में बंदली नाम स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला था। वहां पर डॉक्टर्ज की पोस्टें, फार्मासिस्ट की पोस्टें हो गई और बिल्डिंग भी किराए पर ले ली गई। आपने उसे आते ही बंद कर दिया। उस पी.एच.सी. को खोलने के पीछे मंशा यह भी कि निहरी से ले करके तत्तापानी तक कोई भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। अनेकों दुर्घटनाएं वहां पर हुई हैं और लगभग 10 नौजवानों की मृत्यु वहां पर हो गई है। आपने का नीड बेस, 10 नौजवनों की जाने फस्ट एड न मिलने के कारण वहां पर हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं कि नीड बेस? क्या आप इसे पुनः खोलने का विचार रखते हैं? दूसरा आपने सदन में कहा कि ऐसे संस्थानो की पहले कैबिनेट से मंजूरी होती है,

21.12.2024/1135/बी.एस/ए.एस.-2

पोस्टे सैंक्शंड होती हैं फिर उसकी घोषणा होती है। लेकिन आप अनेकों जनसभाओं में घोषणा करते है, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग करते हैं और उसके बाद उस संस्थान को कैबिनेट पास करती है। पूर्व की जय राम जी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था, मुख्य मंत्री जब वहां पर जाते हैं, लोग मांग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की मांग पर और वहां के जन प्रतिनिधि की मांग पर वहां पर संस्थान खोले जाते हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 12 ऐसे संस्थान हैं, सुन्दरनगर में आयुर्वेदिक अस्पताल अपग्रेड किया गया था। आपने उसे भी बंद कर दिया उसमें एक हजार ओ. पी. डी. थी। इस नीड बेस का क्या पैमाना है? मुख्य मंत्री जी, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने पी.एच.सी. बंदली का जिक्र किय और आयुर्वेदिक अस्पताल का जिक्र किया, उसके साथ आई.पी.एच. का सब डिवीजन मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र कांगू में खुला था। क्योंकि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के 70 प्रतिशत हिस्से में केवल एक मात्र सब डिवीजन था इसलिए पूर्व में आदरणीय जय राम ठाकुर के समय में केन्द्र से भी हमें अनेकों योजनाएं मिली और करोड़ों रुपये की

आई.पी.एच. की स्कीमें मिली। इनमें कोई 25 और 30 करोड़ रुपये की स्कीमें हमें मिली हैं। इसलिए विभाग की भी यह मांग थी कि वहां पर आई.पी.एच. का सब डिवीजन खोला जाए। वह सब डिवीजन फंक्शंनल था, वहां एस.डी.ओ. क्लेरिकल स्टाफ पोस्ट कर दिया गया था और वह सब डिवीजन चला हुआ था, आपने उसे भी बंद कर दिया। आपने कहा कि नीड बेस इसलिए आप विभाग से रिपोर्ट मंगवा लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने कहीं भी गलत संस्थान नहीं खुलवाए थे। उस समय में मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी से लोगों की मांग पर ये सभी संस्थान खोले गए थे। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी बंदली की पी.एच.सी. हमारी पोड़ा कोठी की पी.एच.सी., आयुर्वेद अस्पताल और जो सब डिवीजन्ज हैं, इन्हें तुरंत बहाल करने की कृपा करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

Speaker : I need one minute before that you reply, my request to you all the Hon'ble Members is that I am interested कि प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगें। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई। ...(Interruption) Please, be very specific on the supplementaries. ताकि कम समय में ज्यादा जानकारी मिले। यहां से आश्वासन दे दिया कि नीड बेस संस्थान खोलेंगे। आप इसे नियम-61 में भी ला सकते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

21.12.2024/1140/dt/dc.-1

प्रश्न संख्याः1765 जारी

अध्यक्ष जारी...

...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ऐसा है नीड बेस पर इस प्रश्न के ऊपर अगर चर्चा करनी है तो There are other rules and procedure and methods under which you may ask for discussion और उसमें आधा घंटे की भी चर्चा हो सकती है और एक घंटे की चर्चा भी हो सकती है। ये प्रश्न काल है और प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोल दिया है कि नीड् बेस पर हम संस्थान खोलेंगे और उसमें

आपके निर्वाचन क्षेत्र भी होंगे, उन पर भी पुर्नविचार किया जायेगा। उसमें रिजल्ट आता है-नहीं आता है, हम उसके निष्कर्ष पर नहीं जा सकत। नेता प्रतिपक्ष आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिए and this is the last Supplementary which I am allowing.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है यह पूरे प्रदेश से संबंधित है। अभी तक तो हम 1000-1200 संस्थान बंद किए जाने के आंकड़े को ही सही समझते थे लेकिन आज जो इस प्रश्न का उत्तर आया है इस उत्तर को देखकर तो सचमुच में एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने है। जो संस्थान आपने रद्द किए उनकी संख्या 1000 नहीं, 1500 नहीं बल्कि 1865 है और ऐसे में आप इस बात को एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। ये नीड् बेस पर छः महीने संस्थान खुलता है वहां पर अधिकारी/ कर्मचारी भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं लेकिन उसे डिनोटिफाइड कर दिया जाता है और छः महीने के बाद उसी जगह दोबारा संस्थान खुलता है, उसे नोटिफाई किया जाता है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा है कि आपने विशुद्ध प्रतिशोध की भावना से उन संस्थानों को बंद किया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधि की मांग पर या वहां की स्थानीय जनता की मांग पर खोला था, उनको बंद करने का फैसला लिया। आप नदौन विधान सभा क्षेत्र की तरह पूरे प्रदेश को नहीं देख सकते। यहां पर चम्बा के क्षेत्रों का उल्लेख हुआ वहां आप जाकर आइए, आप किन्नौर में जाकर आइए, आप कुल्लू जिला के दूर-दराज के इलाके आनी या शिमला

21.12.2024/1140/dt/dc.-2

जिले के रामपुर के दूर-दराज के क्षेत्रों में या सराज के इलाके में जाकर आइए जहां बच्चों को 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 4-4 कीलोमीटर पहाड़ में चलने का मतलब समझते हैं आप? वहां पर सड़क की सुविधा नहीं होती। बच्चा चढ़ाई में पीठ पर स्कूल का बैग उठाकर चढ़ता और उतरता है। आप भी कभी 4 कीलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ कर देखिए। क्या आपने नीड् बेस में यह पैरामीटर भी रखा? जहां पर बच्चों की संख्या बहुत कम है आप ऐसे संस्थानों को बंद कर दीजिए। लेकिन जहां बच्चों की संख्या है उन

संस्थानों को तो बंद मत कीजिए। विभाग द्वारा जो उत्तर उपलब्ध करवाया गया है उस उत्तर में मैं देख रहा हूं कि 1094 प्राइमरी स्कूल्ज आपने बंद किए हैं। ये संभव ही नहीं है कि 1094 प्राइमरी स्कूल्ज में बच्चे ही नहीं हैं और सिंर्फ अध्यापक हैं। मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो आपने 1094 प्राइमरी स्कूल्ज बंद किए, क्या आपने वहां की जानकारी ली की उन स्थानों में स्कूल्ज बंद करने के बाद वहां पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया? क्या इस बात की जानकारी ली कि जो बच्चे उन स्कूल्ज में पढ़ते थे वह स्कूल बंद होने के बाद किस स्कूल में पढ़ने के लिए गये? क्या ये जानकारी आपके पास है? अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ कर घर बैठ गये, क्योंकि वह किसी अन्य स्कूल में जाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने इस तरह हजारों बच्चों को शिक्षा का जो मूल अधिकार सांविधानिक दृष्टि से हमें दिया गया है,उससे भी वंचित किया है। इसका आपके पास क्या जवाब है? सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है लेकिन व्यवस्थाओं का तो पतन हो गया है।

श्री एन.जी. द्वारा जार

21-12-2024/1145/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 1765.....जारी

श्री जय राम ठाकुर.....जारी

और हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाएं निम्न स्तर पर चली गई हैं। ...(व्यवधान) यह हंसने वाला विषय नहीं है, यह गम्भीरता का विषय है। आप (मुख्य मंत्री जी को कहते हुए) से पहले हिमाचल प्रदेश में और भी मुख्य मंत्री रहे हैं। वे सभी थोड़ा रैशनल सोचते थे लेकिन आपको तो एक जिद्द व जनून चढ़ा हुआ है कि मैं यह भी बंद कर दूंगा, वह भी बंद कर दूंगा और सब कुछ बंद कर दूंगा। आपने यूनिवर्सिटियों को अपाहिज कर दिया है। आपने कॉलिज़िस को बर्बाद कर दिया है। आपने स्वास्थ्य संस्थानों को तबाह कर दिया है।

अध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप तो चर्चा करने लग गए हैं। This is discussion on education not a supplementary question.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के पास इन बातों का क्या जवाब है? मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, वर्तमान सरकार ने उनमें से कितने बच्चों को स्कूल छोड़ने पर विवश कर दिया है? कितने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से महरूम कर दिया गया? आज बच्चे टैरेन में चल नहीं सकते और उस टैरेन में से गुजर कर स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने नजदीक के स्कूलों को बंद कर दिया है। आपने 257 स्वास्थ्य संस्थानों को भी बंद कर दिया। आयुष विभाग में बंद किए गए संस्थान इससे अलग हैं। आपने कभी इस बात को लेकर विचार किया है कि जिन पी.एच.सी., सी.एच.सी. व हैल्थ सब-सैंटर्स में डॉक्टर्स बैठ कर पिछले आठ माह से लोगों का उपचार कर रहे थे, अब आपकी सरकार ने वहां पर ताला जड़ दिया है। वहां के गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा घर-द्वार पर मिली थी लेकिन अब वे उपचार के लिए कहां जाते हैं?

21-12-2024/1145/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : इसके अलावा जो कसर बची थी वह माननीय हाई कोर्ट ने पूरी कर दी है। उन्होंने पैरीफेरी के सारे स्टाफ को बदल कर मेडिकल कॉलिजिज़ में लगा दिया है। This is the order of Hon'ble High Court.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा है। उसके बाद वे मेडिकल कॉलिजिज़ में चले गए हैं। मुख्य मंत्री जी, हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पहले की व्यवस्था का पूरी तरह से पतन कर दिया है। इन सब चीजों को लेकर मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो नीड बेस्ड की बात कर हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। आप इस प्रकार के फैसले विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से ले रहे हैं।

हम आपके ससुराल के विरोध में नहीं हैं लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले वहां पर संस्थान खोल दिए जाते हैं, ऐसा क्यों?

अध्यक्ष : आप तो ससुराल के नाम पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। यहां पर भाभी जी (श्रीमती कमलेश ठाकुर, माननीय सदस्य व मुख्य मंत्री जी की पत्नी की ओर देखते हुए) बैठे हुए हैं। आपने जो सभी चोटें मारी हैं उनके निशान वहां (श्रीमती कमलेश ठाकुर की ओर देखते हुए) पर आए हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, भाभी जी यहां पर आई हैं और हम सभी इनका स्वागत करते हैं। मुख्य मंत्री जी, आपकी जो राजनीतिक जरूरत है, आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। मेरे प्रश्न गम्भीर हैं और ये आपको कचोटेंगे। आपने हिमाचल प्रदेश के हज़ारों बच्चों को पढ़ाई से महरूम कर दिया है और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। यहां पर जिला चम्बा की भी बात कही गई है।

अध्यक्ष : यहां पर चम्बा, पांगी, भरमौर आदि की भी बात कही गई है। We are taking care now. Don't worry.

21-12-2024/1145/डी.सी.-एन.जी./3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपके भटियात में भी संस्थानों को बंद किया गया है। (मुख्य मंत्री जी की ओर देखते हुए) इसके बारे में इनसे बड़े व्यक्ति नहीं बोल सकते और ये (अध्यक्ष महोदय के लिए कहा) मेरे माध्यम से अपना संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, आपने सभी जगहों पर बर्बादी की है और आज हम सभी की बातों का जवाब देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष : प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, देहरा में तो सी.एम. का ऑफिस भी खोल दिया गया है।

अध्यक्ष : वह कैम्प ऑफिस होता है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कैम्प ऑफिस खोला गया था। मुख्य मंत्री जी, आप भाभी जी के कारण बहुत बुरी तरह से डर गए हैं। (हंसते हुए कहा गया) आप वहां पर कार्यालय खोलिए और हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको हमारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। आपने बहुत बड़ा अपराध व पाप किया है। आपकी सरकार इस पाप के कारण फलीभूत नहीं हो पाएगी। हम तो लगभग 1000 संस्थान का सोच रहे थे लेकिन आपने तो 1865 संस्थान बंद कर दिए हैं।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, सत्र के अंतिम दिन इतना गुस्सा नहीं करते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, आपने 37 नए संस्थान खोले हैं और 103 संस्थान नोटिफाई किए हैं। हमें बताया जाए कि इसका पैरामीटर क्या है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.2024/1150/केएस/एचके/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागत :

अध्यक्ष महोदय, 12.00 बजने दीजिए, आप 1.00 भी बजने दीजिए लेकिन यह प्रदेशहित का विषय है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप संस्थान बंद करते हैं, कुछ नैतिक मूल्य ...(व्यवधान) कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए।

Speaker : Shri Jai Ram Thakurji your concerns have come.

श्री जय राम ठाकुर : आपने संस्थान बंद कर दिया है और 6 महीने के बाद संस्थान खोलने की आपको कैसे नैतिकता दिखती है? आप इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए।

Speaker : We agree that the concerns which have been ventilated by most of the Hon'ble Members are the genuine concerns. But we have to come to a conclusion that is in the interest of Himachal Pradesh. We have to rationalize ourselves but not politically.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता 9 मिनट 18 सैकंड बोले। रणधीर जी बोलते हैं कि ये अतीत बता रहे हैं।

अध्यक्ष : एक ही प्रश्न पर एक घंटे का समय हो गया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कितनी पीड़ा होती है, अगर ये जनता के सच्चे सेवक थे तो 1 अप्रैल,2022 को संस्थान खोलने की क्या जरूरत थी? हमारी तरह अभी से खोलने शुरू कर देते। ...(व्यवधान) आप गुस्सा मत कीजिए। मैंने आपकी सारी बातों को सुना। 1 अप्रैल, 2022 के संस्थान हमने बंद किए, उससे पहले का कोई संस्थान हमने बंद नहीं किया। ...(व्यवधान) अगर किए होंगे तो दो-चार ही होंगे। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please....(Interruption) Hon'ble Member Shri Randhirji, please take your seat.

21.12.2024/1150/केएस/एचके/2

मुख्य मंत्री : आप अपने विपक्ष के नेता जी को समझाओ। इन्होंने 10 मिनट का समय ले लिया। मैं तो अभी बोलना शुरू हुआ है। ...(व्यवधान) रणधीर शर्मा जी, अभी आपको

सी.एल.पी. लीडर नहीं बना रहे हैं, अभी आप बैठो। आपको अभी विपक्ष का नेता नहीं बना रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं परंतु कई आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नहीं बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुनाव के दृष्टिगत 24 संस्थान खोले। जिसमें कोई भी राजनीतिक लाभ इनको नहीं मिला । ...(व्यवधान) हम बता रहे हैं। आप बैठिए। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक मिनट होता नहीं कि विपक्ष के नेता एकदम से उठकर बोलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ से श्री रणधीर शर्मा जी जो कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं हाथ खड़ा करके ज्यादा बोलूंगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आपकी स्टेटमैंट के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।...(Interruption). Nothing is go on record. Please don't interrupt.

मुख्य मंत्री : 1094 स्कूल जो मर्ज या बंद हुए हैं, उसमें 675 स्कूलों में ज़ीरो एनरोलमेंट थी। ...(व्यवधान) सुनो तो सही। बोलने तो दो। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

Speaker : Nothing will go on record except the statement of Hon'ble Chief Minister. ...(Interruption). This protest is uncalled for without any reason. That will not come on record reason being I have given more than 50 minutes for this one question.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.24/1155/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 1765---------- क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में 1094 स्कूल बंद किए गए। उन 1094 स्कूल्ज में से 675 स्कूल्ज में जीरो एनरोलमैंट थी। 419 स्कूल्ज में 5 से कम बच्चे थे जिनमें दो किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल था। माननीय नेता प्रतिपक्ष 4 किलोमीटर की बात कर

रहे थे, श्री जय राम जी परेशान रहते हैं। यहां पर जैसे कहा जा रहा था कि बच्चे कहां गए तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक कहीं से कोई भी ड्रोप आउट की खबर नहीं है। **मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता होगा और उसको स्कूल पहुंचाने के लिए अगर 5000 रुपये भी खर्च करने पड़े तो हमारी सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी।** दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को इन्होंने लगभग 700 संस्थान खोल दिए। इन्होंने ये संस्थान राजनैतिक हित को देखकर खोले थे और यहां पर जनहित की बात कर रहे हैं। जनहित तो तब होता अगर वे संस्थान हमारी तरह अभी से खोलना शुरू कर देते और अभी से ही उस बारे में आगे बढ़ते। ये लोग अपने आप तो लंबे-लंबे भाषण देते हैं, मैंने तो उत्तर देने के लिए बहुत कम समय लिया। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 26,074 स्कूल मर्ज़ हुए, मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल्ज, महाराष्ट्र में 14,000 स्कूल्ज, गुजरात में 5,223 स्कूल्ज, राजस्थान में 2,335 स्कूल्ज और छत्तीसगढ़ में 2,918 स्कूल्ज मर्ज़ हुए जबकि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने पी0एच0सी0 बद्री की बात लाई है। **मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर जरूरत होगी तो पी0एच0सी0 बद्री को खोला जाएगा।** हम विपक्ष का ध्यान भी रखते हैं जैसे माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप का रखा, श्री रणधीर शर्मा जी का रखा यानी नीड बेस्ड पूरे हिमाचल का ख्याल रखा जाएगा। इसमें कोई ससुराल-मायके की बात नहीं है। **हम सब जगह नीड बेस्ड संस्थान खोलेंगे।** मैं यह चाहता हूं कि यहां पर स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाए और भाषण के लिए इनको अलग से व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग किसी विषय पर विस्तृत चर्चा कर सकें।

21.12.24/1155/av/hk/2

अध्यक्ष : वह व्यवस्था तो मैंने की हुई है।

शिक्षा मंत्री जी, आप बोलिए।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा से संबंधित विस्तार से बात कर दी है। आज हमारे सत्र का अंतिम दिन है परंतु हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार का आचरण दिखाया है, वह बहुत निंदनीय है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां पर जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह क्रम पूरे भारतवर्ष में चला है और गत 10 वर्षों में पूरे हिन्दुस्तान में लगभग 76,000 स्कूल्ज बंद हुए। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से नहीं हुई बल्कि सबसे पहले यह शुरुआत गुजरात से हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस गुजरात मोडल के मुरीद है वहां पर यह क्रम आज से लगभग 10 वर्ष पहले प्रारम्भ हो गया था। यहां पर अभी जैसे बताया गया कि लगभग 675 स्कूल्ज जहां पर एक भी बच्चा नहीं था मगर वहां पर टीचर्स पोस्टिड थे, तो क्या उनको रेशनेलाईज करने की आवश्यकता नहीं थी? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल की बात करें तो वर्ष 2022 के अंत में पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 350 के करीब बिना टीचर्स के स्कूल्ज थे। इसके अतिरिक्त 34 के करीब सिंगल टीचर स्कूल्ज थे। अब हमारी सरकार ने लगभग 4,000 के लगभग नियुक्तियां दे दी हैं। जिसमें सर्वाधिक एलीमैंटरी एजुकेशन में 3,200 यानी सर्वाधिक नियमित नियुक्तियां दी है। अब हमारे 350 विदाउट टीचर स्कूल में कमी आई है और अब केवल 150 के करीब विदाउट टीचर स्कूल रह गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंगल टीचर स्कूल्ज मात्र 26 रह गए हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम इस क्रम को भी भरेंगे। हाल ही में हिमाचल में वित्तायोग का दौरा था और उन्होंने भी सिफारिश की है कि आज आवश्यकता है कि हम अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को कंसोलिडेट व स्ट्रैंथन करें।

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1200/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

शिक्षा मंत्री ... जारी

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने 19 स्कूल अपने विधान सभा क्षेत्र में बंद किए जहां पर विद्यार्थियों की संख्या एक-दो या जीरो थी। यह निर्णय बड़े सोच-विचार करके लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक भी कॉलेज नहीं खोला। जब चुनाव को मात्र एक या दो महीने शेष रह गए थे तो उस समय आपने लगभग दो दर्जन कॉलेज खोल दिए और उसके पीछे आपकी एक ही मंशा थी कि किस तरह से चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। यहां विपक्ष के नेता, श्री जय राम ठाकुर जी ने जो बात की, मैं समझता हूं कि इनको इस विषय की जानकारी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देश में हमारा 22वां नहीं बल्कि 21वां स्थान आ चुका है। यह असैस्मेंट वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नहीं बल्कि वर्ष 2021 में हुई थी, जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है लेकिन इनके कार्यकाल में, इनके असफल प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 21वें स्थान पर पहुंच चुका है। तीन वर्ष के उपरांत नेशनल असैस्मैंट सर्वे का क्रम इस वर्ष चला था और हमने पूरा प्रयास किया कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो और इन दो वर्षों में हमने शिक्षा विभाग को स्ट्रेंथन करने का भी प्रयास किया। धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त।

21.12.2024/1200/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल आरम्भ होगा। मैंने जो बुलेटिन जारी किया है उसके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह किया गया था कि सत्र प्रारम्भ होने से डेढ़ घण्टा पहले जो भी विषय प्रायोरिटी पर आएंगे, उनको हम लिस्ट करेंगे। उसके तहत मेरे पास 20 विषय आए हैं लेकिन अभी मैं 10 विषयों के लिए ही अनुमति दे रहा हूं। यदि आधे घण्टे में ये

10 विषय समाप्त हो जाएंगे तो अगले विषयों को भी टेकअप किया जाएगा और अगले सत्र से 10 विषयों को बैलेट के माध्यम से निकाला जाएगा। अब जिन-जिन माननीय सदस्यों के ये विषय दिए हैं, मैं बारी-बारी उनके नाम लूंगा। यदि वे सदन में होंगे तो ठीक है अन्यथा वह विषय ड्रॉप हो जाएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल, डॉ0 जनक राज, श्री डी0एस0 ठाकुर और श्री सुरेन्द्र शौरी सदन में वापिस आए)

श्री त्रिलोक जम्वाल, उपस्थित नहीं है, इसलिए इनका विषय ड्रॉप हो गया है। श्री केवल सिंह पठानिया जी भी इसमें शामिल है लेकिन आपका दूसरा विषय लगा है इसलिए यह विषय भी ड्रॉप किया जाता है। अब श्री संजय रत्न जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत डंगा, ब्रेस्टवॉल और नाले की चैनलाइजेशन करने के लिए अलाउ किया था। इसके साथ ही बरसात के कारण जो घर क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको भी पुनः निर्माण करने के लिए धनराशि देने के लिए माननीय सदस्यों को अनुमति दी थी। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि डेढ़ लाख रुपये में कोई मकान नहीं बनता। मुख्य मंत्री महोदय ने आपदा में क्षतिग्रस्त मकान के लिए डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया था। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मकान पार्शली डेमेज्ड हुए हैं उनको

यह राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 3 या 5 लाख रुपये की जाए। दूसरा, टॉयलेट बनाने के लिए भी इस राशि को अलाउ किया जाए। तीसरा, इसमें इफ एण्ड बट्स बहुत हैं। इसमें मुख्य मंत्री आवास योजना के रूल्ज अडोप्ट किए जा रहे हैं कि किसी महिला के नाम पर

मकान दिया जा सकता है लेकिन अधिकतर महिलाओं के नाम पर जमीन ही नहीं होती है तो मकान कैसे दिया जा सकता है? मैंने लगभग 5-6 मकान रिकोमेंड किए थे लेकिन प्लानिंग डिपार्टमैंट ने एक भी मकान थ्रू नहीं किया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ईफ एण्ड बट्स हैं उनको विधायक क्षेत्र विकास निधि में लागू न किया जाए। यदि आप इसकी राशि को बढ़ा देते हैं तो उस पर कैप लगा दीजिए कि साल में हम 10 मकानों के लिए धनराशि दे पाएंगे ताकि हम जरूरतमंद लोगों को मकान दे सकें। इसके अलावा इसके तहत रिपेयर के लिए भी अलाउ किया जाए। कुछ मकान ऐसे होते हैं, यदि उनकी छोटी-मोटी रिपेयर कर दी जाए तो उनको बचाया जा सकता है। इसलिए साल में कम-से-कम एक लाख रुपया मकान की रिपेयर करने के लिए अलाउ किया जाए। इसमें भी कैप लगाई जा सकती है कि सिर्फ 10 मकानों की रिपेयर के लिए ही धनराशि दी जा सकती है। इसलिए.....

एन0एस0 द्वारा जारी ....

21-12-2024/1205/एन0एस0-ए0जी0/1

शून्य काल ----- जारी

श्री संजय रत्न------ जारी

मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने इतनी दरियादिली दिखाई है, आपने हमें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के फंड से काम करने का मौका दिया है तो अगर ये विषय उसमें शामिल कर दिए जाएं तो हम जरूरतमंद लोगों के मकान भी बनवा सकते हैं, मकान की रिपेयर भी करवा सकते हैं और उनको टॉयलैट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।

Speaker : Thank you very much. I think the Planning Department will take care of all these issues what have been raised here. They will inform the Hon'ble House and as well as you. माननीय त्रिलोक जम्वाल जी आ गए हैं। am giving you a special permission. ...(Interruption) My rating about you is very high. ...(Interruption) Raise your Zero Hour issue.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि जो नए विधायक इस बार चुन करके आए हैं और माननीय केवल सिंह पठानिया जी जहां अध्यक्ष हैं और मैं उनका महामंत्री हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र कुमार जी ने हिमाचल भवन, दिल्ली के लिए अपनी रूम बुकिंग भेजी। उनको फोन करके कन्फर्म किया गया कि आपकी बुकिंग हो गई है लेकिन जब वे सुबह हिमाचल भवन, दिल्ली पहुंचे तो उनको कहा गया कि आपकी रूम बुकिंग नहीं है। जब लिस्ट देखी गई तो उसमें भी नाम नहीं था। अध्यक्ष महोदय, एक विधायक जी0ए0डी0 से रूम बुकिंग मांग कर सड़क पर खड़ा है लेकिन विधायक को रूम नहीं मिला। जबकि उस हिमाचल भवन में जे0ई0, एस0आई0, एस0एच0ओ0 को रूम मिल गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। विधायक अगर अपनी मीटिंग के लिए गया और सुबह बैग उठाकर पहले वह रूम ढूंढने के लिए सड़क पर चलेगा तो इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा। यह हमारे जी0ए0डी0 की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जब हमारे विधायक जी0ए0डी0 में फोन करते हैं तो उसका भी रिप्लाई नहीं आता है। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कई जूनियर विधायक जो पहली बार चुन कर आए हैं वे कहते हैं

कि हमें रूम मिलता ही नहीं है। जब लिस्ट देखते हैं तो उसमें ऐसे-ऐसे नाम दर्शाए गए होते हैं। सरकार सीधे तौर पर कह दे कि विधायकों को रूम नहीं मिलेंगे और बाकी लोगों को रूम मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा कन्सर्न है कि कम-से-कम विधायकों के साथ ऐसा न हो। अगर विधायक किसी टूअर पर जाएं तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। अध्यक्ष महोदय आपने स्वयं कहा है कि विधायकों का अपना प्रोफाइल है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to intervene. You (Shri Trilok Jamwal) are lucky enough.

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक विधान सभा के चुने हुए सदस्य हैं और सभी विधायकों का मान-सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस इंस्टीच्यूशन का सम्मान करना हमारा दायित्व है। जो विषय इन्होंने बताया है तो इस विषय को हमारी सरकार गंभीरता से लेगी और यह निर्देश भी देगी कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ सम्मानपूर्वक बिहेव किया जाए और बुकिंग आए तो की जाए। अगर ज्यादा बुकिंग है तो कम-से-कम फोन करके बता दिया जाए ताकि वहां पहुंचने पर अपमानित महसूस न हो। इसके लिए 8-10 घंटे पहले बता दिया जाए कि बुकिंग इस कारण नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों को प्राथमिकता मिलेगी। माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, जो यह घटना घटी है, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। बुकिंग होने के बाद आपकी बुकिंग जी0ए0डी0 से कैंसल क्यों की गई? आपके कंसर्न से मैं भी चिंतित हूं।

अध्यक्ष : श्री राकेश जम्वाल जी, अपना विषय प्रस्तुत कीजिए।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो विधायकों के इंस्टीच्यूशन को मजबूत करने की बातें करते थे। अब सरकार का दो वर्षों का समय निकल गया और इस समय में काफी मीटिंग्ज अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी हुई हैं और मुख्यमंत्री जी भी साथ बैठे हैं। उसमें बहुत सी बातें तय भी हुईं लेकिन एक विषय विधायकों के फ्लैग का था।

आर0के0एस0 द्वारा जारी

21.12.2024/1210/RKS/एजी/-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

विधायकों के फ्लैग के इश्यू में शायद मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया है। बिना आइडेंटिफिकेशन के सत्तापक्ष और विपक्ष के बहुत से विधायकों के चालान काटे गए हैं। विधायकों को अपनी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है। डी.सी./एस.पी. व अन्य अधिकारियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपने-अपने संस्थानों के फ्लैग की व्यवस्था की गई है। विधायकों के लिए भी इस व्यवस्था को फाइनल कर दिया गया है परंतु फ्लैग जारी करना शेष रह गया है। अध्यक्ष महोदय यह बात आपके अधिकार क्षेत्र में भी है और मेरा मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह है कि सभी सम्माननीय विधायकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द फ्लैग जारी कर दिए जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय फ्लैग कोड को अनुमति दी थी। **हम नियमों का अवलोकन करने के बाद आने वाले विधान सभा सत्र में इस बारे में सूचित कर देंगे।**

Speaker: This issue will be decided in the due course.

21.12.2024/1210/RKS/एजी/-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार अपना विषय उठाएंगे।

अवैध खनन

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय अवैध खनन के बारे में है। इस संबंध में मैंने विधान सभा प्रश्न भी लगाया था लेकिन वह लिस्ट नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के मोइन, लूरी, छोंटी व गोंथना गांव में पिछले 6 महीनों से लगातार अवैध खनन हो रहा है। माननीय मंत्री जी पिछले कल कह रहे थे कि पुलिस व वन महकमा इन चीजों को गहनता से देख रहा है। मोइन व लूरी के क्षेत्र शिमला जिला के साथ लगते हैं। यहां से अवैध खनन की मैक्सिमम गाड़ियां शिमला, रामपुर और किन्नौर के क्षेत्रों में जाती हैं लेकिन उन पर सरकार द्वारा कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। सरकार को अवैध खनन से कोई

फायदा नहीं है। मैंने प्रश्न भी किया था और संबंधित विभाग द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि तीन महीने के लिए शोर्ट टर्म परमिशन दी जाती है। यह परमिशन दो-दो बीघा के लिए ली जा रही है परंतु वर्तमान में मोइन, लूरी, छोंटी व गोंथना में जिन लोगों को तीन महीने की परमिशन मिली है उन लोगों ने 10-10 बीघा खुदाई कर दी है। सरकार को इससे एक रुपये का मुनाफा भी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार गंभीर नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस पर लगाम लगाई जाए। वहां पर हर दिन झगड़ें होते रहते हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि अवैध खनन पर गौर फरमाया जाए। वहां पर एक पुलिस चौकी भी स्थापित की जाए ताकि इन घटनाओं से निजात मिल सके।

Speaker: Your concern will be taken care of by the Ministry and the respective departments and they will inform you accordingly and they will reply to this Secretariat also.

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू अपना विषय उठाएंगे।

21.12.2024/1210/RKS/एजी/-3

कोऑपरेटिव सोसायटी

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र की कटोहड़ खुरद कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर है। इस सोसाइटी में वर्ष 2018 में 6 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। जब इस घोटाले की जांच हुई तो वहां पर सेल मैन के तौर पर कार्यरत शशिबाला को सहायक सचिव प्रमोट किया गया।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1215/बी0एस0/ए.जी.-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

उसको सहायक सचिव परमोट किया गया और सहायक सचिव जब उसे परमोट किया गया तो एक वहां पर राजेश कुमार सचिव था और जब घोटाला सामने आया तो राजेश कुमार ने उस घोटाले के चलते आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद जब देखा गया कि वहां के लोगों का पैसा लगभग 6.50 करोड़ रुपये था, उसकी लायबिलिटी खड़ी हो गई। मेरा विभाग से और उप मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है, इनसे मैं जरूर आश्वास चाहूंगा कि जो-जो इसके कारण सफर हो रहे हैं जिनके लाखों रूपये, उनकी मेहन की कमाई का जमा करवाया गया था वह पैसा उनका फंसा हुआ है। वे हमारे पास भी आ रहे हैं और विभाग के पास भी जा रहे हैं, मैं विभाग की कारगुजारी भी आपके समक्ष लाना चाहूंगा कि जब शशीवाला को पता चला कि उसकी परमोशन गलत तरीके से हुई है तो वहां की कमेटी ने उसे डिमोट कर दिया और डिमोट करने के बाद जब वह विभाग के पास गई तो पता नही विभाग ने उस पर कैसी कार्रवाई की और उसे फिर से कुछ दिन पहले सहायक सचिव बना दिया। यह जो फ्रोड हुआ है, उसकी लिखित कार्रवाई विभाग के पास भी है। परंतु विभाग बार-बार डिमोशन की बजाय उसे परमोशन दे रहा है जो मेरी समझ से परे है। लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है इस वजह से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों 10-15-20-20 लाख रुपये तक पेडिंग है उनके नाम की लिस्ट मेरे पास है। मैं कुछ लोंगो का नाम इस सदन के में लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इसे सभापटल पर रख दीजिए।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसे सदन के पटल पर रखता हूंः-

21.12.2024/1215/बी0एस0/ए.जी.-2

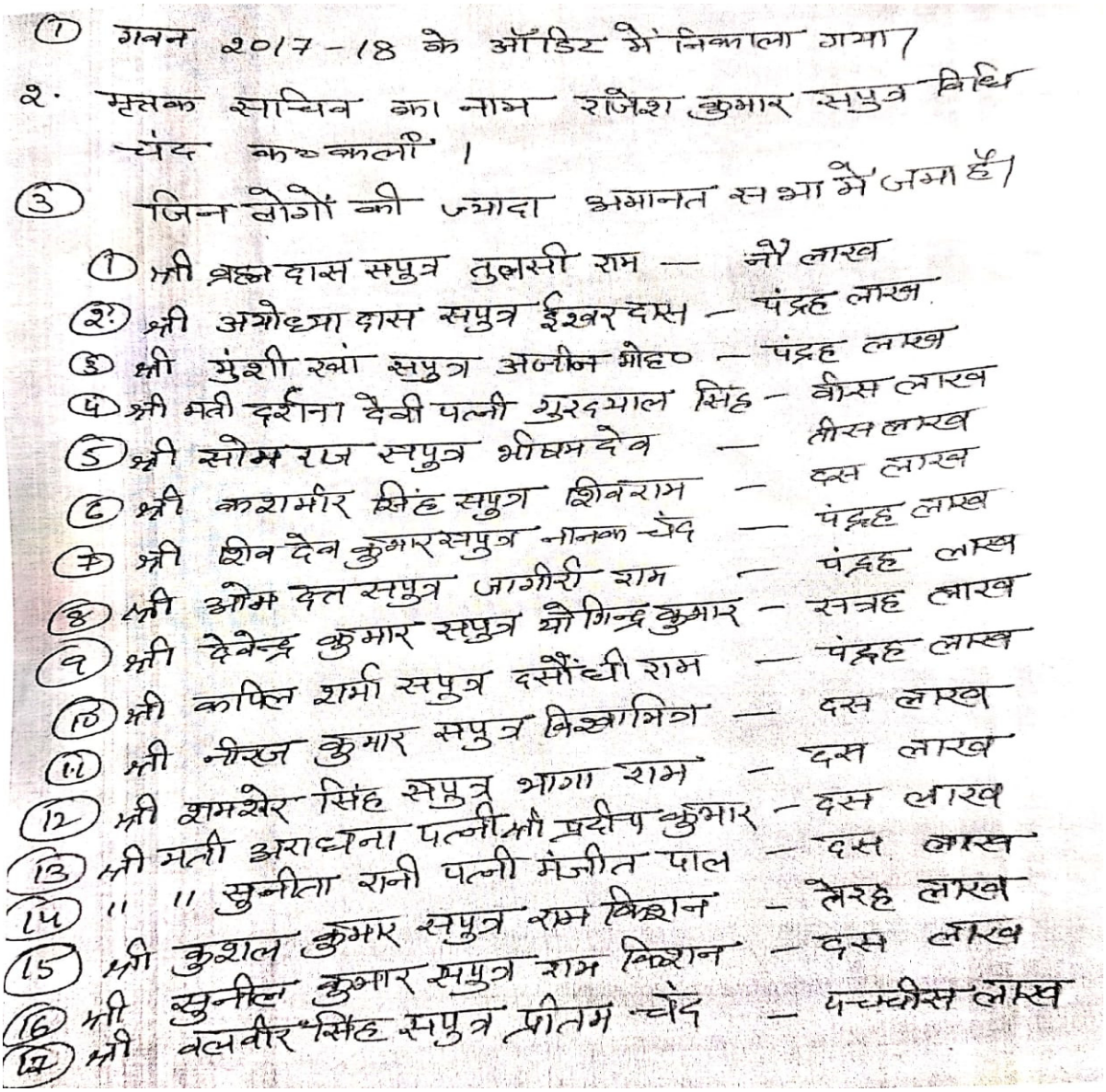

(1) गबन 2017-18 के ऑडिट में निकाला गया।
2. मृतक सचिव का नाम राजेश कुमार सपुत्र बिधि चंद कककाली।
(3) जिन लोगों की ज्यादा अमानत सभा में जमा है।
(1) श्री ब्रह्म दास सपुत्र तुलसी राम — नौ लाख
(2) श्री अयोध्या दास सपुत्र ईश्वर दास — पंद्रह लाख
(3) श्री मुंशी खां सपुत्र अजीज मोह0 — पंद्रह लाख
(4) श्री मती दर्शना देवी पत्नी गुरदयाल सिंह — बीस लाख
(5) श्री सोम राज सपुत्र भीष्म देव — तीस लाख
(6) श्री कशमीर सिंह सपुत्र शिव राम — दस लाख
(7) श्री शिव देव कुमार सपुत्र नानक चंद — पंद्रह लाख
(8) श्री ओम दत्त सपुत्र जागीरी राम — पंद्रह लाख
(9) श्री देवेन्द्र कुमार सपुत्र योगिन्द्र कुमार — सत्रह लाख
(10) श्री कपिल शर्मा सपुत्र दसौंधी राम — पंद्रह लाख
(11) श्री नीरज कुमार सपुत्र विश्वामित्र — दस लाख
(12) श्री शमशेर सिंह सपुत्र भागा राम — दस लाख
(13) श्री मती अराधना पत्नी श्री प्रदीप कुमार — दस लाख
(14) " " सुनीता रानी पत्नी मंजीत पाल — दस लाख
(15) श्री कुशल कुमार सपुत्र राम किशन — तेरह लाख
(16) श्री सुनील कुमार सपुत्र राम किशन — दस लाख
(17) श्री बलवीर सिंह सपुत्र प्रीतम चंद — पच्चीस लाख

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उप मुख्य मंत्री इस में विभाग पर कार्रवाई करें। विभाग इस तरह के काम क्यों कर रहा है? यदि सोसाइटी का हर वर्ष ऑडिट होता है तो इतने बड़े फ्रॉड क्यों सामने आ रहे हैं? खास करके जो कटोर खुर्द सोसाइटी का विषय है,

इसमें लोगों का पैसा कब मिलेगा? मैं चाहता हूं कि जो दोषी हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। इसके लिए में उप मुख्य मंत्री जी से अनुमति चाहूंगा।

21.12.2024/1215/बी0एस0/ए.जी.-3

Speaker: Deputy Chief Minister, you want to intervene.

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कोआपरोटिव सोसाइटी में समय-समय पर अनियमिततएं होती हैं, उनमें से एक कटोर कोट का मसला यहां पर उठाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंप्यूटरीकरण है वह हिमाचल प्रदेश में देश से बहुत अग्रणीय चल रहा है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष में हमारी सभी सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण हो जाएगा और ये डिजिटल हो जाएंगी। अभी तक जो परमोट का सिस्टम था कि किसी के नाम के बारे में सोसाइटी ने कुछ भी लिख दिया, उससे निजात मिल जाएगी।

अध्यक्ष : उप मुख्य मंत्री जी, विशेषतौर पर इस इश्यू को देख लें।

उप मुख्य मंत्री : यह जो विशेष इश्यू है, ऐसे तीन-चार केसिज हुए हैं, उसमें हमने कमेटी की फॉरमेशन की है और वह अपनी रिकमेंडेशन दे रही हैं कि इन सोसाइटीज में क्या किया जाए? उसके अनुसार हम कद उठाएंगे।

अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र शौरी जी, be concise within one to two minutes.

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर एन.एच. 305 है। जो ओट से ले करके निहरी तक है। जो ओट से बंजार तक का क्षेत्र है उसकी बहुत दयनीय हालत है और आपदा के बाद उस सड़क में बहुत बड़े-बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और मलबा गिरा हुआ है। उसे अभी तक नहीं हटाया गया है। उसके साथ आम व्यक्ति वहां पर बहुत दुःखी है। यह मेरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र का मुख्य सड़का मार्ग है। वहां पर चाहे पर्यटक आ रहा है, चाहे आम लोग हैं वे सभी इस सड़के के कारण परेशान हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पैसा देने को तैयार

है लेकिन दो साल हो चुके हैं परंतु विभाग इसकी डी.पी.आर. नहीं बना पा रहा है। वहां पर टारिंग होनी है, हमने एज टू एज टारिंग बनाने के लिए विभाग से कहा लेकिन डी.पी.आर. दिल्ली नहीं पहुंच पाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एन.एच. के अधिकारी उस प्राक्कलन को जल्द-से-जल्द डी.पी.आर. बनाकर दिल्ली पहुंचाएं ताकि उस सड़क की टारिंग जल्दी हो सके और उस सड़क की दशा को सुधारा जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

21.12.2024/1220/dt/as.-1

शुन्य काल जारी...

Speaker: Hon'ble Member, your concerns will be executed through the Vidhan Sabha to the State National Highway Wing of HPPWD as well to the NHAI.

(शून्य काल में डॉ0 जनक राज द्वारा करूणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने के संबंध में उठाया गया मामला)

डॉ0 जनक राज: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूंगा चुनावों से पहले एक बात बहुत जोरों-शोरों से कही गई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो करूणामूलक आधार पर आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

अप्रैल 2024 में शिक्षा विभाग में जे0ओ0आई0टी0 के पद के लिए, जो करूणामूलक आधार पर थे, 28 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया और 20 लोगों को उस टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया गया। उनके नाम के आगे उनके तैनाती स्थान भी दर्शा दिए गये हैं । लेकिन इससे संबंधित फाइल अभी भी पेंडिंग पड़ी है। अभ्यर्थी दफ्तरों का बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। मैं सरकार से ये आश्वासन चाहता हूं कि सरकार उन जरूरतमंदों को

कब तक नौकरी देगी? क्योंकि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चूकि हैं और उस फाइल में सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के ही हस्ताक्षर होने हैं।

Speaker: I think the Hon'ble Education Minsiter is in the House, Hon'ble Education Minister do you want to intervene?

शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने शून्य काल के दौरान इस माननीय सदन में उठाया है, **यह मामला सरकार के संज्ञान में है और 24 तारीख को करूणामूलक आधार पर भविष्य में नियुक्तियां कैसें की जा सकती है, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई है जिसमें मैं व हमारे मंत्री मंडल के साथी श्री यादविन्द्र गोमा जी व श्री राजेश धर्माणी जी, जो इस सब-कमेटी के सदस्य हैं, वह इस बैठक में भाग लेंगे और शीघ्र इसके बारे में निर्णय लेंगे।**

21.12.2024/1220/dt/as.-2

(शून्य काल में श्री इन्द्र सिंह द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान नेरचोक के संबंध में उठाया गया मामला)

श्री इन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान नेकचोक की ओर आकृषित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान के लिए जो जगह चुनी गई थी त्रासदी के कारण वह जगह बह गई और भूमि बह जाने के कारण उक्त संस्थान के लिए स्थान को बदल दिया गया। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से अनुमति मांगी गई थी कि हमारे पास 200 बीघा भूमि मांडल माहौल में उपलब्ध है यह भूमि चरागाह-विला दरख्तान है और इस स्थान पर ये संस्थान खोला जाए। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस संस्थान को मांडल माहौल में खोला जाए। इस भूमि का सर्वे भी हो चूका है, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय भी वह भूमि देख चूके हैं और जो विश्वविद्यालय के उप-कुलपति हैं वह भी उस स्थान को देख चूके हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के

अधिकारी भी उस स्थान का सर्वे कर चूके हैं। लेकिन इस संस्थान को सुन्दरनगर में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूं कि यह केवल राजनैतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है। मेरा यही आग्रह है कि इस संस्थान को नेरचोक में ही स्थापित किया जाये।

अध्यक्षः आपके कन्सर्न विधान सभा ने भी नोट कर लिए and that has taken care of by the resepctive deaprtment also. You will find it on recording.

21.12.2024/1220/dt/as.-3

(शून्य काल में श्री विनोद सुल्तानपुरी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र कसौली के परवाणु में जल आपूर्ति सिस्टम के संबंध में उठाया गया मामला)

श्री विनोद सुल्तानपुरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय जल शक्ति का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के परवाणु में जल आपूर्ति सिस्टम की ओर आकृषित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो परवाणु क्षेत्र का जल आपूर्ति सिस्टम है वह वर्तमान में हिमुडा के पास है और हिमुडा जल आपूर्ति हेतु जो लोगों से चार्जिज कर रहा है वह बहुत महंगी दरों पर पानी वहां की जनता को उपलब्ध करवा रहा है। बरसात के बाद वहां पर बहुत बड़ा डेमेज हुआ और अभी इस जल आपूर्ति योजना को रिस्टोर नहीं किया जा सका है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से इस संबंध में आश्वासन चाह रहा हूं इन्होंने मुझे पहले भी कहा है कि जो जल शक्ति विभाग है वह जल आपूर्ति सिस्टम परवाणु को अडॉप्ट करने वाला है। क्योंकि अभी इस सिस्टम में जो मेकसिफ्ट हमनें किया है उसमें जे0सी0बी0 से खोदकर एक तलाब बनाया है। वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है

श्री एन.जी. द्वारा जारी

21-12-2024/1225/ए.एस.-एन.जी./1

श्री विनोद सुल्तानपुरी.....जारी

वहां पर सरकार के द्वारा 3-4 करोड़ रुपये दे दिया गया है। वहां पर रिपेयर इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि एक असमंजस यह है कि जल शक्ति विभाग इसे ओवरटेक करने वाला है या नहीं। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जल शक्ति विभाग इसे ओवरटेक करेगा। वहां पर सिवरेज़ के पार्ट को जल शक्ति विभाग ऑलरेडी ओवरटेक कर रहा है। यह केवल एक शिफ्टिंग का मामला है कि उसे पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग द्वारा ओवरटेक कर लिया जाए। धन्यवाद।

Speaker: This is the issue concerned with the Cantonment Board Kasauli. Firstly, you said that Abolition of Cantonment Board Kasauli but you are raising the issue of Water Supply System of Parwanoo.

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सर, मैंने दो इश्यूज़ दिए थे और my second issue is related to Cantonment Board of Kasauli, ये तो एक्ससेशन पर था।

अध्यक्ष : हमारे पास जो रिजस्टर्ड है वह तो 'Abolition of Cantonment Board in Kasauli' क्या आपका कंटोनमेंट पर कोई इश्यू है? यदि है तो उस पर भी बोलिए।

Shri Vinod Sultanpuri: Sir, actually what has happened हमारी तरफ से भारत सरकार को रिप्लाई गया है और उसके ऊपर अभी प्रोपर स्टडी नहीं हुई है। भारत सरकार इंफोर्स करना चाह रही है कि हमारा एरिया ज्यादा एक्सपैंड करके तथा हिमाचल सरकार

का क्या स्टैंड है कि हमें उन्हें कितनी लायबिलिटीज़ देनी हैं या नहीं देनी हैं और यदि देनी है तो कितनी देनी हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन क्षेत्र, डगशाई, सुबाथू और कसौली कंटोनमेंट एरियाज़ हैं। इनमें उनकी सोच यह है कि वे और अधिक एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। हम इसमें क्लैरिटी चाह रहे हैं कि हमारी सरकार की इसमें क्या प्रोपोज़ल है?

21-12-2024/1225/ए.एस.-एन.जी./2

Speaker : I think the Officials must have taken care of this issue. This pertains to all the Cantonment Boards that what is the latest position of the State Government vis-a-vis the Government of India in regard to the Cantonment Boards. They must inform the Vidhan Sabha also in this issue.

(माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा शून्य काल के दौरान उठाया गया विषय।)

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं अपने विषय में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1.20 लाख आबादी है। वहां पर लगभग 14000 परिवार पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70 से 75 हज़ार की आबादी केवल कृषि पर ही निर्भर है। हमारे क्षेत्र में दो मंडियां हैं, एक रियाली में और दूसरी फतेहपुर में। रियाली मंडी हिमाचल प्रदेश की नम्बर-1 मंडी है in terms of wheat procurement इस सीजन में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो highest procurement हुई है वह रियाली मंडी में ही हुई है। इस वर्ष जो धान की प्रक्योरमेंट हुई वह highest procurement और रियाली मंडी हिमाचल प्रदेश में तीसरे नम्बर पर रही है। यह दिखाता है कि कृषि पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है। मेरे क्षेत्र में

एक शाह नहर है। यदि हम उस नहर की कंडिशन देखेंगे और जब योजना आयोग को निति आयोग में बदला गया था तो हमारे जितने भी बड़े प्रोजैक्ट्स थे, उन सभी की देखरेख का जिम्मा प्रदेश सरकार पर डाल दिया गया था। पिछले 7-8 वर्षों से शाह नहर की repair & maintenance का हमारे पास कोई पैसा नहीं है। Major Repair & Maintenance Head के अंदर मेन कनाल की repair & maintenance है, दूसरा राइजिंग मेन की replacement, repair & maintenance है और तीसरा जो electrical equipment and pumping machinery है उसकी repair & maintenance की नितांत आवश्यकता है। इसका वैसे भी command area development सिर्फ 60 प्रतिशत तक ही हुआ है।

21-12-2024/1225/ए.एस.-एन.जी./3

मेरा पहला निवेदन यह है कि स्टेट हैड के अंदर कुछ-न-कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि हर वर्ष कम-से-कम 10-12 करोड़ रुपये अगले 3-4 साल तक हो और तभी जाकर हम किसानों के साथ न्याय कर पाएंगे। हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं लेकिन उस अन्नदाता को वापिस देने का समय आ गया है। हम सभी जानते हैं कि इस बार बरसात नहीं हुई है और गेहूं की फसल लगभग बर्बादी की कगार पर है। पहला निवेदन तो यही है कि स्टेट हैड के अंदर कुछ substantial fund उपलब्ध करवाया जाए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के फतेहपुर में एक ई.एन.सी. प्रोजैक्ट्स का दफ्तर था। इस ऑफिस का प्राइमरी टारगेट हमारे मुख्य प्रोजैक्ट्स, जैसे शाह नहर, सुखाहार और फिन्ना सिंह आदि, को मोनिटर करना था। पूर्व सरकार ने इस ऑफिस को फतेहपुर से उठाकर जिला मण्डी में स्थानांतरित कर दिया था। जब सिंचाई के सभी major projects in and around Fatehpur and erstwhile Nurpur Sub- division में हैं तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपया इस ई.एन.सी. के ऑफिस को वापिस

राइटफुल प्लेस, जोकि जिला कांगड़ा के अंदर ज्वाली, इंदौरा, नूरपुर या फतेहपुर है, में शिफ्ट करने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

Speaker : Your concerns have been taken care of.

शून्य काल समाप्त

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.2024/1230/केएस/डीसी/1

अध्यक्ष जारी---

अभी मेरे पास काफी विषय हैं जो आगे जा कर लिस्ट होंगे। जय राम ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषय ज़ीरो आवर में शामिल हो जाता तो अच्छा रहता। एक बहुत ही गम्भीर विषय है कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगलों का कटान इस स्तर पर हुआ है कि बालन के नाम पर लगभग 1500 ट्रक वहां पर एक स्थान पर इकट्ठा किए गए हैं। मेरे पास उसके फोटोज़ भी हैं (फोटो दिखाए गए) और अखबारों में भी इस बारे में न्यूज़ लगी है। बालन के नाम पर स्वाभाविक रूप से एक प्रोसिज़र रहता है, उसके मुताबिक फोरैस्ट डिपार्टमैंट उसकी कलैक्शन करता है। जिनकी जमीन है उनको प्रोसिज़र के माध्यम से परमिट दिया जाता है लेकिन इसमें जो हो रहा है, उसमें ऐसी-ऐसी स्पीशिज़ हैं जिनको काटा ही नहीं जा सकता। उसमें पीपल, आम और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको काट कर वहां पर ढेर लगा दिया गया है। मुझे आज सुबह जो उसके विडियोज़ प्राप्त हुए हैं, वह तो बहुत ही चिंता का विषय है। कम से कम 1500 ट्रक बालन के लकड़ी के वहां पर काटे गए हैं। उनको कौन काट रहा है, कौन ला रहा है, उसकी परमिशन है या नहीं, कोई नहीं जानता।

अध्यक्ष : वह प्राइवेट लैंड है या गवर्नमैंट लैंड है?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो बता रहा हूं कि धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह कलैक्शन की है। वह जगह बहरी गांव है। न्यूज़ लगी है कि "बहरी में हज़ारों टन लकड़ी के भंडार"। मैं यह जानना चाहता हूं कि कानूनी तौर पर वन विभाग का जो फ्यूल वुड को कलैक्ट करने के लिए एक प्रोसिज़र रहता है, अगर यह उस तरह से किया गया है तो भी हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा जो चिंता का विषय है, वहां के लोगों का कहना है कि इसमें कतई भी नहीं देखा ही जा रहा है। जो खड़ा पेड़ है उसको काटते जा रहे हैं और उसको काटकर वहां पर जमा करते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए जाएं और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राजनीतिक संरक्षण की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता।

21.12.2024/1230/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, इसमें दो इशूज़ है। अगर प्राइवेट लैंड है तो पर्मिसिबल स्पीशीज़ को परमिशन से काटा जा सकता है । नॉन पर्मिसिबल स्पीशीज़ नहीं काटी जा सकतीं। That is one issue. दूसरा है, गवर्नमैंट लैंड का। The issue is not clear. I will request the Hon'ble Chief Minister to take care of it.

श्री जय राम ठाकुर : सर, इसमें गवर्नमैंट और प्राइवेट लैंड सभी जगह से इन्क्लूडिंग है । यह बहुत ज्यादा है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी तुरंत इसकी जांच करवाएं। जांच में अगर यह गलत पाया जाता है, वैसे तो गलत ही है क्योंकि जो स्पीशीज़ नहीं काटी जा सकतीं, उसके बावजूद भी अगर उनको काटा जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वे फोरैस्ट लैंड से काटे गए हैं या प्राइवेट लैंड से काटे गए हैं। जो पर्मिसिबल नहीं है, वह नहीं है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो कहा है, यह बड़ा गम्भीर विषय है और जंगल कट रहे हैं, सत्ती जी ने भी चर्चा के दौरान इस बारे में कहा था। निजी भूमि में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर सात पेड़ कटते हैं तो उसको कम दिखाया जा रहा है। जैसे जय राम

जी ने धर्मपुर की बात की कि प्रतिबंधित पेड़ भी कट रहे हैं। **हमने आम, पीपल, बड़ या अन्य कई पौधों पर प्रतिबंध लगाया है, अगर वे कटे पाए जाएंगे तो इन्क्वायरी का विषय बनता है हम इस पर इन्क्वायरी करेंगे और इसमें दो राय नहीं है। गलत करने वाले को हमारी सरकार किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देगी।** दूसरे, जो हम निजी भूमि से लकड़ी काट रहे हैं, कई जगह मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा है। अपनी भूमि से पेड़ काटकर जो कटानी आते हैं, उसके बाद वे सारी लकड़ी फ्यूल वुड के रूप में, हिमाचल में तो वह इस्तेमाल नहीं होती, वह सब पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। इस विषय पर भी मैं अधिकारियों से चर्चा करुंगा कि उसको कैसे रैगुलेट किया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.24/1235/av/dc/1

मुख्य मंत्री----- जारी

मैं अपने अधिकारियों से इस विषय पर भी चर्चा करूंगा कि उसको कैसे नियमित किया जाए। यह बात सही है कि **उसमें अगर आम इत्यादि के पेड़ कटेंगे तो हमारी सरकार उसको गंभीरता से लेते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी।**

अध्यक्ष : आप सभी को पता है कि रोड वाइडनिंग हुई और ज्वालामुखी के ईर्द-गिर्द आम, जामुन तथा अर्जुन इत्यादि सारे पेड़ कटे हैं। वे एन0एच0ए0आई0 और एन0एच0 ने काटे हैं। They were the protected species और ये प्रोटैक्टिव स्पीशिज वर्ष 2003-04 में नोटिफाई हुई थी। This is the right decision given by the Hon'ble Chief Minister. But in any cases somebody in private land wants to fell trees then he is at liberty; unless it is not the protected species. माननीय राजस्व मंत्री जी, बोलिए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जीरो आवर शुरू किया है जोकि बहुत अच्छा और एक ऐतिहासिक फैसला है। यह जीरो आवर पिछले कल से शुरू हो चुका है और आज भी बहुत

सारे माननीय सदस्यों को जीरो आवर के अंतर्गत अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय रखने का मौका मिला है। लेकिन जीरो आवर खत्म हो गया और बहुत सारे माननीय सदस्यों के विषय रह गए परंतु उसके बावजूद आप नेता प्रतिपक्ष को नियमों से हटकर समय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए आपको अलग से एक जीरो आवर बनाना पड़ेगा। हमारे मुद्दे रह जाते हैं। ...(व्यवधान) ये लोग नियमों से बाहर जाकर नहीं बोल सकते। इनको भी नियमों के अंदर ही बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) हरेक के लिए नियम है और नियम सबके ऊपर लागू होता है। ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी, आप पर भी नियम लागू होता है। ...(व्यवधान) ये लोग किसी नियम को मानते ही नहीं है। अगर इनका मुद्दा इतना ज्यादा आवश्यक था तो ये उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत लाते। ...(व्यवधान) इनके लिए कोई नियम नहीं है और ये अपनी बात को जबरदस्ती रखते हैं तथा जब उस पर जवाब आता है तो फिर बाहर चले जाते हैं।

21.12.24/1235/av/dc/2

Speaker: I have permitted him. I have allowed it. ..(Interruption). नेगी जी, हमने आपके कंसर्न नोट कर लिए हैं। We have noted your concerns. I have permitted him to speak. ..(Interruption). Please take your seats. आज लास्ट डे है और मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने के लिए परमिशन दी हुई थी। Your issue has come. (Hon'ble Speaker stands on his seat)...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी, आपका इश्यू आ गया है। Please take your seats. ..(Interruption). नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट डे है, अब खत्म करते हैं। Please take your seats. ..(Interruption). मैं खड़ा हूं तो आप लोग तो बैठ जाओ। मैं तो खड़ा होता ही नहीं, कभी-कभी खड़ा होता हूं। प्लीज, बैठ जाओ। आज लास्ट डे है and I want to terminate the Business in the lighter mode. इसलिए सभी को मौका दिया गया। नेगी जी, आपका कंसर्न ठीक है लेकिन मैंने सोचा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष है तो शायद कोई अत्यन्त विषय होगा, इसलिए अनुमति दी है।

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-1

अध्यक्ष ... जारी

कई बार रूल्ज रिलैक्स करने पड़ते हैं in view of the situations. इसलिए यह दी गई है और छोटी-छोटी बातों को सीरियसली मत लिया करें। Let's take it in a lighter mode. ...(Interruption). Let's finish today's proceedings now. ...(Interruption) Please take your seats.

21.12.2024/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1) (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 2) हिमाचल प्रदेश सरकार, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 04.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.05.2017 को प्रकाशित;

(ii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 24.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.04.2018 को प्रकाशित;

(iii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) तृतीय संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी0(एफ)6-14/2014-

भाग-I, दिनांक 05.03.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2022 को प्रकाशित;

(iv) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) चतुर्थ (चौथा) संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 10.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2022 को प्रकाशित;

(v) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) पांचवां संशोधन नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-

बी0-एफ(6)-14/2014-भाग-III, दिनांक 26.09.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.10.2024 को प्रकाशित;

21.12.2024/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-4

(vi) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), और धारा 15(क) और धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधन) नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी0(एफ)6-31/2016-II, दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.12.2021 को प्रकाशित;

(vii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि से निकाले गए या वहन किए गए या निकलवाए गए या वहन करवाए गए किसी खनिज को तथा इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी औजार,

उपकरण,यान या किसी अन्य वस्तु को, अभिगृहित करने के लिए अधिकारियों को सशक्त/प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित;

(viii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित; और

(ix) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप- धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 18.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.12.2021 को प्रकाशित।

21.12.2024/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 94वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 95वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 162वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

3. समिति का 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 165वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

4. समिति का 194वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने 230वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और

5. समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने 279वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

21.12.2024/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-6

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उप-मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अगर चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। Shri Randhir Sharmaji, yesterday, I rated you as one of the best legislators so, please confine to the issue only so that we can finish all this business.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री नैना देवी जी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल/सिंचाई सुविधा में हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में यह सदन विचार करे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की लगभग 80 स्कीमें हैं और 18 सिंचाई की स्कीमें हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण चंगर एरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट है जो वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुआ था और उस समय उस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आया था। उस प्रोजैक्ट से हमारी लगभग दो हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। परंतु इस बार एक तो भगवान जी की मार है और बारिशें कम हो रही हैं। दूसरी ओर इस सरकार की मार है। आज इन दोहरी मार के कारण मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र जुझ रहा है। हमारे क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई की योजना के कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज हर पंचायत से हररोज पीने के पानी की समस्या को लेकर फोन आ रहे हैं। सिंचाई की योजना के जो प्रोजैक्ट्स हैं वे तो इस बार लगभग सभी बंद हैं। मैंने इसके बारे में कई बार अधिकारियों से भी बात की और हमारे क्षेत्र में जो 'दिशा' की बैठक होती है उसमें भी इसके बारे में बात की । परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि यह बिखरा हुआ क्षेत्र है और बिखरे हुए क्षेत्र में स्कीमें ज्यादा हैं। उन स्कीमों में पहली कमी तो यह है कि स्टाफ नहीं है। मैं पिछले एक साल से विधान सभा के हर सत्र में बात कर रहा हूं कि जल शक्ति विभाग में जे0ईज0 के अधिकतर पद खाली हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उप-मुख्य मंत्री जी से मिला था और इन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

21-12-2024/1245/एन0एस0-एच0के0/1

श्री रणधीर शर्मा------ जारी

उसके बावजूद भी मात्र एक जे0ई0 आया। आज स्थिति यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 जे0ई0 के पदों में से 7 पद खाली हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र में 12 में से 7 पोस्टें खाली पड़ी हों, वहां पीने के पानी की स्थिति क्या होगी, आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। वहां पर एक एस0डी0ओ0 भी नहीं है। इसके अलावा अगर फील्ड स्टॉफ की बात करें तो वर्तमान में 52 पदों में से 6 पद खाली हैं। इसके लिए विभाग कह रहा है कि स्कीमें इतनी बन गई हैं कि इनको चलाने के लिए 40 पोस्टें और चाहिए। फीटर की 25 में से 22 पोस्टें खाली हैं और विभाग 15 और पोस्टों की मांग कर रहा है। बेलदार की 119 में से 73 पोस्टें खाली हैं। हैल्पर के 107 में से 82 पद खाली हैं। अब फील्ड स्टॉफ की इतनी पोस्टें खाली हैं तो इसका किसको दोष दें? यह बात ठीक है कि पद भरने में समय लगता है लेकिन प्रोसैस तो शुरू हो। इस सरकार ने दो वर्षों में पदों को भरने का प्रोसैस भी शुरू नहीं किया। जो पंप ऑपरेटर आदि के पदों को भरने का कार्य शुरू किया है तो उसकी मेरे क्षेत्र के लिए बहुत कम पोस्टें हैं और ये प्रोसैस अभी भी पूरा नहीं हुआ। इसकी भरपाई करने के लिए जल शक्ति विभाग ने आउटसोर्स करने का नया ढंग निकाला है। ...(व्यवधान) ये हमारे समय से ही है। स्कीमों को मैंटेनैंस एंड ऑपरेशन के नाम पर ठेकेदारों को दिया जा रहा है। वे ठेकेदार मैंटेनैंस एंड ऑपरेशन के नाम पर उसमें कुछ आदमी भी रखते हैं, चाहे वे पंप ऑपरेटर, फीटर, बेलदार और हैल्पर हों। हैल्पर्ज को आउटसोर्स के माध्यम से कह लीजिए, ये ठेकेदारों के माध्यम से रखे जाते हैं। वर्तमान सरकार आई पिछले ठेकेदारों को हटाया गया। नई व्यवस्था और नए रूल्ज आए। आपने उस मैंटेनैंस ऑपरेशन पर ठेकेदारों को स्कीमें दीं, उसमें कहा कि आप पार्ट टाइम वाटर गार्ड रखिए। उनको एक घंटे के 67 रुपये देंगे। अब अगर किसी ठेकेदार को आपने 10 आदमी रखने का काम दिया तो वह पार्ट टाइम 3-4 घंटे काम करेगा। उसमें अपना कमीशन ठेकेदार भी रखेगा। मजदूर को मात्र 60 रुपये एक घंटे काम करने के मिलते हैं। अगर दिन में 3-4 घंटे काम करता है तो आप अंदाजा लगाएं कि महीने में 3500-4000 रुपये मिलते हैं। पिछली सरकार के समय में

उनको 5500 रुपये मिलते थे लेकिन वर्तमान सरकार में 4000 रुपये मिलते हैं। अब वे भी सच्चे हैं और कहते हैं कि 4000 रुपये से हमारा मोबाइल का खर्च ही पूरा नहीं होता है। वे और काम भी करते हैं। उन्होंने भी परिवार को पालना है। इसलिए पहले अगर 3-4 घंटे

21-12-2024/1245/एन0एस0-एच0के0/2

पूरा समय कोई रहे तब भी जितना विस्तृत हमारा क्षेत्र है और जितनी भी स्कीमों के टैंक बने हैं तो उन टैंकों पर 4 घंटे में पहुंचना संभव ही नहीं है। फिर टैंकों के बाद भी सप्लाई होनी है, कहीं पर व्हील लगने हैं और कहीं पर व्हील चेंज होने हैं तो ये काम पोसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति 3-4 घंटों में कर दे। अध्यक्ष महोदय, उसमें भी पेमैंट नहीं हो रही है। उन लोगों को 13 महीने का समय काम करते हुए हो गया लेकिन अभी तक पेमैंट नहीं दी। किसी को 13 महीने, किसी को 6 महीने का समय हो गया है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आया। हम ठेकेदारों को कहते हैं तो वे बोलते हैं कि हमें पेमैंट नहीं मिली। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंटेनैंस एंड ऑपरेशन हैड के तहत 4 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। जब यह पैसा ही नहीं जाएगा तो जो ठेकेदार के माध्यम से जो पार्ट टाइम आउटसोर्स पर रखे गए हैं तो उनको कहां से तनख्वाह मिलेगी? जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वे काम क्यों करेंगे? इसलिए यह बहुत गंभीर समस्या है और इसका समाधान सरकार शीघ्र करे। सरकार इस राशि को तुरंत जारी करे ताकि जो काम कर रहे हैं उनको पेमैंट हो सके। दूसरा, इस पर पुनः विचार किया जाए कि पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कर्मचारी रखे जाएं। उनको कम-से-कम इतनी तनख्वाह दें कि वे अपना परिवार पाल सकें ताकि निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। आप मामूली तनख्वाह देंगे और उस पर सोचेंगे कि वे काम कर देंगे तो ऐसा पोसिबल नहीं है।

आर0के0एस0 द्वारा जारी

श्री रणधीर शर्मा....जारी

तो ऐसा संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह इसका प्रमुख कारण है। दूसरा, विभागों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जब हम जल शक्ति विभाग से मोटर न चलने का कारण पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें बिजली की सप्लाई नहीं आई और जब बिजली विभाग से इसका कारण पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि कट लगने की वजह से बिजली गुल थी। अगर बिजली विभाग पहले ही जल शक्ति विभाग को यह बता दें कि इस समय कट लगना है तो बाकी समय मोटर चलाकर पानी के टैंक भरे जा सकते हैं। चार दिन तक यही बहाना लगाया जाता है कि बिजली का कट लगा था। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में अपग्रेडेशन का काम चला हुआ है जिसमें कई जगह पाइपलाइन टूट जाती हैं। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि फलां जगह पाइप टूटी है। जब लोग मुझे फोन करते हैं तो विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि पाइप टूटने की वजह से फलां जगह पानी नहीं आ रहा है। अब कर्मचारी भी क्या करें क्योंकि एक जे.ई. के पास 3-3 सैक्शन का कार्यभार है। मेरा उप-मुख्य मंत्री से आग्रह है कि आप इस विषय पर भी चिंता करें। कई जगह यह भी कहा जाता है कि मोटर रिपेयर होने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार हर जगह दो-दो मोटरें उपलब्ध होती हैं। जब एक मोटर खराब होती है तो दूसरी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब दोनों ही मोटरें खराब हो जाएं तो इसका मतलब आपने मोटर की रिपेयर ही नहीं करवाई। जब मोटर रिपेयर वाले को पेमेंट ही नहीं होगी तो मोटर कैसे ठीक होगी। यह भी एक गंभीर समस्या है जिसके कारण कई योजनाएं एक सप्ताह या 10-10 दिन तक बंद रहती है। मां नैना देवी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं लेकिन वहां आए दिन पानी की समस्या रहती है। आपके पास मंदिरों का विभाग भी है और आपको इस दृष्टि से भी चिंता करनी चाहिए ताकि इस विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या का हल हो सके। लम्बाई की दृष्टि से मेरा विधान सभा क्षेत्र प्रदेश का सबसे लम्बा क्षेत्र है। यह क्षेत्र पंजाब

बोर्डर से शुरू होकर अर्की व दाड़लाघाट मोड़ तक टच होता है। मेरे क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का डिविजन नहीं है। मैंने पूर्व सरकार के समय जल शक्ति विभाग का डिविजन मांगा था जिसका उद्घाटन कर 6 महीने तक काम भी चल पड़ा था। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार सत्ता में आई उस डिविजन को डिनोटिफाई कर दिया गया।

21.12.2024/1250/RKS/वाई के/-2

हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि उस डिविजन को बहाल किया जाए। जब वहां पर Xen बैठेगा तो निश्चित रूप से उसका ध्यान इस विधान सभा क्षेत्र के कार्यों पर रहेगा जिससे पानी की समस्याओं का समाधान होगा। मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री, देहरा व अन्य विधान सभा क्षेत्रों में जो डिविजन खोले गए हैं हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री नैना देवीजी विधान सभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है इसलिए वहां डिविजन नहीं खुलेगा यह कहां का व्यवस्था परिवर्तन है। क्या यही आपका नीड बेस्ड फॉर्मूला है? आप 80 हजार या एक लाख आबादी का क्राइटेरिया बता रहे हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो पहले से ही एक लाख आबादी है। वह आबादी बिखरी हुई है। आपके जो नीड बेस्ड पैमाने हैं अगर वहां राजनीति नहीं हैं तो वहां जल शक्ति विभाग का डिविजन खुलना अति अनिवार्य है। दूसरा, वहां JEs के 12 स्वीकृत पदों में से 7 पद रिक्त पड़े हैं। मैं देख रहा था कि जहां-जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां सारी पोस्टें भरी हैं। क्या आप इन पदों को राजनीतिक आधार पर भरेंगे? क्या हम पानी पीने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? अगर आपके पास JEs कम हैं तो आप हर डिविजन में एक-एक या दो-दो JEs कम कर सकते हैं। जहां कांगेस के विधायक हैं वहां सारी पोस्टें भरी हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां पोस्टें खाली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 में से 7 JEs के पद खाली पड़े हैं। उप-मुख्य मंत्री जी हम आपको बड़ी उच्च टीम में देखते हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आप क्षमतावान हैं और आप यह सब करना भी चाहते हैं लेकिन आपको या तो करने नहीं दिया जा रहा है या फिर आप ढीले पड़ गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरी चिंता नहीं करनी है तो आप अपनी बहन की चिंता जरूर करें।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1255/बी0एस0/वाई.के.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

वह बयाह करके हमारे क्षेत्र में आई है। इसलिए इस विधान सभा क्षेत्र की चिंता कीजिए। जो मैंने बातें कहीं हैं, उन्हें सरकार पूरा करें। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो सर्दियां हैं जब गर्मियां आएंगी तो लोग सड़कों पर आएंगे, फिर मत कहना कि आपने समय पर नहीं बताया। इसलिए मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं कि यह जो हमारी समस्या है, इसका समय रहते समाधान करने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए जाएं और जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाए और मेंटेनेस ऑपरेशन्ज की राशि जारी की जाए। जो आउसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जो हमारा सिंचाई का प्रोजैक्ट है, अभी गेंहू की फसल है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker : Now the reply will be given after lunch. The House adjourned for lunch break and we will reassemble at 2 O'clock.

21.12.2024/1400/dt/ag.-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब माननीय उप-मुख्य मंत्री नियम-62 के तहत हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी ने नियम-62 के तहत अपने विधान सभा क्षेत्र की पानी की समस्या का मसला उठाया है। श्री रणधीर शर्मा जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि सब काला ही काला है जबकि ऐसा नहीं है। इनका निर्वाचन क्षेत्र मां नैना देवी जी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सच ही बोलते जाएं। इन्होंने मध्यम सिंचाई योजना चंगर

क्षेत्र की बात की है। आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल में धवट नामक स्थान पर पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश को 25 क्यूसिक पानी सिंचाई के लिए समझौता हुआ था। आप जो पानी की बात कर रहे हैं आपने इसका सारा दोषरोपण विभाग पर लगा दिया जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर रेलवे का काम चल रहा है जिस वजह से बहुत तोड़-फोड़ हुई है। जो रेलवे से नुकसान हो रहा है विभाग उसे ठीक करने में लगा है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

21-12-2024/1405/ए.जी.-एन.जी./1

उप मुख्य मंत्री.....जारी

वहां पर सड़क का काम भी चल रहा है और उससे भी नुकसान हो रहा है। इन दोनों कार्यों से बहुत नुकसान हुआ है लेकिन हमारे विभाग ने इसे किसी भी तरह चला कर रखने के लिए बहुत मेहनत की है।

माननीय सदस्य ने श्री नैना देवीजी के लिए कोटखाह से चलने वाली योजना के बारे में भी कहा है। इन्होंने कहा कि वहां पर आसपास पानी की बहुत किल्लत है और बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हुं कि वहां पर बिलकुल सुचारू रूप से काम चल रहा है। वहां पर केवल फ्लोटिंग जनसंख्या के कारण दिक्कत आ सकती है क्योंकि किन्हीं विशेष दिनों में वहां पर 40 हज़ार से लेकर 70 हज़ार तक लोग पहुंच जाते हैं जिस कारण पानी की खपत बढ़ जाती है। अन्यथा वहां की पांच ग्राम पंचायतें और श्री नैना देवीजी शक्तिपीठ क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है क्योंकि वहां की योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि ये सब आपने नहीं किया और ये तो मैंने अपने समय में करवाया था। मैं इन्हें बताना चाहता हूं श्री नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र में पानी के लिए पर्याप्त परियोजनाएं हैं। वहां पर फोरन फंडिंग के माध्यम से लगभग 70 करोड़ रुपये की योजना बन रही है और उसका कार्य लगभग 55 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। इसके अलावा वहां पर ए.डी.बी. के माध्यम से भी लगभग 30 करोड़ रुपये के कार्य

किए जा रहे हैं। वहां पर लगभग 40 करोड़ रुपये से शिवा प्रोजैक्ट का काम चल रहा है। जिसमें 16 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये की दो योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा नाबार्ड के काम भी चले हुए हैं। माननीय सदस्य को हमने इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विस्तार से जबाव दिया है।

माननीय सदस्य ने बिजली से संबंधित बात कही है और इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब-जब भी पानी की कमी होती है तो उसकी पृष्ठभूमि में बिजली है। जब कभी प्रोपर बिजली नहीं आती तो पानी के टैंक्स नहीं भर पाते और उसकी वजह से पानी के लिए हो-हल्ला होना शुरू हो जाता है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि विभागों में आपसी तालमेल होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि बिजली विभाग के साथ तालमेल बिठा पाएं।

21-12-2024/1405/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के पूरे विधान सभा क्षेत्र को अच्छे से स्टडी किया है। माननीय सदस्य का असली दर्द डिविजन व स्टाफ का न होना है। इन्हें लगता है कि सिरमौर जिला में माननीय सदस्या, श्रीमती रीना कश्यप जी, मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री और कुछ अन्य विधायकों को तो डिविजन मिल गए हैं लेकिन इन्हें अभी तक नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, हम हर विधान सभा क्षेत्र में डिविजन देने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रदेश में अब केवल 4-5 विधान सभा क्षेत्र ही शेष हैं जिनमें अपना डिविजन नहीं है। इनमें हमारे दामाद (श्री रणधीर शर्मा जी की ओर देखते हुए) भी फंसे हुए हैं और **इन्हें भी डिविजन देना है। इसके अलावा सुजानपुर, सुंदरनगर, बल्ह और डलहौजी विधान सभा क्षेत्र को भी डिविजन देना है। माननीय सदस्य की परियोजना से सिद्धांतिक रूप से we are in agreement. मुझे लगता है कि अगले वर्ष बजट के बाद यह सारा मसला हल हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि बजट में ही इसका प्रावधान कर दें** और सभी विधान सभा क्षेत्रों में अपना डिविजन हो जाए। ऐसा नहीं है कि माननीय सदस्य को ही टारगेट करने के लिए डिविजन पर कोई फैसला किया गया। **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इन सभी 4-5 विधान सभा क्षेत्रों में डिविजन्ज़ खोलना चाहते हैं।** ताकि कोई भी एम.एल.ए. एक-दूसरे के विधान सभा क्षेत्र में दखल न कर पाए। किसी भी माननीय

विधायक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास ऑफिस नहीं है और मुझे दूसरे विधान सभा क्षेत्र के एक्स.ई.एन. को बोलना पड़ता है। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। आपने जो आऊटसोर्स के बारे में कहा है और हम तो पहले से ही चाह रहे हैं कि आऊटसोर्स को कम-से-कम किया जाए। आपने बेलदार की पोस्टों की बात की।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.2024/1410/केएस/एएस/1

उप-मुख्य मंत्री जारी---

बेलदार वगैरह तो अब आउटडेटिड मसला हो गया है। उस वर्ग को चार्ज किया जाता था जब उस समय उसमें विभाग के लिए 35 हजार कर्मचारी हुआ करते थे लेकिन आपकी सरकार के समय में वह योजना बनाई गई जिसमें पैरा फिटर और दूसरे कर्मचारी रखने का प्रावधान किया गया है। वे लगभग नियमित कर्मचारी की तरह ही हैं। 8 साल के बाद उनको रैगुलर करना है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आने वाले समय में हम उनको रैगुलर स्कीम से रीप्लेस कर देंगे। आपने कहा कि मुझे आपने 20 ही पोस्टें दी हैं। मैं पता करुंगा कि आपके वहां पर कितनी कमी है और उसको अगर बढ़ाया जा सकता होगा क्षमता के मुताबिक हम बढ़ा देंगे लेकिन पानी का विभाग किसी एक पार्टी का विभाग नहीं है। यह कांग्रेस, बी.जे.पी., कम्युनिस्ट, बस्पा या आप पार्टी, किसी भी पार्टी का विभाग नहीं है। यह आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। सभी को पानी देना है। विभाग की आय शून्य है। यह इतना बड़ा विभाग है जो कि पानी पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है लेकिन उसकी आय कोई नहीं है। थोड़ा सा हम करने लगते हैं तो जय राम जी शोर मचाने लग जाते हैं कि यह टैक्स लगा दिया, वैसा टैक्स लगा दिया। हमारी पब्लिक पर ऐसा कोई टैक्स लगाने की कोई मंशा नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि यह बहुत बड़ा विभाग है और इसकी कुछ तो आय होनी चाहिए। ऐसा विभाग जो सभी को घर तक पानी देता है, उसकी इनकम कुछ भी नहीं है। तभी हमने कहा था कि प्रत्येक

परिवार से 100 रुपये बिल के रूप में लिए जाएं। लोग तो मना भी नहीं करते लेकिन नेता प्रतिपक्ष शोर मचा देते हैं और इनका काम भी है और अगर हम भी इनकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसा ही शोर मचाते। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नैना देवीजी चुनाव क्षेत्र में पानी का बहुत काम हुआ है और वहां के लिए पानी का बहुत पैसा है। अभी भी जो काम चल रहे हैं, पैसे की वहां पर कोई कमी नहीं है। जो एक्सिअन और एस.ई. हैं, इनको आदत पड़ी हुई है। उनका काम तो काम करवाना है। वे विधायक के पास जाते हैं कि 3 करोड़ रुपये की लायबिलिटी खड़ी हो गई। अरे, आपका काम तो काम करवाना है, आप जा कर विधायक को क्यों बोल रहे हो? सभी विधायक अपने-अपने एक्सिअन से फीड बैक ले कर आते हैं जबकि उनका कोई सरोकार नहीं है। यह विभाग का आंतरिक मामला है।

21.12.2024/1410/केएस/एएस/2

विधायक का काम है कि वह कहे कि मेरा यह काम करवा कर दो। बाकी ठेकेदार के भुगतान का काम विधायक का नहीं है। वह तो हम देखेंगे और हमने मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह किया है, हम फाइनेंस से भी डिस्कस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको अब मेंटिनेंस का पैसा बढ़ाना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हर जगह खड़ा कर लिया अब आपके पास मेंटिनेंस को पैसा नहीं है। बिल्डिंगें बनती हैं उसके बाद उनकी मेंटिनेंस का पैसा नहीं है, उनमें सफेदी करने के लिए पैसा नहीं है। स्कीमें बन रही हैं। अभी पांवटा साहिब के विधायक बता रहे थे कि इनके वहां 175 ट्यूबवैल लगे हैं लेकिन बिजली का कनैक्शन नहीं लगा। स्कीमों के साथ अगर मेंटिनेंस का पैसा आएगा, आप सभी लोग भी कोशिश करें क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है। केंद्र हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है। जल-जीवन मिशन का पैसा हमें नहीं आ रहा है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का पैसा नहीं आ रहा है। जिन जगहों से हमें पैसा आ सकता है, वहां पर भी पैसा रुका हुआ है। मैं खुद भी केंद्र में मंत्री जी से तीन-चार बार मिल कर आया हूं। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी तक हमारी मदद नहीं हुई है। अभी

कुछ विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं लेकिन वह पैसा केंद्र से आना है। अभी इन्द्र सिंह जी ने एक प्रश्न लगाया था, वह पैसा तो केंद्र से आना है। जो पैसा केंद्र से आना है, उसमें आप सहयोग करें। हिमाचलियत सबसे ऊपर है, हिमाचल हम सभी के लिए सबसे ऊपर है। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। कल आप होंगे, परसों आपकी जगह कोई और होगा लेकिन प्रदेश के लिए जो मदद होनी चाहिए उसमें मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सहयोग दें। बाकी जो आपके मसले हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

21.12.24/1415/av/as/1

उप-मुख्य मंत्री----- जारी

मैं ब्लैंकेट आदेश देता हूं क्योंकि हमारे ऑफिसर गैलरी में बैठे हैं। हमारे विधायक साहब जो कह रहे हैं इनकी संतुष्टि के मुताबिक जो कुछ किया जा सकता है, वह करें। इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी डीविजन इसी बजट सत्र में खोलने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने इस वायदे को पूरा करेंगे। आपने बाकी सभी विषयों पर अपने विचार रखे हैं। मैंने जो स्टाफ के संदर्भ में विषय रखा है, आप शायद उसको मिस कर गए। जब जे0ईज0, फिटर और पम्प ऑपरेटर नहीं होंगे तो एक्सियन और एस0डी0ओ0 जितना मर्जी जोर लगा लें, काम नहीं होता। इसलिए 12 में से 7 जे0ईज0 का न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आप एक तो इसका विश्वास दिलाएं कि ये पोस्ट्स जल्दी भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपने कहा कि हमें एक्सियन बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जब आपके ठेकेदार के माध्यम से रखे गए कर्मचारी से यह पूछते हैं कि आपने पानी क्यों नहीं छोड़ा तो वह कहता है कि मुझे तो कई महीनों से तनख्वाह ही नहीं मिली है, मैं क्या करूं? उसके बाद अगर ठेकेदार से पूछा जाए तो वह कहता है कि मुझे विभाग से ही पेमैंट नहीं मिली है। फिर आगे

विभाग कहता है कि हमें तो पीछे से ही पैसा नहीं आया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन देनदारियों को क्लीयर करें क्योंकि ये लोग बहुत कम सैलरी यानी 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये पर काम कर रहे हैं। उनको तो कम-से-कम हर महीने सैलरी मिले, आप इस बात का भी आश्वासन दें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के लगभग 18-19 हजार कर्मचारी हैं। हम अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से तनख्वाह दे रहे हैं। उसमें कोई लैप्स नहीं है। अब अगर ठेकेदार के मुलाज़िम हैं और उन्होंने वे किसी पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के लिए लगाए हैं तथा उसने आगे पैसा नहीं दिया तो यह मसला उस ठेकेदार व उन लोगों के बीच का है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि विभाग पेमैंट नहीं कर रहा है। विभागीय कर्मचारियों को सब जगह पैसा जा रहा है। आपके समय में विभाग में जो 5000 भर्तियां हुई थीं और कुछ भर्तियां हमारे समय में हुई हैं, उन सबको पैसा जा रहा

21.12.24/1415/av/as/2

है। आपका कंसर्न ठेकेदार से है और जब आप बात कर रहे थे तो **मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी। मैंने इनको भी कहा कि आप अगले वर्ष मेंटेनैंस में बजट बढ़ाए। मैंने इनसे आग्रह किया कि हमारे केवल चार निर्वाचन क्षेत्र बचे हैं जिनमें अब एक्सियन्ज नहीं हैं बाकी पूरे प्रदेश में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिए अगले बजट में प्रोविजन्स करेंगे।** हमारा राजनीति से प्रेरित महकमा नहीं है। हम पूरे प्रदेश को सर्व करना चाहते हैं। **आपकी ही बात के बाद मैं और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे थे। हमने कहा कि जब तक जे0ईज0 भर्ती नहीं होते तब तक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि आप आउटसोर्स जे0ईज0 लगा लो। हम साथ-के-साथ सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हम इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे।**

21.12.24/1415/av/as/3

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के द्वारा बार-बार अखबारों के माध्यम से एक बात की जाती है। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इनका कहना है कि हमारी रैली में 25 करोड़ रुपये के करीब राशि खर्च हुई जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ...(व्यवधान) मैं आपको यह इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको भी पता चले कि व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हम कितनी कम राशि खर्च कर रहे हैं। आपने अपने प्रथम वर्ष के जश्न पर 3.56 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी। उसके बाद अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर आपने 4.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी। फिर चौथा वर्ष पूर्ण होने पर 13.34 करोड़ रुपये खर्च किए। उसके बाद स्टेट हुड के उपलक्ष में 75वां वर्ष मनाने पर आपने 28,42,63033/- रुपये की राशि खर्च की थी और 5वें साल आपने 4.49 करोड़ रुपये की राशि व्यय की थी।

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

जो सेकिंड ईयर था उसको मैं भूल गया था उसमें भी आपने दो करोड़ रुपये के करीब खर्च किया था। वर्ष 2023-24 में हमारी सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उस दिन वह जश्न नहीं था। मैंने उस दिन भी कहा था कि जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। हम उस दृष्टि से काम भी कर रहे हैं और वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश को समृद्ध व वीर राज्य बनाएंगे। ...(व्यवधान) सरकार में जब नीतिगत बदलाव होता है तो कुछ फैसले करने पड़ते हैं और हम नीतिगत बदलाव के फैसलों के

माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो दो वर्ष के कार्यकाल का समारोह था, क्योंकि पूर्व मुख्य मंत्री बार-बार कहते हैं कि 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जबकि हमने इसमें लगभग 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिसमें से लगभग 1.60 करोड़ के करीब एच0आर0टी0सी0 का खर्च होगा या इससे कुछ ज्यादा हो सकता है। अभी उसके बिल बनाए जा रहे हैं। हमने इसके लिए कुल 700 के करीब बसें लगाईं थीं, सिर्फ उन्हीं का खर्च है। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को अपनी गाड़ियों में लाकर हमारे इस समारोह को सफल बनाया गया है। इसलिए पूर्व मुख्य मंत्री जी इस समारोह में 25 करोड़ रुपया बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है और सीमित साधनों में ही खर्चा हुआ है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने की रिवायत किसी ने शुरू की है तो श्री जय राम ठाकुर जी ने ही की है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार का अंतिम साल था तो चुनाव की नोटिफिकेशन होने से 5 दिन पहले श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम मण्डी के पडल मैदान में किया गया था। जिसके ट्रांस्पोर्ट का 75 लाख रुपये का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आप प्रधानमंत्री जी का कंपेरिजन श्री राहुल गांधी जी के साथ कर रहे हैं। वे आज विपक्ष के नेता हैं लेकिन उस वक्त तो वे सिर्फ सांसद थे। इसलिए यह कंपेरजिन मत कीजिए। जहां पर आप आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो वे कार्यक्रम

21.12.2024/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

पूरे साल 68 विधान सभा क्षेत्रों में हुए हैं और स्वाभाविक रूप से वह सरकार का कार्यक्रम था तो उसमें खर्चा तो होना ही था। आपने जो आंकड़े दिए हैं, हम इनकी जांच करेंगे कि इस कार्यक्रम में सही मायने में कितना खर्चा हुआ है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार के समय में काम हुए हैं जबकि अबकी सरकार की दो साल की उपलब्धियां शून्य हैं।

अध्यक्ष : अब सुश्री अनुराधा राणा जी नियम-62 के तहत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और शिक्षा मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्या, यदि चाहे तो इसके बारे में चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण भी मांग सकती है।

सुश्री अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व की मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूं, मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि मैंने शून्य काल हेतु भी एक महत्वपूर्ण विषय दिया था लेकिन वह लिस्ट नहीं हो पाया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उस पर भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पहले नियम-62 के तहत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें यदि समय रहेगा तो उस पर भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

सुश्री अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत करवाना चाहती हूं कि 16 दिसम्बर, 2024 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना घटित हुई। यह घटना शाम के समय 6-7 बजे के बीच में घटित हुई और उस समय स्कूल में कोई भी नहीं था। इसमें चार कमरे बुरी तरह से जल गए और लाखों रूपये का नुकसान हुआ। इसमें लाईब्रेरी हाल और स्टाफ रूम भी शामिल हैं। मैं जल शक्ति विभाग का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि हमारे पास वहां पर फायरब्रिगेड का कोई भी सब-स्टेशन नहीं है

और न ही अग्नि विभाग का को कर्मचारी मौजूद है। इसलिए जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों, स्कूल के स्टाफ और ग्रामवासियों के सहयोग से उस आग पर काबू पाया गया।

इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन स्कूल के चार कमरे नष्ट हो गए और इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ। मैं प्रशासन और स्कूल के स्टाफ के भी सम्पर्क में थी कि

एन0एस0 द्वारा जारी .....

21-12-2024/1425/एन0एस0-डी0सी0/1

कुमारी अनुराधा राणा ------ जारी

वहां के प्रिंसीपल से भी मैं पूरे संपर्क में थी कि क्या स्थिति है? हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो तो इसके लिए जो इनिशिएटिव लिए जा सकते थे, वे लिए। वहां पर 4 कमरे पूरी तरह से जल गए थे और जो कमरे बचे हुए थे, वहां पर बच्चों को शिफ्ट किया गया क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे। वहां पर जे0ई0 का रेजीडैंस है और वहां पर भी बच्चों की क्लासिज लगवाई। मैं चाहती हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और इसके लिए हमें पहले तैयार रहना चाहिए। हमारा मुख्यालय केलांग है और काजा से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरा क्षेत्र पूरे प्रदेश में बड़ा जिला है। मेरे क्षेत्र में गांव दूर-दूर तक फैले हुए हैं। आजकल कुंजम टोप बंद हो चुका है। रोड ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर काजा में आग लगी है तो केलांग से आगे बुझाने के लिए गाड़ी जाए। मैं इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वर्ष 2022 में फायर सब-स्टेशन काजा व उदयपुर के लिए नोटिफिकेशन हुई थी लेकिन इसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया और न ही टेंपोरेरी शुरू किया गया। मैंने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि इसमें लैंड आईडैंटिफाइ नहीं हो पा रही थी। अब लैंड आईडैंटिफाई हो चुकी है तो सरकार से निवेदन है कि इसको टेंपोरेरी शुरू करवा दिया जाए। मैं लोक निमार्ण विभाग व होम गार्ड विभाग से भी संपर्क में हूं क्योंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा ही इसका रैंटल असैसमैंट दिया जाना था तथा ये सारी प्रक्रिया जारी है। मैं उम्मीद करती हूं कि इसको टेंपोरेरी शुरू कर दिया जाएगा। मेरा विशेष निवेदन मुख्यमंत्री जी से है कि भविष्य को देखते हुए काजा व उदयपुर में टेंपोरेरी सब-स्टेशन की बहुत आवश्यकता है। उदयपुर में इसे टेंपोरेरी शुरू कर दिया गया है और वहां

पर कर्मचारी भी तैनात हैं लेकिन वहां पर छोटी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। अगर दिन में कहीं आग लगती है तो उनकी बड़ी गाड़ी स्टार्ट होने व पहुंचने में पूरा दिन निकल जाता है। वहां के स्थानीय लोगों की स्वयं की भागेदारी रहती है। अगर आगजनी की घटना होती है तो वे लोग आग बुझाने में सबसे आगे रहते हैं। डिपार्टमैंट के पहुंचने से पहले आग कंट्रोल हो जाती है। इसलिए इस विषय को मद्देनजर रखते हुए मेरा विशेष निवेदन है कि छोटी गाड़ियां शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएं क्योंकि छोटी गाड़ियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता उदयपुर फायर सब-स्टेशन के लिए है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि काजा सब-स्टेशन के लिए बजट का शीघ्र प्रावधान किया जाए और परमानैंट फायर सब-स्टेशन वहां पर शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए।

21-12-2024/1425/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा यहां पर रखना चाहूंगी क्योंकि फायर में अधिकतम कर्मचारी होम गार्ड के हैं। मुझे लगता है कि होम गार्ड के जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है। हम जब जनजातीय जिलों की बात करते हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार इन्हें जनजातीय भत्ता नहीं दिया जाता है। वर्ष 2015 के बाद इनका जनजातीय भत्ता बंद कर दिया गया है। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से इसका कारण जानने की कोशिश की थी और उसका जवाब मुझे मिला है लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट का रेफरैंस दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पर विचार किया जाए क्योंकि जनजातीय भत्ता जितने भी दैनिक भोगी कर्मचारी जनजातीय इलाकों में हैं उन सबको दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी वहां पर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल कर कार्य करते हैं तो उनको जरूर दिया जाना चाहिए। फायर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाओं में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु भी हो जाती है तो करूणामूलक आधार पर भी उसके परिवार को कोई नौकरी नहीं दी जाती है जो अन्य केसिज में दी जाती है। इसके अलावा एक और जानकारी मेरे ध्यान में यह भी आई है कि होम गार्ड में जो ड्राइवर होते हैं उनको एक प्रोसैस के तहत पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे रिटन इग्जाम हो, ड्राइविंग टैस्ट हो या फिर अन्य कोई बेसिक कोर्स हो लेकिन जब रेक्रूटमैंट की बात आती है तो इनको प्रेफरैंस नहीं दी जाती है। ये सारे इश्यूज होम गार्ड से रिलेटिड हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर गौर किया जाए और

फायर सब-स्टेशन की हमें जरूरत भी है और मांग भी है। उदयपुर में फिलहाल चल रहा है और काजा में बहुत जल्दी शुरू किया जाए। जो कर्मचारी अपने जीवन को रिस्क पर लगा कर आग को बुझाते हैं और इससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं आग्रह करती हूं कि इनके साथ इंसाफ हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्य काल के लिए आपसे जो विशेष निवेदन किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। धन्यवाद।

Speaker: The Hon'ble Education Minister will reply on this issue. This issue has been additionally supplemented for the Hon'ble Chief Minister also. फायर इंसिडैंट्स को रोकने के लिए काजा और केलांग में फायर ब्रिगेड की भी जरूरत है और वहां पर होम गार्ड के और जवानों की तैनाती की जाए। शिक्षा मंत्री जी आप इसका उत्तर दें।

आगे आर0के0एस0 द्वारा जारी

21.12.2024/1430/RKS/एचके/-1

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लाहौल और स्पिति की विधायक ने लोसर स्कूल की क्षति के विषय को उठाया है। हालांकि इनकी अधिकतर मांगों में आगे की कार्रवाई मुख्य मंत्री जी द्वारा की जानी है क्योंकि इनके पास गृह विभाग है। यह दुःखद घटना 16 तारीख को करीब 7.30 बजे हुई थी। यह अच्छी बात है कि यह घटना शाम के वक्त हुई जिस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। यह पाया गया है कि इस घटना के कारण 5 कमरे क्षतिग्रस्त हुए हैं जिससे इस स्कूल की पुरानी इमारत को काफी नुकसान हुआ है। इस स्कूल में 16 अध्यापक हैं जहां 29 बच्चें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग के सचिव/एच.ओ.डी. को आदेश दिए हैं कि विशेषकर स्नो बाउंड एरियाज में जो हमारे फायर प्रोन एरियाज हैं, वहां पर हर प्रकार की सुरक्षा देने की आवश्यकता है। जो इस स्कूल भवन का नुकसान हुआ है इसके निर्माण कार्य के लिए बच्चों की एनरोलमेंट के अनुसार शिक्षा विभाग आने वाले बजट में पैसों का प्रावधान करेगा ताकि इस भवन का पुनः निर्माण हो सके। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सारी खबरें एकदम पहुंच जाती है। जैसे ही मैंने इस खबर को

सोशल मीडिया में पढ़ा मैंने वैसे ही इस खबर को सचिव, शिक्षा के साथ शेयर कर दिया। कुमारी अनुराधा राणा इस आगजनी की घटना में काबू पाने के लिए स्वयं आगे बढ़ रही थी जिसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा। आपने जो फायर स्टेशन का अनुमोदन दिया है, मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस जिला की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उस क्षेत्र में फायर टेंडर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और बाद में मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

21.12.2024/1430/RKS/एचके/-2

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ‘‘प्रदेश में होटलों व भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान तथा इनके नियमितीकरण करने हेतु One Time Relaxation प्रदान कर उससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।’’ कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा होटल एसोसिएशन्ज के पदाधिकारियों से संवाद हुआ है। धर्मशाला के नड्डी व मैक्लोडगंज इलाकों और मनाली, कसौली, शिमला, डलहौजी तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत से ऐसे होटल स्थापित हैं जो 4 कमरों का टैक्स दे रहे हैं जबकि उनके पास 22 कमरे हैं। जहां 15 कमरों का टैक्स दिया जा रहा है वहां 32 कमरे चलाए जा रहे हैं। इन होटल्स को पानी व बिजली की सुविधा दी जा रही हैं लेकिन वे बार-बार यह शिकायत करते हैं कि होटल्स में बार-बार लाइट जाती है। जब उन्होंने 4-5 कमरों का लोड शो किया है तो फिर लाइट तो जानी ही है। मेरे पास डलहौजी व धर्मशाला के उन होटलों की लिस्ट हैं जो सन् 1961, 1972, 1982 व 1985 में बने हैं। इन होटलों को 14 विभागों की एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। इसमें Town & Country Planning, Municipal Authorities or Gram Panchayats, Registration of Tourism Certificate (Tourism), Rate Fixation Certificate (Tourism), Pollution Certificate (Pollution), Electricity Connection (HPSEBL), Water and Sewerage Connection License (IPH), Labour License (Labour), Fire Certificate (Fire

agencies), Food License (FSSAI), Health Insurance ESIC (Labour and Health), GST (Excise), Bar License (Excise), Form C for Foreign Registration (Police) 14 विभाग काम कर रहे हैं। 14 विभाग काम करने के बावजूद भी प्रोपर चैक नहीं हो पा रहा है लेकिन होटल वालों के पास पैसा आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या विभाग के पास ऐसी सूची है कि कितने होटलों ने अपने नक्शे पास करवाएं हैं? उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए वह अलग बात है। हम इन होटलों को पानी व बिजली दे रहे हैं। हम इन होटलों से जी.एस.टी. भी मिल रहा है। इन होटलों को 14 विभागों से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की वायोलेशन हो रही है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1435/बी0एस0/डी.सी-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

अभी भी अतिरिक्त कमरों का निर्माण हो रहा है या तो One Time Relaxation आए या 14 विभागों ने जो सर्टिफिकेट यूज किए हैं जो भी इनके कपेंटेट ऑथोरिटी हैं उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। अभी भी लगातार हमारे जो पर्यटन की दृष्टि वाले इलाके हैं, सरकार ने सब कमेटी भी बनाई है, इसमें One Time Relaxation हो, जिससे सरकार को भी इसका रेवेन्यू आए और वास्तव में पता चले कि होटल के मालिक ने कितनी लैंड पर होटल को बनाया है और इसमें कितने कमरे हैं। होटलों में पर्यटक तो आ रहा है और उन्हें सारी सुविधाएं भी दी जा रही है। इसलिए मैं उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इसी तरीके से हमारी डल लेक के साथ एक मंदिर है वहां पर 5-6 दुकाने कब की बनी है? कोई बेचारा खोखे वाला खोखा लगाता है तो नगर निगम का कमीशनर within no time पहुंच जाता है। यह जो बड़े वेंडर्ज बैठे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उनके ऊपर कमीशनर नहीं जाता है। जो छोटे-छोटे दुकानदार है उन पर कार्रवाई होती है। अभी कुछ स्थानों में खोखे सारे उठा दिए गए। मैं देखता हूं कि जो बड़े लोग हैं, उनका फोरेस्ट में एनक्रोचमेंट है वन भूमि पर होटल बने हैं। इसलिए मैं resource mobilization में सरकार का ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं। जो मैंने डल मंदिर की बात की है, उस लेक के साथ भी दुकाने बनी है। डल लेक में पिछले 20-25 सालों में लगभग 3-4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन इस बार भी वह सूखी है। Lakeman of India अभी हमारे और जिलाधीश महोदय के आग्रह पर आए थे और उसकी डी.पी.आर. भी सबमिट की है। मुख्य मंत्री महोदय के पास वह डी.पी.आर. रखी है। क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा इलाका है, यही नहीं करेरी और खबरू लगातार, मैं इनकी बात कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दो सत्र हो गए, पर्यटन विभाग ने डी.पी.आर. बना करके रखी है और वहां पर आपने खुद ही बताया कि Tulip Garden एनक्रोचमेंट है। यहां पर जब जवाब आया तो 6-7 ऐसी ए.डी.बी. की बिल्डिंग्ज हैं जो अगले 30-40 साल तक यूज ही नहीं हो सकती है। वहां पर इन्फ्रस्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए है। मैं चाहता हूं कि यह जो पर्यटन की दृष्टि से हमारे इलाके हैं, चाहे पोंग बांध है, चाहे करेरी है, चाहे डल लेक है, खबरी फॉल है। इन पर काम करना चाहिए। यह मैं चाहता हूं कि

21.12.2024/1435/बी0एस0/डी.सी-2

जो हमारी डल लेक है, क्योंकि मामला पर्यटन का है, धौलाधार एक्सप्रेस वे है। कल मंत्री महोदय जी भी भागसू नाग गए थे। मैं चाहता हूं कि कभी-न-कभी मंत्री महोदय वहां भी जाएं। आपका जवाब भी आया है जिसमें उन्होंने डी.पी.आर. सबमिट की है। बहुत से होटल वाले भी यह चाह रहे थे। जहां एनक्रोचमेंट है, वहां पर जिस भी अधिकारी का गेस्ट आता है वह उनका दामाद है। क्योंकि उन्हे ठहराया नही जाए तो एक्साइज वाला आ जाएगा, उन्हें ठहराया नहीं गया तो पुलिस वाला आ जाएगा। विधायक को कमरा मिले न मिले लेकिन ये जो 14 लाइसेंस अथॉरिटीज हैं इनके चाहे रिश्तेदार आएं, उन्हें ठहराना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर One Time Relaxation पॉलिसी हो और सरकार को रेवेन्यू आए। यदि ये लोग घूमने भी वहां जाते हैं तो कहते हैं कि एक पीजा यहां और एक पीजा पैक कर दिया जाए। इसलिए One Time Relaxation पॉलिसी आए जिससे सरकार को भी फायदा हो। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलते-बोलते नियम- 62 के साथ-साथ और बाते भी ध्यान में लाई हैं। जो अन्य बातें ध्यान में लाई हैं उनका जवाब तो में इन्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ले करके आए जो होटलों एवं भवनों के अतिक्रमण से संबंधित है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-1

मुख्य मंत्री जारी...

जो होटलों एवं भवनों के अतिक्रमण से संबंधित है। कोई भी पॉलिसी है अगर कानून के दायरे में नहीं होती है तो कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देता है। लेकिन हम चाहेंगे कि जिनके एटिक्स बने या अन्य किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन हुई है उन सारी चीजों को स्टडी करके इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर विचार करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने एटिक्स आदि बना लीं हैं और इन्हें बने 10-15 साल हो गये हैं और इतने साल होने के बाद अगर उनका एटीक रेगुलराइज्ड नहीं हुआ है लेकिन कुछ पोर्शन रेगुलराइज्ड है ओर कुछ पोर्शन रेगुजराइज्ड नहीं हैं और अगर एटीक और उसकी हाईट की बात होगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि उसे कैसे करें? पिछली बार रिटेंशन पॉलिसी आई। यह पॉलिसी कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन कर दी गई। ऐसे कुछ मसले हो जाते हैं जिनसे काम में अड़चन पड़ जाती है। लेकिन माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीरता से इस विषय को उठाया है और माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ऐसे भवनों को किसी तरह रेगुलराइज्ड किया जाए अगर रेगुलराइज करने की बात आएगी तो कानून व नियमों की परिधि में जो भी किया जा सकता है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं और **विचार करने के बाद देखा जाएगा कि क्या यह परिधि में आता भी है या नहीं। अगर सिर्फ एटीक की बात होगी और शेष भवन नक्से के अनुसार बनाया गया होगा, सिर्फ एटीक ही बिना नक्से के बनाई गई है तो**

उसको रेगुलर कर दिया जायेगा और बाकि के बार में विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो विषय माननीय सदस्य ने उठाए हैं जो पर्यटन से संबंधित हैं, इस संबंध में मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा और उसके बाद ही उस पर अगला कदम उठाया जायेगा।

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-2

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्षः अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे जो पढ़े हुए समझे जाएंगे। यदि अनुमति हो तो यह सूचनाएं सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाएं और माननीय सदस्यों को उत्तर की प्रतिलिपि आज ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। नियम-324 के अंतर्गत उठाए गए मामले इस प्रकार हैः-

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान लारजी झील में जल क्रीड़ा शुरू न होने की ओर दिलाना चाहता हूं। क्योंकि इस वर्ष बरसात में इस झील को काफी नुकसान हुआ है जिस कारण इस झील में जलक्रीड़ा शुरू नही हो रही है। इस झील के किनारे कैफिटेरिया का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस झील में जलक्रीड़ा व कैफिटेरिया के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय सदस्य द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर दिये गये सुझाव का स्वागत करता हूं। महोदय प्रदेश सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नई उर्जा का संचार करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। इनके सकारात्मक एवं दूरगामी परिणाम होंगे जोकि हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा नियम-324 के अंतर्गत उठाए गए मुद्दे पर यह अवगत करवाना चाहता हूं कि इस वर्ष आपदा में वाटर स्पोर्ट्स सैन्टर और कैफेटेरिया बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जबकि गत वर्ष बाइपास सड़क पर अवस्थित जल क्रीड़ा

हेतु बनी अधोसंरचना को बरसात के कारण नुकसान हुआ था। इसकी मरम्मत का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा मामला सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक जल क्रीड़ा शुरू करने का प्रश्न है. इस सन्दर्भ में अवगत करवाना चाहूंगा कि दिनांक 01.05.2024 को लारजी झील में जल क्रीड़ा शुरू करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई लेकिन किसी भी इच्छुक बोलीदाता ने इसके लिए आवेदन

नहीं किया। वाटर स्पोर्ट्स सैन्टर में कैफेटेरिया भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा हि०प्र० लोक निर्माण विभाग बंजार द्वारा Rent Reasonability निर्धारित कर ली गई है। इस सन्दर्भ में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू द्वारा लारजी झील में जल क्रीड़ा आरम्भ करने तथा कैफेटेरिया भवन चलाने हेतु निविदाएं दो बार आमन्त्रित की गई थी लेकिन किसी ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया।

इस सम्बन्ध में जिलाधीश कुल्लू एवं अध्यक्ष वाटर स्पोर्ट्स सोसायटी, लारजी की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2024 को बैठक आयोजित की गई कमेटी के सुझाव दिया कि कैफेटेरिया भवन एंव वाटर स्पोर्ट्स सैन्टर के आगामी संचालन हेतु अलग-अलग निविदांए आमंत्रित की जाएं तथा यह भी सुझाव दिया कि कैफेटेरिया भवन को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंपा जा सकता है।

तद्नुसार जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू का प्रस्ताव निदेशक पर्यटन के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है जो कि अभी विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान बंजार विधान सभा क्षेत्र के अधीन आने वाले पार्वती व सराज वन मण्डल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन मण्डलों के अधीन एफ0आर0ए0 व एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हो रही है। जिस कारण जनहित के कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इन मण्डलों के अधीन लम्बित पड़े आवेदनों पर शीघ्रातिशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाए ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी द्वारा नियम-324 के अन्तर्गत अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः-

भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासियों तथा पारंपरिक वनवासियों को उनके परंपरागत अधिकारों की सुरक्षा और वन संसाधनों

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-4

पर नियंत्रण प्रदान करता है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 में धारा 3 (2) के तहत एक हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन 13 गतिविधियों जैसे कि विद्यालय, औषधालय या अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दुकानें, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, टंकिया और अन्य लघु जलाश्य, पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें, जल या वर्षा जल संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा सत्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें और सामुदायिक केन्द्र के लिए किए जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है। इस अधिनियम (वन सरंक्षण अधिनियम, 1980) में भारत सरकार द्वारा संशोधन करके वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023 बनाया गया है तथा 01.12.2023 से पूरे भारत में लागू किया गया है।

गत दो वर्षों के दौरान (17.12.2024 तक) बंजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पार्वती व सिराज वन मण्डल के अन्तर्गत एफ0आर0ए0 व एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत प्राप्त

आवेदनों, लम्बित आवेदनों एवं अनुमति प्रदान किए गए आवेदनों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार से हैं :-

एफ0आर0ए0 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों/मामलों का ब्यौराः -

क्रम संख्या	**वन मण्डल का नाम**	**प्राप्त आवेदन/प्र स्ताव**	**जारी/अनुमोदित किए गए आवेदन/प्रस्ताव**	**लम्बित आवेदन/प्रस्ताव**
1.	पार्वती वन मण्डल	9	8	1
2.	सिराज वन मण्डल	34	28	6
	कुल	43	36	07

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-5

वन मण्डल पार्वती व सिराज में गत 2 वर्षों में एफ0आर0ए0 के अन्तर्गत 43 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 36 मामलों में सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। शेष लम्बित 7 मामले अभी प्रयोक्ता अभिकरण के पास विचाराधीन है और वर्तमान में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के पास कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों/मामलों का ब्यौराः -

क्रम संख्या	**वन मण्डल का नाम**	**प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव**	**जारी/अनुमोदित किए गए आवेदन/प्रस्ताव**	**लम्बित आवेदन/प्रस्ताव**	**कुल**
1.	**पार्वती वन मण्डल**	**13**	**13**	**01**	**14**

2.	**सिराज वन मण्डल**	**14**	**14**	**3**	**14**
	कुल	**27**	**27**	**04**	**31**

वन मण्डल पार्वती व सिराज में गत 2 वर्षों में एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और पिछले वर्षों के 4 मामले शेष थे। इन दो वर्षों के दौरान 4 मामलों में भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। शेष लम्बित 27 मामलों में से 5 अभी प्रयोक्ता अभिकरण के पास विचाराधीन हैं और 22 मामले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर न देने के कारण परिवेश पोर्टल अभिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर न देने के कारण परिवेश पोर्टल द्वारा स्वतः ही हटा (De-list) कर दिए गए हैं। वर्तमान में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के पास कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-6

अध्यक्ष महोदय, सिराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न मण्डल अधिकारी पार्वती व सिराज के द्वारा एफ0सी0ए0 व एफ0आर0ए0 के तहत सभी मामलों को अविलम्ब निपटाया गया है और वर्तमान में कोई भी मामला सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के पास लम्बित नहीं है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान हिमाचल पथ परिवहन डिपों धर्मशाला से दिनांक 30.06.2023 को परिचालक के पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त कर्मचारी को सेवानिवृत हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन अभी भी विभाग द्वारा सेवानिवृति उपरान्त दिए जाने वाले वित्तीय लाभ नहीं प्रदान किये गये। जिससे उनके परिवार को जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति उपरान्त दिये जाने वाले सभी वित्तीय लाभ (Leave in Casement, Gratuity etc.) शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निगम से सेवानिवृत्त हुए 7641 कर्मचारियों को नियमित रूप से पेंशन की अदायगी की जा रही है। वर्तमान में निगम द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 तक सेवानिवृत्त हुए सभी पात्र कर्मचारियों को हर महीने पैंशन की अदायगी की जा रही है जिसके लिए लगभग 22 करोड़ 75 लाख की अदायगी हर माह की जाती है। निगम द्वारा 31 मार्च 2023 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जैसे कि ग्रेज्युटी और लीव इन कैशमेंट की अदायगी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ की अदायगी शुरू की जा चुकी है।

30 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक सेवानिवृत्त हुए 395 कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी करने के लिए निगम प्रयासरत्त है जिसके लिए लगभग मु० 65 करोड़ रूपये की आवश्यकता है परंतु अपनी वित्तीय स्थिति के मध्यनजर इसमें विलंब हो रहा है। निगम के बोर्ड द्वारा अपनी 158वीं मीटिंग दिनांक 26.11.2024 में ऐसे

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-7

सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है व घरेलू समारोह जैसे कि विवाह इत्यादि के लिए मु० 2.00 लाख रूपये जारी करने का निर्णय लिया गया है और इस संदर्भ में निगम द्वारा ऐसे पांच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ जारी किए गए हैं।

निगम द्वारा अभी 30 अप्रैल 2024 से लेकर 31 अक्तूबर 2024 के दौरान सेवानिवृत्त हुए 149 कर्मचारियों की पेंशन अदायगी की जानी है। जिसके लिए निगम को लगभग मु० 19 करोड़ 35 लाख रूपये की आवश्यकता है। अपितु निगम द्वारा इस दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन जारी की जा चुकी है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जारी करते समय एक बड़ा भाग कम्युटेश्न का होता है तथा ऊपर लिखे 19 करोड़ 35 लाख में भी लगभग 17.15 करोड़ रूपये की राशि पैंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कम्युटेशन के रूप में एक मुश्त जारी करनी जरूरी है, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया हो। निगम का यह प्रयास है कि वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समयनुसार पैंशन की अदायगी करता रहे और अधिक से अधिक पैंशनरों को कम से कम मासिक पेंशन मिलने में विलम्ब न हो। इसी के मध्यनजर निगम के बोर्ड द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अप्रैल 2024 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया जा रहा है तथा 30 अप्रैल 2024 को ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने कम्युटेशन के लिए आवेदन नहीं किया है उनको पैंशन की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

पैंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष का कार्यकाल होना आवश्यक है। दिनांक 30.06.2023 में निगम के धर्मशाला डिपों से सेवानिवृत्त हुए परिचालक श्री अमन कुमार का सेवाकाल 10 वर्ष से कम होने के कारण (9 साल 9 महीने) के मध्यनज़र ऐसे सभी मामलों के निपटारे हेतु पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन जारी करने हेतु एक स्पष्टीकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है।

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-8

यह भी अवगत किया जाता है कि परिचालक श्री अमन कुमार जो कि पहले एन०पी०एस० में सम्मिलित थे को ओ०पी०एस० में पैंशन जारी करने हेतु उनका एन०पी०ए० अंतिम भुगतान जमा करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना एन०एस०डी०एल० द्वारा नवंबर 2024 में ही दी गई है परंतु इनका कार्यकाल 10 वर्ष से कम होने के कारण इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

महोदय माननीय विधायक द्वारा उठाया गया यह मामला पहले से ही सरकार के ध्यान में है तथा इसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई की जा रही है। अतः उपरोक्त के

मध्यनज़र इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए इसे स्वीकार न किया जाए ।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान प्रदेश में निजी अस्पतालों के पंजीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश के निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने हेतु Single Window Empanelment Policy को लागू कर दिया गया है या नहीं? यदि नीति को लागू कर दिया गया है तो भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (अरला) पालमपुर को आम जनता व मरीजों की सुविधा हेतु शीघ्रातिशीघ्र पैनल में शामिल कर पंजीकृत किया जाये ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े तथा स्थानीय जनता को लाभान्वित किया जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से है:-

हिमाचल प्रदेश में निजी अस्पतालों के पंजीकरण और पैनल में शामिल करने के लिए Single Window Empanelment Policy को वर्ष 2021 से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निजी स्वास्थ्य संस्थानों को एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधीन योजनाओं (आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति) के तहत पैनल में शामिल करना है। भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (अरला)

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-9

पालमपुर, राज्य सरकार की 'Single Window Empanelment Policy' - 2021 के तहत दिनांक 01 मई, 2023 से दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक empaneled है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के

लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है तथा पूरे देश में इसका संचालन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। भारद्वाज मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (अरला) पालमपुर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS में पैनल करने का मामला केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "सरकार का ध्यान प्रदेश में निजी भूमि पर एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए गैर मुमकिन रास्तों को बंद किए जाने के कारण लोगों को हो रही असुविधा की ओर दिलाना चाहता हूं। लोगों द्वारा इन रास्तों को बंद करने के कारण काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तथा खेत जोतने हेतु मवेशियों को ले जाने में भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस मुद्दे पर कोई कानून बनाकर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए।"

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन में उठाया गया है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इन विवादों के कारण लोगों को कई बार न्यायालय तक भी जाना पड़ता है।

इस संदर्भ में राजस्व अभिलेख में निजी भूमि पर दो प्रकार के रास्तों का इंद्राज होता है। पहले प्रकार के रास्ते वे हैं जो "शारेआम" वर्गीकृत होते हैं तथा जमाबन्दी के खाना काश्त में इनका इंद्राज होता है। इन रास्तों के उपयोग पर लोगों के सार्वजनिक अधिकार होते हैं तथा इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन रास्तों का उपयोग भू-मालिक के अलावा स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिदिन आवागमन के

लिए किया जाता है। इस प्रकार के रास्ते यदि एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं तो इन्हें नहीं रोका जा सकता।

दूसरे प्रकार के रास्ते शारेआम वर्गीकृत नहीं होते हैं अपितु केवल गैर मुमकिन रास्ते के नाम से खसरा नम्बर वार किस्म के रूप में दर्ज होते हैं। इन रास्तों की मलकीयती व कब्जा निजी भूमि मालिक होता है तथा इन पर सार्वजनिक उपयोग का अधिकार नहीं रहता है। इनका उपयोग सामान्यतः भू-मालिक अपनी स्वामित्व की भूमि के अंदर चलने के लिए करता है।

जहां तक एक खेत से दूसरे खेत में जाने का प्रश्न है तो इसके लिए राजस्व अभिलेख वाजिब उल अर्ज में नियमों का जिक्र होता है तथा इन नियमों को स्थानीय रिवाजों के अनुसार बंदोबस्त के दौरान बनाया जाता है। यह नियम हर राजस्व गांव के लिए बनाए जाते हैं तथा वाजिब उल अर्ज के अनुसार एक खेत से दूसरे खेत में जाने बारे सामान्य रूप से निम्न प्रावधान होते हैंः-

1. हल चलाने को बैल खड़ी फसल में बने रास्तों से होकर गुजर सकते हैं बशर्ते कि बैलों के मुंह में छिक्का लगा हो ताकि फसल को कोई नुकसान न हो।
2. कृषि कार्य के लिए लोग एक खेत से दूसरे खेत में मेढों से चलते हुए जा सकते हैं।
3. छोटे-छोटे रास्ते जो हल चलाने से मिट जाते हैं हल लगाने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसे रास्तों में आने जाने की कोई रोक-टोक नहीं होगी।

जो रास्ते आम इस्तेमाल नहीं होते तथा केवल भू-मालिक द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते हैं उनको मौके की स्थिति के अनुसार भू-मालिक की मलकियत व कब्जे में दर्शाया जाता है। सार्वजनिक रास्तों के इस्तेमाल बारे संबंधित राजस्व गांव की मिसल हकीयत के साथ संलग्न वाजिब उल अर्ज में नियम दर्ज होते हैं तथा रास्तों एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाना

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-11

है उस बारे बंदोबस्त के समय समस्त ग्राम वासियों से विचार-विमर्श करके वाजिब उल अर्ज में नियम दर्ज कर सत्यापित किए जाते हैं।

बंदोबस्त के दौरान निजी भूमि में रास्ते की पैमाइश नियमानुसार की जाती है। गांव में आम बारहमासी रास्ते जो 1 मीटर से कम तथा शहरों में आधा मीटर से कम चौड़ाई के हैं, उनको अलग से नहीं दर्शाया जाता है। ऐसे रास्तों को राजस्व नक्शों में लाल रंग की स्याही से दर्शाया जाता है व जमाबंदी में संबंधित खाता के खाना विवरण में इसका विवरण दिया जाता है।

आम रास्ते जो 1 मीटर या उससे अधिक चौड़े होते हैं उनकी पैमाइश अलग-अलग खसर नम्बर के तौर पर की जाती है। यदि रास्ता व कुहल एक से अधिक संपदाओं से गुजरते हैं तो उन संपदाओं में भी उन्हें दिखाया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की उपलब्धता बारे क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि भू हंस्तांतरण व तकसीम से संबंधित मामलों का निपटारा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी व्यक्ति का रास्ता न रूके।

उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक खेत से दूसरे खेत में जाने वाले रास्तों के इस्तेमाल के बारे में संबंधित गांव के रीति रिवाजों जोकि गांव की मिसल हकियत में संलग्न वाजिब उल अर्ज में दर्ज होते हैं को ही सर्वोपरि माना जाता है तथा इन नियमों को राजस्व अभिलेख का भाग माना गया है तथा वाजिब उल अर्ज में उल्लेखित नियमों को सत्यता की धारणा का दर्जा प्राप्त है।

अतः यदि वाजिब उल अर्ज में खेतों में आने-जाने के रिवाजों व नियमों की कोई उल्लंघना करता है तो इसका निपटारा संबंधित न्यायालय में ही हो सकता है। यद्यपि राजस्व अधिकारी व स्थानीय पंचायतें मध्यस्थता करके ऐसे विवादों का निपटारा कर स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। सरकार भी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगी कि "शारेआम" रास्तों तथा वाजिब उल अर्ज के खेतों में आने-जाने के रिवाजों की अनुपालना सुनिश्चित हो।

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-12

श्री डी0 एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता सलूणी और डलहौजी मंडल की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं। इन मंडलों में पिछले दो वर्षों में कितने कार्य किए गये तथा इन कार्यों में से कितने कार्य लम्बित हैं और उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में लम्बित पड़े कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र जनता को समर्पित किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :-

पिछले दो वर्षों में सलूणी और डलहौजी मण्डल के अन्तर्गत कुल 1136 कार्यों हेतु मु० 111.62 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिनमें 955 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है और 181 कार्य प्रगति पर हैं। इस बारे मण्डलावार सूचना निम्न अनुसार हैः-

1. सलूणी मण्डलः- इस अवधि में सलूणी मंडल के अंतर्गत कुल 866 कार्यों हेतु मु० 82.95 करोड़ रुपये आबंटित किए गये जिनमें से 707 कार्यों का पूर्ण कर लिया गया है तथा 159 कार्य प्रगति पर हैं। 159 कार्यों में से 21 कार्यों को दिसम्बर, 2024, 134 कार्यों को मार्च, 2025, 2 कार्यों को मई, 2026 तथा 2 कार्यों को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

2. डलहौजी मण्डल :- इस अवधि में डलहौजी मंडल के अंतर्गत कुल 270 कार्यों हेतु मु0 28.67 करोड़ रूपये आबंटित किए गये जिनमें से 248 कार्यों का पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 22 कार्य प्रगति पर हैं। 22 कार्यों में से 20 कार्यों को मार्च, 2025, 1 कार्य को मार्च, 2026 तथा 1 कार्य को मई, 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

सरकार माननीय सदस्य की चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील है तथा जनहित में शेष बचे कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है।

21.12.2024/1440/डीटी/वाईके-13

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखेंगे।

श्री चंद्र शेखरः अध्यक्ष महोदय, "प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर ये सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ...(व्यवधान) पहले प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर लूं। ...(व्यवधान) फिर विड्रा कर लें। ...(व्यवधान) चलिए ठीक है उससे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपनी बात रखिए। Hon'ble Member Dr. Hans Rajji please take your seat. When your leader rises everybody has to sit.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा इस प्रस्ताव की भाषा पर ऑब्लेक्शन है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाए ये ठीक नहीं है। आप इसके लिए मांग करिए कि PDNA के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की सहायता करे। यह बात तो समझ में आती है लेकिन जो प्रस्ताव किया गया है उसमें लिखा है कि "प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर ये सदन विचार करे"। इस भाषा को करेक्ट करने की आवश्यकता है। इस तरह का प्रस्ताव कभी भी किसी राज्य की विधान सभा के अंदर केंद्र की सरकार के खिलाफ चर्चा के लिए नहीं लाया गया। इसलिए इसकी भाषा को करेक्ट करने की आवश्यकता है। आप मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजिए और कहिए कि हमारे लिए मदद का कोई रास्ता निकालिए, परंतु ये भाषा ठीक नहीं है। मैं विधान सभा सचिवालय को भी यही कहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव हो, वह उचित नहीं है। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है की आप इसकी भाषा को करेक्ट कीजिए।

अध्यक्षः विधान सभा सचिवालय के पास जब कोई प्रस्ताव आता तो वह लगाना पड़ता है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव में प्रयोग की गई भाषा के बारे में कह रहा हूं। क्योंकि जो हमारे प्रश्न होते हैं उनकी भाषा भी कई बार तबदील होती है।

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके सुझाव का विधान सभा सचिवालय भविष्य में ख्याल रखेगा।

श्री एन.जी.द्वारा जारी

21-12-2024/1445/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष.....जारी

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर जी ने नियम-130 के तहत चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। यह चर्चा करने के लिए है और यह कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है। इस पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होगी, इस पर केवल चर्चा होगी। ...(व्यवधान) एक मिनट रुकिए। सुन तो लीजिए। ...(व्यवधान) मैंने आपकी बात को सुना है, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल चर्चा करने के लिए है। This is not a Resolution. ...(Interruption)

अध्यक्ष : यह नियम-130 की चर्चा है और चर्चा पूर्ण होने के बाद यह विषय समाप्त हो जाएगा।

Parliamentary Affairs Minister (Industries Minister) : It will not be put for voting. इस माननीय सदन से इस विषय पर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। इस विषय पर तो केवल चर्चा की जाएगी। इस प्रस्ताव में PDNA का पैसा, जोकि केन्द्र सरकार के पास पिछले वर्ष से लम्बित पड़ा है, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार के पास अन्य मदों में भी पैसा लम्बित पड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव के माध्यम सभी माननीय सदस्य केवल चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें विपक्ष के माननीय सदस्य भी सहयोग करें।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रस्ताव की भाषा को नहीं बदला जाता है तो विपक्ष का कोई भी सदस्य इस चर्चा में भाग नहीं लेगा और हम वॉकआऊट कर के बाहर चले जाएंगे।

21-12-2024/1445/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?...(व्यवधान) I am not allowing anybody. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister please take your seat. ...(Interruption) माननीय डॉ0 हंस राज जी, बैठ जाइए। ...(व्यवधान) विपक्ष के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एक सुझाव दिया है कि इस प्रस्ताव की भाषा को संशोधित कर लिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में 'केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर' लिखा गया है। मेरा सुझाव है कि इसमें 'मांग' शब्द को जोड़ दिया जाए। We will modify.

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संघीय ढ़ांचे में किसी भी सरकार का इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने का कोई विचार नहीं होता। नियम-130 के तहत यह केवल चर्चा का विषय है। केन्द्रीय टीमों को आए हुए एक साल से अधिक हो चुका है और हम केवल PDNA पर चर्चा करना

चाहते हैं। इसकी चर्चा में विपक्ष के माननीय सदस्य भी भाग लेंगे। आपको तो PDNA लेने के लिए हमारे साथ चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में लिखा है कि 'प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करे।' मेरा आग्रह है कि इसकी भाषा को संशोधित करके 'केन्द्र सरकार से मांग करते हैं' कर दिया जाए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, इस प्रस्ताव को इस प्रकार से किया जा सकता है 'प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण करने की मांग पर यह सदन विचार करे।'...(व्यवधान)

21-12-2024/1445/वाई.के.-एन.जी./3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। हमारे माननीय सदस्य तभी बोलते हैं जब आप उन्हें बोलने का आदेश देते हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य एकदम से खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। इस सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल ने विपक्ष के किसी भी सदस्य को उनके वक्तव्य के दौरान बीच में नहीं टोका। विपक्ष के नेता 60 मिनट से ज्यादा बोले लेकिन उन्हें किसी ने भी नहीं टोका। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि बीच में न टोका करें, लेकिन कभी कोई खड़ा हो जाता है और कभी कोई। विपक्ष के नेता को इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अध्यक्ष महोदय से मांग की है और माननीय अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रस्ताव में संशोधन कर दीजिए और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष : ठीक है। इस प्रस्ताव की भाषा में संशोधन किया जाता है और अब यह प्रस्ताव इस प्रकार है :- 'प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण करने की मांग पर यह सदन विचार करे।' माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर जी, आप बोलिए।

श्रीमती के.एस. द्वारा..................जारी

21.12.2024/1450/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी---

Before that you start मेरी एक और रिक्वेस्ट है। We are likely to conclude और अब दो घंटे का समय बचा है। दो घंटे में से आधा घंटा भी छोड़ दो। My request to all of you (from both sides) कि चंद्र शेखर जी प्रज़ेंट करें। एक आदमी इस तरफ से बोल दे और मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें, खत्म हो जाए। इसी तरह से दूसरे विषय पर कर लेते हैं फिर मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। That's good. By very brief please.

श्री चंद्र शेखर : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि "प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करे।"प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषण मिलना ड्यू है, उसकी मांग को ले कर यह प्रस्ताव मैं आपके बीच में ला रहा हूं और यह जो पीड़ा केंद्र सरकार को ले कर दिखती है, वही पीड़ा प्रदेश की जनता की हम अपनी भाषा में आपके समक्ष इस सदन के समक्ष लाएंगे।

अध्यक्ष जी, पिछले साल जुलाई के महीने में आपदा के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम घटा वह बड़ा अप्रत्याशित था। उससे पहले कभी भी हिमाचल के इतिहास में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं आया था। 500 से अधिक जानें गईं और जान-माल का नुकसान हुआ। प्रदेश के अंदर त्राहि-त्राहि मची और जहां प्रदेश की जनता ने प्रदेश के मुखिया की तरफ देखा, वहीं प्रदेश के मुखिया ने भी मोर्चा सम्भाला और फ्रंट फुट पर आ कर मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ, विधायक दल के साथ इस कार्य में जुटे। विपक्ष की तरफ के विधायक भी इस कार्य में जुटे ओर जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो राहत

मिलनी चाहिए थी, उसके लिए कार्य करना शुरू किया। 4500 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा पैकेज सीमित संसाधनों के होते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के लिए दिया। 7 लाख रुपये मकान के लिए कभी भी नहीं मिले। नियमों को बदला गया और पूरे प्रदेश के अंदर जो मकानों को आंशिक नुकसान हुआ, एक लाख रुपये उसके लिए दिए गए। जो माल-मवेशी मरे, बाकायदा तौर पर उसके लिए बढ़ी हुई धनराशि के साथ सारे के सारे धन का प्रावधान किया गया। पोस्ट डिजास्टर नीड असैस्मैंट, जो PDNA है, उसको ले कर केंद्र सरकार की टीम यहां पर आई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर आई। मण्डी जिला में आई, पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर डिजास्टर का बहुत बड़ा वॉल्यूम था, उसको आंकना शुरू

21.12.2024/1450/केएस/एजी/2

किया। मुख्य मंत्री जी तथा हमारे विभिन्न विभागों के मंत्री समय-समय पर दिल्ली दरबार में गए। वहां मुलाकातें हुईं। आश्वासन आए और आश्वासनों का सिलसिला चलता रहा लेकिन PDNA के तहत इस प्रदेश को जो 12 हजार करोड़ रुपये की प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान या मांग की गई उसको ले कर आज तक, डेढ़ साल का समय बीत गया, अगली बरसात भी निकल गई। उसमें भी रामपुर जैसी जगह में आनी के निरमण्ड क्षेत्र के अंदर, मण्डी जिला के दरंग क्षेत्र के अंदर फिर उसी तरह की बड़े पैमाने की आपदा आई। फिर PDNA की बात उठना शुरू हुई और अब यह दिसम्बर, 2024 का अंत आ गया। अब समझ यह नहीं आया कि PDNA रोका क्यों गया? जब पूरे भारत के लिए इसका आबंटन होता है तो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? इसी को ले कर सदन के अंदर यह चर्चा लाना अति महत्वपूर्ण था और मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूं। जिस वक्त पिछली जय राम जी की सरकार गई, 79 हजार करोड़ रुपये का एक भारी-भरकम ऋण इस प्रदेश के ऊपर था। इसके अलावा जो जाते-जाते ये सौगात दे गए, लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से ले कर 4 हजार करोड़ रुपये की सौगातें रेवड़ियों की तरह बांटकर चले गए। जिसको ले कर दोनों पक्षों की तरफ से आए दिन सदन के अंदर गहरी व

गम्भीर चर्चाएं भी हुईं। यह अतिरिक्त बोझ प्रदेश की माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर आया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.24/1455/av/एजी/1

श्री चंद्र शेखर----- जारी

यह अतिरिक्त बोझ माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर आया। पिछली सरकार में जिस तरह से आर्थिक तौर पर हालात छोड़े गए जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता के सामने बार-बार जिक्र किया और इस बारे में बजट में भी बात हुई थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश की सेवा करने व नया हिमाचल बनाने की इच्छाशक्ति से आगे बढ़ते रहे। मैं प्रदेश की जनता के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में रखे थे। इन्होंने कहा था कि 100 रुपये में से हम 25 रुपये वेतनमान के लिए खर्च करते हैं, 17 रुपये पेंशन, पुराना ब्याज चुकाने के लिए 11 रुपये तथा उसके ऊपर आने वाले इन्टरस्ट के लिए प्रदेश सरकार 9 रुपये खर्च करती है। हमारे पास 28 रुपये विकासात्मक कार्यों के लिए बचते हैं। प्रदेश के गांवों व शहरों से उठने वाली विकासात्मक कार्यों की मांगों को हम 28 रुपये में पूरा करते हैं। इस वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए आज के संघीय ढांचे पर भी बात आ जाती है। हमारे जिस संविधान की परिकल्पना की गई थी उसमें राज्यों के अधिकार थे। केंद्र की अपनी कोई विशेष आय नहीं है। पूरे भारतवर्ष से यह आय जुटाई जाती है और केंद्र सरकार उसका तर्कसंगत आधार पर निपटारा करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ जो स्टैप मदर्ली ट्रीटमैंट चल रहा है, यह बहुत ही पीड़ादायक है। पिछले साल भी आपदा आने पर माननीय मुख्य मंत्री जी एक प्रस्ताव लेकर आए थे। वही प्रस्ताव जिसकी हमारे विपक्ष के साथी बात कर रहे हैं कि आप मांग कीजिए। हमने वह मांग पिछले साल भी की थी। लेकिन आप तब

सदन से उठ कर बाहर चले गए थे। आपने उस संदर्भ में हमारा कोई साथ नहीं दिया था। आपकी मंशा में उस समय भी खोट था। हमारा प्रदेश जिस वक्त आपदा से जूझ रहा था, हम डेढ़ वर्ष बाद उसी की बात दोबारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मांग कीजिए। हम पिछले साल से मांग ही तो कर रहे हैं। आपने उस वक्त भी इस प्रस्ताव के संदर्भ में अपनी मांग नहीं रखी थी। आप डरते हो, आपको वहां पर जो डण्डा पड़ता होगा, आप उससे डरते हो। लेकिन आपने जो मांग की बात की है, आप मेरी शब्दावली को बदलना चाहते हैं कि आप अपने शब्दों को बदल दीजिए। ठीक है, मैं बदल देता हूं। लेकिन फिर भी आप मांग तो कीजिए। आप हमें मांग करने का सूत्र बताइए। हम उस सूत्र को अप्लाई करते हैं और आपके साथ चलते हैं। हम उस सूत्र के

21.12.24/1455/av/एजी/2

आधार पर चल पड़ते हैं। लेकिन आप हमें वह सूत्र तो बताइए, वह कौन-सा सूत्र है? माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सेहरा भी आपके सिर पर बांधेंगे लेकिन आप पैसा तो दिलवाइए। ...(व्यवधान) बात उस सूत्र की है जिसको आप पिछले डेढ़ वर्ष से नहीं बता रहे हैं। हमें जी0एस0टी0 का पैसा भी नहीं मिल रहा और रैवन्यू डैफिसिट ग्रांट का आपके समय में 9300 करोड़ रुपये आता था। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए कि वह राशि भी घटकर अब 32 करोड़ रुपेय तक पहुंच गई है यानी उसको 33 प्रतिशत तक ला दिया है। आपने उस तरफ बैठकर इस प्रदेश की जनता का गला चारों तरफ से घोंटने का निर्णय ले रखा है। आप चाहते हैं कि प्रदेश घुटनों के ऊपर आ जाए लेकिन मैं अपने सदन के नेता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हर सूरत में सभी विभागों में वांछित सुधार कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी घुटने नहीं टेक रहे हैं बल्कि दिन-प्रतिदिन मजबूती के साथ इस प्रदेश की जनता की आवाज को आगे ले जा रहे हैं। अन्यथा आप हिमाचल को बद्नाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव आया था तो उस दौरान आप हिमाचल प्रदेश को नंगा करने की कोशिश कर रहे थे तथा प्रदेश की धज्जियां उड़ा रहे थे। हमारे प्रदेश के नौजवान जो पूरे भारत के अंदर सेवाएं देते हैं वे हमारा गौरव है परंतु आपने कभी सोचा कि इस प्रकार की

बातें बाहर आने से उन पर क्या बीतती होगी पिछले कल जब राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ऊपर बिल आया तो आपने कहा कि हम तो हिमाचल के हित को मानते हैं। आपने 'हिमाचल हित' शब्द केवल सदन के अंदर बोलने के लिए रखा है। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना था तो वह आप हिमाचल के दम पर नहीं जीत सकते थे।

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री चंद्र शेखर ... जारी

हम तो हिमाचल हित को मानते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश हित को आपने केवल सदन में बोलने के लिए और धज्जियां उड़ाने के लिए रखा है। आपको महाराष्ट्र के अंदर केवल चुनाव जीतना है लेकिन हिमाचल के दम पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। आज जो हालात हमारे इस प्रदेश के अंदर युवाओं के हैं, जो प्रताड़ना आज हम लोग केंद्र सरकार की वजह से फेस कर रहे हैं जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं उसे पर आप चाहते हैं कि उसका तमाशा बनें। यह हमारी यह पीड़ा है। क्या आप इस पीड़ा में सांझ होंगे? जब प्रदेश में आपकी सरकार थी उस वक्त जो 12 प्रतिशत हमें निःशुल्क रॉयल्टी मिलती थी, आपने कहा कि 12 वर्ष तक इसको स्थगित कर दो जिसके कारण हर साल हिमाचल प्रदेश को 100 करोड रुपये का घाट हो रहा है। भारत सरकार के जो नवरत्न थे, एस0जे0बी0एन0 और एन0एच0पी0सी0 आपने उनको 4 प्रतिशत पर विद्युत परियोजनाओं को चार परसेंट के पर सौंप दिया, वहां पर भी अपने प्रदेश की जनता का भला नहीं किया। हिमाचल प्रदेश को पावर से जो पैसा आना है, पंडित शांता कुमार जी द्वारा बोला जा रहा है कि हिमाचल को रॉयल्टी चाहिए लेकिन आपने घुटने टेक दिए और हिमाचल प्रदेश को आने वाले हर पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश की । आपकी आज भी यही मंशा है और आप केंद्र सरकार के सामने पक्ष में बैठकर भी घुटने टेक रहे हैं। जब

आप सरकार चलाते थे उस वक्त भी आप घुटने टेक रहे थे और आज उसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 4300 करोड़ रुपया बी0बी0एम0बी0 का ड्यू है जो हिमाचल प्रदेश का बनता है उसको दे दीजिए। आज आपकी डबल इंजन की सरकार कहां गई, वह डबल इंजन की सरकार उस 4300 करोड रुपये का प्रबंध नहीं कर पाई। आज तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकाररिणी का कोई प्रस्ताव तक नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि हिमाचल के हितों के लिए केंद्र सरकार थोड़ा मेहरबानी करें। लेकिन इस तरह की बातें हमने कहीं पर नहीं देखी। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क लाया गया,

21.12.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

उस वक्त उस पर एग्रेसिव बिडिंग की गई। उसमें भी हमारे हितों को स्टेक पर रखा गया और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगातें मिल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मान्य मुख्यमंत्री के हौंसले की दाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि इनका जो पैसा आया है उसको वापिस कर दो। हम अपने दम पर इन पार्कों पर पैसा लगाएंगे। उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती बार पिछली सरकारों से चूक हो गई और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं आंकड़े देख रहा था, यह मेरे अपने आंकड़े नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। यह जी.डी.पी. वर्ष 2017 में गिरी और बहुत बुरी तरह से गिरी जिसके कारण प्रदेश राष्ट्रीय जी.डी.पी. से भी नीचे चला गया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वर्ष 2024 के आंकड़े आए हैं, वे यह कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जी.डी.पी. की दर है, हम उसके पास पहुंच रहे हैं यानी हिमाचल प्रदेश उसके बिल्कुल पास पहुंच रहा है। यह मुख्य मंत्री जी का वित्तीय प्रबंध है जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। आपको वर्ष 2021-22 में 1873 करोड़ रुपये की एडिशनल स्पोर्ट मिली लेकिन आपने उन पैसों से अमृत उत्सव और जनमंच जैसे अलंकारी कार्यक्रमों के लिए किया और

उस पैसे का सही इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए नहीं किया गया। मुझे लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि मेरे बाद मेरे साथी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को जरूर आपके बीच में रखना है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी हुई, 25 दिन पहले माननीय सांसद महोदय का एक ट्वीट आया, हमने भी उस ट्वीट को बार-बार देखा। उसमें बहुत बड़ी शाबाशी, बहुत बड़ा धन्यवाद केंद्र सरकार का किया जा रहा था और हम ढूंढते रहे कि उस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश जो पर्यटन का सम्राट है, जो हिन्दुस्तान का ताज है, जो दिल्ली तक ऑक्सीजन देता है यानी पूरे भारत का लंग्ज है। जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों-हजारों पर्यटक आते हैं। उनके कारण जो गंदगी यहां फैलती है, हम उसको झेलते हैं। वे यहां पर जो क्योस करके जाते हैं, हमारी जनता उसका खामियाजा भुगतती है। लेकिन हम फिर भी उनका स्वागत करते हैं। माननीय सांसद ने इस मामले में केंद्र सरकार का बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 3300 करोड़ रुपये के

21.12.2024/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

टूरिज्म परियोजनाएं मंजूर हुई है। क्या विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी इस 3300 करोड रुपये को लेकर हिमाचल को जो ठेंगा दिखाया गया उसको समर्थन दे रहा है। उस ट्वीट को शाबाशी दे रहा है, क्या सचमुच में ही दिल से केंद्र का आभार व्यक्त कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश को फूटी कौड़ी नहीं मिली? उन राज्यों में जिनमें टूरिज्म का नाम तक नहीं है उनको भी 300-300, 400 करोड़ रुपया दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए, उन्होंने

एन0एस0 द्वारा जारी .....

21-12-2024/1505/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री चंद्र शेखर------ जारी

कांगड़ा के गग्गल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा अपने रिसोर्सिज से बनाने का संकल्प लिया है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह मुख्यमंत्री जी का टूरिज्म को लेकर नजरिया है। बिलासपुर में भी टूरिज्म में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शिवधाम की कल्पना की थी लेकिन उसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया था। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे इन पर भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को डवल्प करने के लिए चाहिए और प्रदेश के लिए जी0एस0टी0 के तौर पर राजस्व आए तो हम इसी तरफ को आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन यह जो स्टैप मदरली ट्रीटमैंट हमारे साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है जो इस प्रोजैक्ट में भी देखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के साथ जो हुआ वह उत्तराखंड और आसाम के साथ नहीं हुआ। उत्तराखंड और आसाम में हिमाचल की तरह डिजास्टर नहीं आया लेकिन हमने आश्चर्यजनक फिगर केंद्रीय बजट के अंदर देखी। 11,500 करोड़ रुपये मात्र आसाम और उत्तरांचल के लिए दिया गया क्योंकि वहां पर आपकी भाजपा शासित सरकारें हैं। हमें कहा गया कि एक्स्ट्रा रिसोर्सिज से आपके लिए मेनेजमैंट करने की अप्रूवल हम देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये एक्स्ट्रा रिसोर्सिज क्या होते हैं? यह केंद्रीय बजट में केवल हिमाचल प्रदेश के आगे लिखा गया। इससे बड़ा सौतेला व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ। ये प्रदेश 60 लाख की आबादी का छोटा-सा प्रदेश है। हम लोग अपने पुरूषार्थ से हिमाचल प्रदेश को बना रहे हैं। छोटे-से-छोटा नौजवान, गांव के अंदर बैठी हुए महिला जो मनरेगा में काम करती है। गांव का किसान जिसको मुख्यमंत्री जी ने अपने दम पर मक्की और गेहूं में सब्सिडी भी दी और समर्थन मूल्य बढ़ा कर दिया तथा दुग्ध उत्पादन में भी समर्थन मूल्य बढ़ा कर दिया है। गांव का किसान, नौजवान और माताएं-बहनें इस हिमाचल प्रदेश को बना रही हैं तो क्या विपक्ष के 28 माननीय सदस्य 60 लाख जनता के साथ नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यही प्रश्न पूछना था। लंबी बात न करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जो भयंकर आपदा आई है उसमें पिछले वर्ष सरकार ने 634 करोड़ रुपये और मांगा है और ये बढ़ता जा रहा है। केंद्र की तरफ का भार हिमाचल प्रदेश के दम पर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे-का-पूरा विधायक दल साथ खड़ा है। मैं

21-12-2024/1505/एन0एस0-ए0एस0/2

आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी शब्दावली पर न जाएं, आप हमारे आक्रोश व पीड़ा को देखें और 60 लाख जनता की पीड़ा को देखिए जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। अंत में, मैं पुनः सदन से चाहूंगा कि इस पर गंभीर चर्चा हो। केंद्र सरकार को इसके बारे में पूरा ज्ञान है लेकिन हम सब जब इकट्ठा होकर हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 में आत्म निर्भर बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश की जिस कल्पना को आगे साकार करना चाहते हैं, हम उसमें आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे अवगत करवाया कि दोनों दलों की सहमति बनी है कि यहां से मूवर और वहां से माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार विचार रखेंगे तथा मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। अगला विषय नियम-130 का है तो उसे डैफर कर देंगे। अब माननीय विपिन सिंह परमार जी अपने विचार रखेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, श्री चंद्र शेखर जी द्वारा नियम-130 के तहत प्रदेश सरकार को पी0डी0एन0ए0 व अन्य मदों को केंद्र सरकार वित्त पोषित करे, इस मूल प्रस्ताव में अमेंडमैंट हुई है। इसमें मैं अपने विचारों का समावेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी ऊंची आवाज में यहां पर हमारे नौजवान साथी ने तथ्यों को रखने की कोशिश की है

आर0के0एस0 द्वारा जारी

21.12.2024/1510/RKS/डीसी/-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

लेकिन ये भूल गए हैं कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या अलग-अलग मदों के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या सहायता की गई है। जो सरकार घुटनों के बल चल रही थी उसे टांगों के बल चलने का सहारा दिया गया है। लेकिन इस सहायता के लिए केंद्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। आप ऊंची आवाज के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की जा रही है। श्री चंद्र शेखर जी आपको इस बात को बोलने के लिए तैयार किया होगा लेकिन जो आंखों के सामने हैं उसको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो गत वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट के लिए 11,11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को जी.डी.पी. का 3.4 प्रतिशत भाग आता है। जिला कांगड़ा में दो नेशनल हाइवेज का काम चला हुआ है। आप शिमला से बाया अर्की या बिलासपुर होकर आए होंगे और आपकी आंखों ने इसके प्रमाण भी दिए होंगे। जब आप नूरपुर की तरफ जाते हैं तो देखते होंगे कि वहां पर कितने युद्ध-स्तर से काम चला हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि पठानकोट-मण्डी फोरलेन के लिए जो 10,067 करोड़ रुपये मिला है वह भी केंद्र सरकार की पोषित योजनाओं का भाग है। क्या आप इसका जिक्र नहीं कर सकते थे? मटौर-शिमला फोरलेन के लिए जो 10,512 करोड़ रुपये, किरतपुर-मण्डी-कुल्लू-मनाली फोरलेन के लिए 13,784 करोड़ रुपये और परवाणू-सोलन-शिमला निर्माण कार्य के लिए 7,632 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। जहां हिमाचल प्रदेश को नेशनल हाइवे से जोड़ने का काम हो रहा है वहां टनल का प्रावधान भी किया जा रहा है। प्रधान मंत्री जी जब कारगिल के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे तो उन्होंने शिंगोला टनल जो लाहौल-स्पिति व लेह-लद्दाख को जोड़ेगी का जिक्र किया। यानी दूसरे मुल्कों की तरफ से आक्रमण होता है तो आर्मी वहां तुरंत पहुंचेगी। पहला बलास्ट हो चुका है। ...(व्यवधान) हमारे साथी बहुत गंभीर है। आप मुख्य मंत्री जी के नजदीक आ गए तो बहुत कुछ मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ...(व्यवधान) अब पूरे प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित हो रही है। अब हमें देश व प्रदेश की सुरक्षा की चिंता भी हो रही है। यह

4.1 किलोमीटर टनल 1,681 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी। आप कम-से-कम इस टनल का जिक्र तो कर देते। मेरा कहने

21.12.2024/1510/RKS/डीसी/-2

का मतलब है कि इन सभी बातों का हवाला आना चाहिए था। आप मांग तो भारत सरकार से कर रहे हैं लेकिन इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार का कोई जिक्र नहीं करते। हमारे साथी कह रहे हैं कि हम यहां से ऊठकर वहां आ गए। श्री संजय अवस्थी जी वहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। यह लोकतंत्र है किसी के साथ खड़ा होने से किसी का कद वैसा नहीं बन जाता। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं और उन कर्मों को जनता देखती है। यह एक लम्बी यात्रा है। आप नेताओं के साथ उतना ही खड़ा रहिए जितनी आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि आप अपने विचारों और जनता के प्रति समर्पित रहिए।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1515/बी0एस0/डी.सी.-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

मुझे पार्टी और संगठन ने यहां पर भेजा है, वहां से यहां भेजा और वहां से लोगों ने यहां भेज दिया। अगली बार हम वहां पर होंगे और आप पता नहीं कहां पर होंगे? यही मैं कहना चाहता हूं परंतु आपका कोई पता नहीं कि आप कहां पर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह सारी बातें यहां पर रखा चाहता हूं।

अध्यक्ष : आपकी सारी बातें आ चुकी हैं, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री विपिन सिंह परमार: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 25 मिनट बोला है तो मैं 23 मिनट अवश्य बोलूंगा।

अध्यक्ष : आपका सारा विषय ही 6 मिनट में आ गया है।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने सत्ता पक्ष को संतुष्ट करना है।

मुख्य मंत्री : हम संतुष्ट हो गए हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हमें जनता के प्रति बहुत लगाव है। आपने हिमकेयर योजना बंद कर दी है, कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, आप उसकी जांच करवाइए। आदरणीय कर्नल साहब अस्पतालों में आयुष्मान से भी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि आपका 90/10 प्रतिशत राशि भारत सरकार नहीं जा रही है। मैंने तो टांडा का हाल देखा है इसके साथ-साथ आई.जी.एम.सी. का हाल देखा है। आप मनरेगा की बड़ी-बड़ी डिंगे हांकते हैं कि हमने शुरू की और मोदी जी एवं केन्द्र सरकार ने उसे आगे रखा। आपदा के समय 1,100 करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत भेजा। परंतु जितनी गहराई से पंचायती राज के मंत्रालय द्वारा विभाग में काम होना चाहिए था वह काम नहीं हुआ। उस समय ही हजारों मकान और आज की तारीख में लगभग 93 हजार मकान पहुंचे। पिछले कल प्रश्न लगा था कि जिन लोगों ने प्राकृतिक आपदा या उससे पहले 2018 में जीरो टैगिंग करवाई थी, क्या वे लोग झोंपड़ी में रहते? उन्होंने पैसे की व्यवस्था की मकान बना लिया परंतु आपकी सरकार सवेंदनहीन है जिन लोगों ने मकान बना लिए क्या मुख्य मंत्री जी उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते? मैं कह सकता हूं कि जनता के प्रति हमारी

21.12.2024/1515/बी0एस0/डी.सी.-2

संवेदना कैसी है। मनरेगा में जो आपका शेयर जाना चाहिए, आयुष्मान योजना में जा आपका शेयर जाना चाहिए और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जो सरकार की ओर से पैसा जाना चाहिए वह नहीं गया। और तो और रेलवे की योजनाओं के लिए, मैं पढ़ रहा था कि भारत सरकार को भानूपली-बिलासपुर का जितना काम करना था उसमें से बहुत सा काम हो गया। परंतु आपको प्रदेश की ओर से शेयर जमा करवाना है उसे भी जमा नहीं करवा पा रहे हैं। आप एयपोर्ट की वाह-वाही लूटने की कोशिश करें और इसे बनाएं। उसमें हमें कुछ नहीं कहना। परंतु धरातल में जब यह सारी योजनाएं नहीं दिखेंगी तो ठीक नहीं होगा। आपका सपना तो बहुत ऊंचा है कि हम इस कांगड़ा को पर्यटन नगरी

के रूप और पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जिसकी अभी तक अधिसूचना ही जारी नहीं हुई। उसमें कितना बजट रखा गया है? उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। यहां पर आदरणीय चंद्र शेखर जी पर्यटन को ले करके बाते कह रहे थे कि मैं अपने सांसद को पूछना चाहता हूं? आप जिस शहर में बैठे हुए हैं, आप डहलौजी की तरफ चले जाइए, पूरे देश का पर्यटक यहां पर कम हो गया है, वह यहां पर नहीं आ रहा है। आप पर्यटन विभाग के अधिकारियों से आंकड़े ले सकते हैं और वे आंकड़े आपको दे देंगे। विदेशी पर्यटक मैकलोड़गंज में घूमता था, रशियन टूरिस्ट, जर्मन का टूरिस्ट और इटली का टूरिस्ट दिखाई देता था परंतु आप वह गुम हो गया है और यहां पर 10 साल पुराने जो होटल बने थे वे ज्यादातर एन.पी.ए. में आ गए हैं। उनकी सूची भी मैं आपको दे दूंगा। एक तरफ तो आप जमीनों के अतिक्रमण को अधिकृत करने की बात कर रहे हैं और यहां पर जो बाहर का पर्यटक आता है।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप बजट की भाषा बोल रहे हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : मुख्य मंत्री जी यह बजट की भाषा है, प्रधान मंत्री जी ने जो दिया है, अगर आप बिलासपुर के एक्स की बात न करें और आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद न करें, तो यह ठीक नहीं है, वह कहां से आया?

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

21.12.2024/1520/डीटी/एचके-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी

अगर आप बिलासपुर में स्थापित एम्स के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद न करें तो क्या कर सकते हैं, पर आप ये बताइये की एम्स को बिलासपुर में किसके द्वारा स्थापित करवाया गया? मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से मिलने वाली जो कुल ग्रांट है वह 23413 करोड़ रुपये के लगभग बनती है और यह बात मैं रिकार्ड में भी ला रहा हूं। बिलासपुर के एम्स के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का

और श्री अनुराम ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि आज इस एम्स ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 1471 करोड़ रुपये की लागत से बना यह एम्स और इसमें अधिकतर विभागों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस बात के लिए तो आपको कम-से-कम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना ही चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी धर्मपत्नि श्रीमती कमलेश कुमारी जी देहरा से विधायिका चुनी गईं, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बधाई दी थी। जब देहरा में चुनाव हो रहा था तो आप अपनी विचारधार के साथ चुनाव लड़ रहे थे और हम अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड रहे थे। जीत आपकी पार्टी की हो गई लेकिन देहरा के लिए जो सुनहरा उपहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है उस उपहार को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रधान मंत्री जी की ही देन है। इस विश्वविद्यालय के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रबंधन उन्होंने किया। कितना काम वहां पर करवा दिया गया है। राज्य सरकार अगर 30 करोड़ रुपये धर्मशाला के लिए देगी तो लोग आपकी सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। 18 दिसम्बर को भाजपा के द्वारा रैली की गई थी उसमें जो लोग आए थे वह कह रहे थे कि जो ये 30 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब है यह वर्ष 2027 में हम चुकता करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप छोटी-छोटी बातों में मत उलझिए। यह निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। हाइड्रो इंजनियरिंग कॉलेज ने भी बिलासपुर में काम करना शुरू कर दिया है। हमीरपुर की दो-सड़का में लगभग 4000 करोड़ की 15 एन0एच0 परियोजनाएं का उद्घाटन व शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा कर दिया गया है। मैं रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। जो इस प्रस्ताव के मुवर हैं उन्होंने प्रधान मंत्री जी का कोई उल्लेख नहीं किया और प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में तो कई आपदाएं हैं। कहीं

21.12.2024/1520/डीटी/एचके-2

प्राकृतिक आपदा है और कहीं कर्मचारियों और पैशनर्ज को समय में तनख्वाह नहीं मिलती, उस प्रकार की आपदा है, मुख्य मंत्री परिवार तो आपको ही संभालना है। श्री चंद्र शेखर जी मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वविद्यालय के समय से जानता हूं लेकिन आपका तो अभी राजनैतिक जीवन बड़ा लंबा है। एक बात मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई आपदा नहीं है, आपदा आपके बीच में ही है, वह आपके सामने कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और हैं। इसलिए आपके परिवार में बहुत सी ऐसी आपदाएं हैं। प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजिज चल रहे हैं पहले ये किस हालत में थे? चम्बा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्य जी आप भी गये थे उस कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़े थे और कांगड़ा संसदीय सीट से हमारे सांसद डॉ0 राजीव भारद्वाज भी उस कार्यक्रम में थे, मेडिकल की दृष्टि से वहां किस प्रकार का हस्पताल बनना चाहिए, इस प्रकार के सारे काम आज वहां पर हो रहे हैं। आई0आई0एम0 इस प्रदेश में खुल गया, मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश को मिल गया, तो इस प्रकार के ये सारे काम और नाबार्ड के इस साल में वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए

श्री एन.जी.द्वारा जारी

21-12-2024/1525/एच.के.-एन.जी./1

श्री विपिन सिंह परमार.....जारी

34490 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके लिए गारंटी और अन्य सभी पाट्र्स भारत सरकार द्वारा ही किए जाएंगे।...(व्यवधान) उप मुख्य मंत्री जी, मैं आपको पिछले दो वर्षों से देख रहा हूं और आप बिलकुल शांत मुद्रा में हैं। जब आप विपक्ष में बैठते थे तो बहुत बोलते थे। अब आपकी वह अदा और अंदाज खत्तम हो गया है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। श्री जय राम ठाकुर जी के समय में 132 करोड़ रुपये की लागत से एक यूनिटी मॉल बनाने का प्रस्ताव किया

गया था। उसके लिए जमीन का चयन भी हो चुका था। मुझे नहीं मालूम की उस प्रोजैक्ट को वर्तमान सरकार ने क्यों रोका हुआ है?...(व्यवधान) आप (उद्योग मंत्री) बल्क ड्रग पार्क के बारे में पता नहीं क्या-क्या कहते थे? ...(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से विभिन्न मदों में जो पैसा दिया जा रहा है उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी व केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। इस माननीय सदन में मांग करते रहेंगे और मुख्य मंत्री जी को खुश करते रहेंगे कि घुटनों के बल चलते थे, अब हिमाचल प्रदेश को टांगों के बल खड़ा कर दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि मालूम नहीं ये टांगें कब टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएं या मुख्य मंत्री जी लंगड़ी खाकर कहां पर जा कर गिर जाएं? (मजाकिया लहजे में कहा गया) हम तो इनके शुभ चिंतक हैं लेकिन आप (सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर देखते हुए) ही कुछ गड़बड़ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत के लिए 1782 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने दिनांक 31-03-2024 तक उनमें से 140 रुपये खर्च नहीं किए थे। यह आरोप आपके सचिवालय के नेताओं ने ही लगाए हैं और आपने उस पर अभी तक कोई भी स्पष्टिकरण नहीं दिया है।

21-12-2024/1525/एच.के.-एन.जी./2

उसके बाद भी आप प्रस्ताव डाल रहे हैं कि कुछ और पैसा भेजिए। यही नहीं जनता ने भी बाढ़ राहत के लिए 251 करोड़ रुपये दिए हैं लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाई। भारत सरकार आपको पैसा दे रही है, आपदा में लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं परंतु आप उस पैसे का सदुप्योग किसी भी सूरत में नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप केन्द्र सरकार का आभार प्रकट कीजिए। दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार बहुत उदार है। आप उनके पास जाइए और अपनी अच्छी भावनाओं को उनके समक्ष

रखिए। लेकिन आप लोग जब दिल्ली जाते हैं तो केन्द्रीय मंत्रियों का स्वागत हिमाचली टोपी व शॉल से करते हैं और शिमला पहुंचते ही आपके सुर बदल जाते हैं। यदि आप इस प्रकार से सुर बदलेंगे तो वह गीत किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके सामने इन सारी बातों को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी (सत्ता पक्ष की ओर देखते हुए) गाड़ी अब उतराई में उतर रही है। आपकी सरकार को दो साल हो चुके हैं और पांचवे साल में तो शहनाई वादक भी आ जाते हैं। वे गीत बनाना भी शुरू कर देते हैं। चुनावों के समय में हमें भी टेलिफोन आते हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो हम आपके लिए गीत बना रहे हैं। अब तो लोगों ने भी हमसे व आपसे पूछना शुरू कर दिया है कि कौन सा गीत बनाएं, पुराने गीत तो बहुत हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सम्भल जाइए।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.224/1530/केएस/वाईके/1

श्री विपिन सिंह परमार जारी ---

और पर्यटन के नाम पर हिमाचल को बेचने की कवायद किसी सूरत में मत करिए। हिमाचल हमारा भी है, आपका भी है परंतु हम अपने आप को बहुत निर्भीक, बहुत बुलंद आवाज के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे तो लोगों ने तो आपको पूरे देश से निकाल दिया। यहां पर कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने हरियाणा में हिमाचल की बदनामी कर दी। अरे भई, नेता हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, हमने बुराई थोड़े ही की। अगर वहां पर श्री जय राम ठाकुर जी गए, अनुराग जी गए, डॉ0 राजीव बिन्दल जी गए, कार्यकर्ता गए तो उन्होंने कहा कि गारंटियों से बचकर रहना। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कंगाल बना दिया है। हरियाणा वालों ने कहा कि ठीक है, कंगाल बनाया तो हम तो कंगाल नहीं बनना चाहते। उन्होंने इतिहास बदल दिया। बदलने वाले कोई और नहीं होते। यहां पर कुछ लोगों के प्रभाव के कारण शायद हम पीछे रह गए। महाराष्ट्र वालों ने तो कमाल कर दिया और अब देश ही कमाल करेगा। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद तो करो और चंद्र शेखर जी, आपकी अदा और अंदाज़, जब आप किसी दूसरे विचार के थे, उस चौक पर मैं आपको सुनता था, उस समय मैं विधायक बन गया था। लोग कहते थे कि यह चंद्र शेखर जी हैं। चंद्र शेखर की भावना उस विचार में हो सकती है परंतु व्यवहार में चंद्र शेखर बनिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यानी क्रांतिकारियों के नाम पर नाम रखने से कोई व्यवहार नहीं बदल सकता। यह मैं सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम नए-नए आते हैं तो नेता लोग भी कहते हैं कि तुम बोलो और कुछ लोग तालियां बजाते रहते हैं लेकिन मौके पर वे नेता पीछे हट जाते हैं और मार आप और मेरे जैसों को पड़ती है, यह ध्यान रखना। इसलिए सभी के साथ बनाकर चलिए। दौर बदलते रहते हैं और यह दौर भी बदलने वाला है जिसको बदलने वाले हम नहीं, आप ही होंगे। यहां पर जो छोटे भाई केवल सिंह पठानिया जी हैं, ऐसे-ऐसे लोग भी होंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

21.12.224/1530/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व तीसरी बार श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं,उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से अलग-अलग योजनाओं के लिए, पोषित योजनाओं के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी है। कमी रही है तो सरकार की तरफ से रही है। इसलिए केंद्र सरकार का अभिनंदन और प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और

नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करिए जिन नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा उदार दिल से चिंता की है। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।

21.12.224/1530/केएस/वाईके/3

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा का उत्तर देंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चर्चा का उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे लेकिन मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान) प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं होता? विपिन सिंह परमार जी, अब आप स्पीकर नहीं हैं, स्पीकर तो अब कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रस्ताव की भाषा को ले कर व्यवस्था दी, मैं उस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है परंतु भारत के संविधान के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि हमें जो आजादी मिली, जो संविधान मिला है, लोकतंत्र मिला है, वह कोई आसानी से नहीं मिला। सदियों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली और महान नेताओं, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाद के दिनों में पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर अगर युवाओं की बात करें तो उस समय के हमारे चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह आदि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं और तब जा कर यह देश आजाद हुआ, हमें संविधान मिला। डॉ0 भीमराव अम्बेदकर जी का भी संविधान को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई, ये कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के बारे में निंदा नहीं कर सकते। ये हमें कहते हैं कि हमें भाषा बदलनी पड़ेगी। यह हमारी कैसी स्वतंत्रता है, हमारा कैसा लोकतंत्र है ? क्या हम हिमाचल के जो इतने सारे साथी इस विधान सभा के अंदर बैठे हैं जो कि चुनकर आए हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.24/1535/av/वाईके/1

राजस्व मंत्री----- जारी

हिमाचल के इतने सारे मेरे निर्वाचित साथी जो यहां पर इस विधान सभा के अंदर बैठे हैं, क्या हम लोग नपुंसक हो चुके हैं? हम क्या केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते? ...(व्यवधान) सर, यह गलत बात है। आपने मुझे समय दिया है तो ये बीच में नहीं बोल सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत हमें आजादी है। हम जो भी बात करना चाहें यहां पर आजादी के साथ कह सकते हैं। वह चाहे केंद्र सरकार की पॉलिसीज के बारे में ही क्यों न हो। आप क्या हमारी भाषा बदल देंगे, वह भी इसलिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? वह सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। केंद्र सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी बातें की गईं कि टनल बनाई जाएगी और फलां-फलां बन जाएगा। ...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश जब आपदा से गुजर रहा था तो केंद्र द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया गया। ...(व्यवधान) क्या हिमाचल हिन्दुस्तान का राज्य नहीं है, क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या नरेन्द्र मोदी जी हमें ख़ैरात में दे रहे हैं? ...(व्यवधान) हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारा भी भारत के गणतंत्र में उतना ही हक है जितना कि महाराष्ट्र और हरियाणा का है। हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की जो हत्या करेंगे हम लोग उसका विरोध करेंगे और हम उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिए उसके बाद देखेंगे। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी अब खड़े हो गए हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता, इनको बोलने दीजिए। He is a Leader of the House. आप नेता प्रतिपक्ष हैं। ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर कोई भी सदस्य अपनी बात रख सकता है और यह इस सदन की गरिमा है। वैसे तो इसमें माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर देना था लेकिन मैंने कहा कि इसके बारे में मैं उत्तर देता हूं तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ प्वाइंट्स रखना

21.12.24/1535/av/वाईके/2

चाहता हूं। विपक्ष की सुनने की शक्ति भी कमजोर हो गई है। आप देख रहे हैं कि बीच में बार-बार खड़े होकर बात करते रहते हैं और हम फिर भी सहन करते हैं।

Speaker : Nothing is going on record except the statement of Hon'ble Chief Minister. No interruptions please. I have already said it even the protest is not going on the record. There was no cause for any protest.

मुख्य मंत्री : वे जब अपनी बात रख रहे थे तो उसकी दिशा ही कुछ और थी। ये लोग बार-बार कहते हैं कि यह हमने किया, वह हमने किया। हम कहते हैं कि अच्छी बात है अगर आपने किया। हम जिस प्रस्ताव को लेकर आए वह हिमाचल के हित से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था।

टी सी द्वारा जारी

21.12.2024/1540/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

इतिहास की सबसे बड़ी आपदा को हमने सहा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने सहा और अपने जीवन काल में ऐसी आपदा हमने पहली बार देखी। पूरा प्रदेश इस आपदा से पीड़ित था। उस दौरान आपदा और लैंड स्लाइड के कारण लगभग 551 लोगों की मौत हो चुकी थी। 14 अगस्त, 2024 के दिन इस आपदा के कारण तकरीबन 51 लोग हमको छोड़कर चले गए। हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य, अधिकारी और सभी जिलों के उपायुक्तों ने उस आपदा का एक युद्ध की तरह सामना किया। मैं और उप-मुख्य मंत्री जी उस दौरान कुल्लू में थे और सभी ने इस आपदा के दौरान अपना सहयोग दिया। इस आपदा के बाद केन्द्र

सरकार की टीम आई और उसके बाद हमने आंकलन किया। उसके तहत 9,905 करोड़ 77 लाख रुपये की प्रत्यक्ष क्षति हुई अगर इसके साथ अप्रत्यक्ष नुकसान को भी जोड़ दिया जाए तो यह 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। इस आपदा में 16568 पशुधन और 3500 घर पूर्णतयः नष्ट हो गए। 11 हजार घर आंशिक रूप से नष्ट हुए। 318 दुकानें, 238 श्रम शालिका, 540 पनचक्की तथा 06 हजार पशुशालाओं का नुकसान हुआ। हमारी सरकार और केन्द्र सरकार ने इस आपदा में हुए नुकसान का आंकलन किया और उसके बाद पिछले एक साल से हम केन्द्र सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। केन्द्र सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही है। केन्द्र सरकार जो हम से टैक्सिज लेती है उसका एक अंश हमको दे रही है। हमने विपक्ष के साथियों से कहा कि इस विषय पर चर्चा करके आपको भी साथ लेकर केन्द्र सरकार के पास चलते हैं। लेकिन ये जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं ये अपना रास्ता भटक चुके हैं क्योंकि यह चर्चा पी0डी0एन0ए0 पर हो रही है और ये बात कर रहे हैं एयरपोर्ट व माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी की भाषाशैली की। माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी ने आंकड़ों के साथ हर चीज प्रस्तुत की तो इनको तकलीफ हुई। इन्होंने कहा कि एम्ज और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जबकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये इन्हीं के समय में नहीं बने। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आई0जी0एम0सी0 बना था तो क्या मैं उसको गिना दूं। एम्ज भी डॉ0 मनमोहन जी की नीतियों के कारण ही बने हैं। पहले चार एम्ज बने

21.12.2024/1540/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उसके बाद 11 एम्ज बने और उसके बाद पूरे भारत में एम्ज बनते गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दी? डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की जबकि उस समय माननीय धूमल जी की सरकार थी। जब पी0 चिदम्बरम जी रिज पर आए थे तो उन्होंने वहां आई0आई0टी0,मण्डी की घोषणा की और तीन मेडिकल कॉलेज - चम्बा व नाहन मेडिकल कॉलेज की घोषणा की तथा तीसरे हमीरपुर कॉलेज की के लिए यूनियन कैबिनेट

ने रूल्ज में रिलैक्सेशन देकर 02 मार्च, 2014 को स्वीकृत किया। इन सभी मेडिकल कॉलेज के लिए 190 करोड़ रुपये आए लेकिन उसके बाद इन मेडिकल कॉलेज का जितना भी खर्चा हुआ वह राज्य सरकार द्वारा किया गया। इन चीजों पर चर्चा करने के बजाय यदि वे पी0डी0एन0ए0 पर चर्चा करते तो बहुत अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लड़ाई हर स्थिति में लड़ी जाती है। केरल, पंजाब, तमिलनाडू और कर्नाटक, ये सभी राज्य अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हमें भी हिमाचल के हित के लिए ठीक लगेगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि मैं इस बारे में बात कर लूं। हम अपने अधिकार केन्द्र सरकार से भी लेना जानते हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

21-12-2024/1545/एन0एस0-ए0जी0/1

मुख्यमंत्री ------ जारी

हम अपने अधिकार केंद्र सरकार से भी लेना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने चलना है तो अच्छी बात है, वैसे भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यों के हित के लिए खड़ी नहीं होगी, हिमाचल की 70 लाख जनता के लिए खड़ी नहीं होगी, उस समय जब प्रदेश में प्रदेशवासी इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहे थे तब प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी विधान सभा का सत्र बुलाने की बात कर रही थी। विधान सभा का सत्र हुआ, चर्चा हुई और वॉकआउट करके चले गए। आज भी पी0डी0एन0ए0 में जब आर्थिक सहायता की बात आई तो उसमें वॉकआउट करके चले गए। अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि वॉकआउट को रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन हम इसको आने वाले समय में बताएंगे कि पी0डी0एन0ए0 की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक अबसेंट पाए गए। अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार का वर्ष 2020-21 में कुप्रबंधन देखिए और उस समय श्री जय राम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सहयोगी थे तो उस समय आर0डी0जी0 कितनी आई? उस समय 11,431 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 आई। वर्ष 2021-22 में 10,249

करोड़ रुपये आए, वर्ष 2022-23 में 9,377 करोड़ रुपये आए। यानी तीन वर्षों में आर0डी0जी0 तकरीबन 30,000 करोड़ रुपये आई। वर्ष 2023-24 में जब हमारी सरकार आई तो हमें 8,058 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 आ रही है। वर्ष 2024-25 में घट कर 6,258 करोड़ रुपये रह गई है। अगले वर्ष 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 रह जाएगी। 11,000 करोड़ रुपये से 8,000 करोड़ रुपये कम होते जा रहे हैं। विपक्ष तब भी सरकार नहीं चला पाए। इन्होंने शिक्षण संस्थान तब खोले जब चुनावों को आठ महीनों का समय रह गया था। आज उस पर भी विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आने वाले समय में केंद्र के नेताओं से मिलूंगा और हिमाचल के अधिकार पी0डी0एन0ए0 पर बात करूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार देता है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर लड़ेंगे कि पी0डी0एन0ए0 हिमाचल की जनता का अधिकार है। मुझे लगता है कि हम एक बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और उनसे मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि आपने राज्य

21-12-2024/1545/एन0एस0-ए0जी0/2

को मिलने वाले पी0डी0एन0ए0, जोकि संज्ञीय ढांचे में हमारा अधिकार है, को पिछले 18 महीनों से रोक कर रखा है।

" का वर्षा जब कृषि सुखाने,

समय चूकि पुनि का पछताने "

उस सहायता का क्या फायदा? हमने अपना 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया। 1.50 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलते हैं और हमने नीतिगत परिवर्तन और नियमों में बदलाव करके कैबिनेट के सभी सदस्यों ने इस राशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये किया। जब हमने 7 लाख रुपये दे दिए तो अब विपक्ष खुद कह रहा है कि दूसरी किस्त दे दो। पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं आपको नाम दूंगा कि आपने गलत दे दिया तो आप नाम दीजिए। वे नाम भी नहीं देते और कागज भी नहीं रखते हैं। जहां किसी

ने गलत किया होगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। माननीय चंद्र शेखर जी ने यहां पी0डी0एन0ए0 से संबंधित चर्चा लाई है तो मैं उस चर्चा के संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने नियम-130 के तहत यह प्रस्ताव लाया है और हिमाचल के हितों को देखकर प्रस्ताव लाया है। मेरे विधायक जागरूक हैं और अभी मुझे जब यह प्रस्ताव तैयार करना था तब मैंने पूछा कि यह प्रस्ताव किसने लाया है तो कहा गया कि श्री चंद्र शेखर जी ने यह प्रस्ताव लाया है। कैबिनेट के सभी माननीय सदस्यों और सभी माननीय विधायकों ने इस बात को अपनाया कि हमें इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर माननीय विपिन सिंह परमार जी ने भी अपने विचार रखे लेकिन इस तरह की वारदात करके कि आज क्लोजिंग है और आप वापिस जा रहे हो तो बड़े प्यार से उनको सुन रहे हैं। आप किसी को बोलने दीजिए फिर उसके बाद अपनी बात कीजिए। बोलने भी नहीं देंगे। मतलब काम भी नहीं करेंगे तो यह व्यवहार इनका है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ आंतरिक कलह की मार लग गई है और इस आंतरिक कलह में हम नहीं पड़ना चाहते।

आर0के0एस0 द्वारा जारी

21.12.2024/1550/RKS/एएस/-1

मुख्य मंत्री... जारी

हमारे पास सारी सूचनाएं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पी.डी.एन.ए. में हिमाचल की जनता का साथ देना चाहिए। यह केंद्र द्वारा भेजी गई टीम है लेकिन बी.जे.पी. वाले इसका साथ न देकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हिमाचल की जनता के साथ खड़ा न होकर ये क्या सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, इसका जवाब तो जनता ही देगी। यदि हमने हिमाचल की जनता की सेवा का बीड़ा उठाया है तो हम अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह समझते हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी इनको पहली साल से ही लग रहा है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं लेकिन इनके प्रयास फेल हो गए हैं।

मुख्य मंत्री : हम अपना दायित्व और जनता के प्रति जवाबदेही जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ न खड़ा होकर जो सिलसिला अपनाया है यह बड़ा दुःखद है। ये जनता के वोट से चुनकर विधायक बन गए हैं लेकिन जब ये जनता के अधिकारों के साथ खड़े नहीं होते तो इस बात का बहुत दु :ख होता है। अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन समाप्ति की ओर जा रहा है। हमें इस बात का खेद है कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा की उच्चतम परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर रहा है। हम पांच साल तक विपक्ष में रहे हैं । हमने कभी भी अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नहीं किया है। आप सदन संचालित करते हैं । आप पार्टियों से ऊपर है। आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें ये लोग नहीं आए। हमेशा यह हुआ है कि यहां से एक अच्छे माहौल में रवानगी होती है लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी की अगुवाई में उस परंपरा को भी तोड़ दिया गया है। आज विपक्षी दल बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। हम रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं कि 4 दिन के समय में जितना बिजनैस आपने करवाया है वह काबिले तारीफ है। इन 4 दिनों के भीतर ऐसे मौके आए जब इन्होंने नियम-67 में चर्चा मांगी और इसमें भी इनकी हालत ऐसी हुई

21.12.2024/1550/RKS/एएस/-2

कि इनसे सदन के भीतर नहीं बैठा जा रहा था। आपने इन्हें बोलने का पूरा समय दिया। भूमि सुधार के मसले में इन्होंने जो अपनी बात रखी है उसके दोहरे मापदंड हैं। ये कह रहे हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों को जमीन मिलनी चाहिए लेकिन इनको यह हिम्मत नहीं हो रही है कि जो रेग्यूलेशन मुख्य मंत्री जी लाए हैं हम उसके साथ है। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी में कहावत है कि 'नचना ता घुंड काहणु पाणा'। कहना है तो सीधी तरह कह दो कि

हम इस प्रस्ताव के साथ हैं। अगर नहीं है तो साफ कहिए कि हम इसके खिलाफ हैं। इनकी दोनों दिन किरकिरी हुई है। मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि हम 40 थे और अभी भी 40 ही हैं और ये ऐसे ही रोते रह जाएंगे। जब चुनाव आएंगे तो हम 3 साल बाद भी इनको सबक सीखाएंगे। केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है लेकिन यहां झूठ का आडंबर रचा जा रहा था। जितना यहां प्रकोप आया है उसके लिए जो मिलना चाहिए था उसके अनुसार हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। मुख्य मंत्री और हम सब लोग बार-बार दिल्ली जा रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि आप इन्हें दिल्ली जाने के लिए क्यों कहते हैं। आप हमारी पूरी कैबिनेट को दिल्ली लेकर जाओ।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

21.12.2024/1555/बी0एस0/ए एस-1

उप मुख्य मंत्री जारी...

इस कैबिनेट को दिल्ली ले करके जाइए, सारी कैबिनेट को दिल्ली ले करके जाइए। इन्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिमाचलियत के खिलाफ हैं। इन्होंने कोई हिमाचल प्रदेश के हित का काम नहीं किया है और जो आज इन्होंने किया है, उसकी हम निंदा करते हैं और मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को इसका नोटिस लेने चाहिए। इन्हें इस चीज का प्रस्ताव पास करवाना चाहिए और यह रिकार्ड में रहना चाहिए क्योंकि यह विधान सभा हमेशा-हमेशा के लिए रहेगी। इनका पता लगना चाहिए कि जब यहां पर विधान सभा चल रही थी और हिमाचल प्रदेश के हितों की बात हो रही थी तो ये नारे लगाते हुए बाहर जा रहे थे। इनका समोसे और मुर्गे से फायदा नहीं होने वाला है। यदि बात करनी है, तो यह बात करें कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन वालों का 9-10 हजार करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों घटाई गई है? हिमाचल प्रदेश के कर्ज में कैप क्यों लगाई गई है? हिमाचल प्रदेश में फोरन फंडिंग क्यों घटाई गई है? जो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों को फायदे देने वाले हैं उसकी बात

ये नहीं करेंगे। ये टॉयलेट की बात करेंगे, समोसे की बात करेंगे और मुर्गे की बात करेंगे। बाहर मुर्गे ले करके चले होते हैं और दिन में अपने चैम्बर्ज में मुर्गे खा रहे होते हैं ये इनकी हालत है। इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं और मैं चाहता हूं कि इसे रिकार्ड में लाया जाए ताकि किसी भी विधान सभा में विपक्ष ऐसी कार्यवाही न कर सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहा रहे हैं।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में घटना क्रम हुआ है यह बहुत दुःख है। आज सत्र का आखिरी दिन है और हमारी यह परंपरा है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सदन का समापन करते हैं। विपक्ष के नेता और सदन के नेता सबका धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। यहां पर चार दिन तक सुचारू रूप से हमारी विधान सभा चली है। परंतु माननीय जय राम और विपक्ष के नेताओं की जिस तरह से आज हमने बौखलाहट देखी यह बड़ा दुःख है। जैसा उप मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया कि इस विधान सभा की उच्च परंपराएं रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है। परंतु यह दूसरी घटना थी कि आदरणीय जय

21.12.2024/1555/बी0एस0/ए एस-2

राम ठाकुर जी या विपक्ष का कोई भी सदस्य सर्वदलीय बैठक में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है। बैठक में भाग लेना यह इस आसन के लिए मान-सम्मान होता है। मगर ये सारी पंरपराएं भूल चुके हैं। इस सदन में भारतीय जनता पार्टी दिशा हीन, मुद्दा हीन और क्या इश्यू ले करके आई कि समोसा, मुर्गा। क्या हिमाचल प्रदेश में ये इश्यूज हैं? आज इनके पास कोई इश्यूज नहीं हैं इसलिए ऐसे इश्यूज ढूंढ रहे हैं। आज यह सरकार मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। यह ठीक है कि आज हमारी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। इसका कारण यह है कि हमें केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। जब माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी का प्रस्ताव सदन में आया तो आदरणीय जय राम ठाकुर इस पर ऐतराज करने लग गए। आज इन्होंने इस प्रस्ताव में हां के साथ हां कभी नहीं मिलाई। आपको याद होगा कि पिछली साल केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद चाही थी और

मुख्य मंत्री जी -101 के अन्तर्गत संकल्प लाए थे। इन्होंने उसका भी समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये प्रदेश के हितैषी नहीं है। ये केवल और केवल राजनीति करने के लिए सदन में आते हैं। यह सदन जनता की आवाज का स्थान है मगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जय राम ठाकुर जी और भाजपा दल का आचरण सदन में निंदनीय रहा है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं और सदन से उम्मीद करूंगा कि हम इस प्रस्ताव को यहां से पास करें।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जय राम ठाकुर जी और भाजपा दल का जो आचरण सदन में रहा है वह निंदनीय है।

(निंदा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ।)

आदरणीय बिक्रम सिंह ठाकुर जी का नियम-130 के अन्तर्गत एक विषय था परंतु वे सदन में उपस्थित नहीं है और आदरणीय सुख राम चौधरी जी का नियम-61 के अन्तर्गत विषय लगा है और वे भी सदन में उपस्थित नहीं है। इसके अलावा श्री डी.एस. ठाकुर जी का नियम-61 के अन्तर्गत विषय लगा है और वे भी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इससे पहले कि नियम- 344 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य

21.12.2024/1555/बी0एस0/ए एस-3

मंत्री अपना प्रस्ताव यहां पर लाएं शून्य काल में 3-4 माननीय सदस्यों के कुछ विषय बचते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें रेज करवा दें? The matters will be read as raised तो उन माननीय सदस्यों को जिनके वे विषय हैं उसके मुतलिक सूचना आपको दे दी जाएगी और इस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई हो जाएगी। इस बात के लिए विधान सभा सचिवालय आपको आश्वस्त करता है।

अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव है उसे यहां पर प्रस्तुत करें।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

21.12.2024/1600/DC/DT-1

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2024 में निर्धारित सभा की न्यूनतम 35 बैठकों में से 8 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम, 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि सदन इस मत का है कि वर्ष 2024 में निर्धारित सभा की न्यूनतम 35 बैठकों में से 8 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम, 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब हम सत्र समापन की ओर जा रहे हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री जी अपनी बात रखें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 4 दिन के सत्र में यहां बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा हुई जहां पहली बार भ्रष्टाचार पर भी काम रोको प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को पहली बार इतिहास में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। जब भ्रष्टाचार की पोलें खुलने शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी रैली में व्यस्त थे। आपने अच्छी तरह सदन का संचालन किया और 14-15 के करीब इस सदन में बिल भी पारित किए। यह 4 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत फ्रूटफुल सत्र रहा है। मैं सभी विधायकगण, विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सत्र संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने जो शून्य काल और NeVA से इस सदन को जोड़ा यह भी एक इतिहास है। जब इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएंगे तो उनमें आपका

नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पुनः सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : इससे पहले की मैं सत्र की समाप्ति करूं मैं कुछ तथ्य इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री, मंत्रिमंडल और संसदीय कार्य मंत्री तथा

21.12.2024/1600/ DC/DT /-2

विधान सभा उपाध्यक्ष का आभारी हूं। नेता प्रतिपक्ष यहां उपस्थित नहीं है फिर भी मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस सत्र के दौरान दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 से 21 दिसम्बर, 2024 तक कुल 4 बैठकें आयोजित की गई। प्रथम दिन मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में NeVA का शुभारंभ किया गया। अब विधायिका के सभी कार्य ऑन-लाइन NeVA Applications द्वारा किए जाएंगे। मैं प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इसमें अपना पूर्णतः सहयोग दें। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से जो चर्चा हुई व सुझाव दिए गए उनके दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र में कुल 188 तारांकित तथा 55 अतारांकित सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

श्री एन.जी.द्वारा जारी

21-12-2024/1605/डी.सी.-एन.जी./1

अध्यक्ष.....जारी

धर्मशाला विधान सभा का शीतकालीन सत्र इसके लिए भी ऐतिहासिक रहा कि विधान सभा के माननीय सदस्य लम्बे समय से सदन में शून्य काल की मांग कर रहे थे। समय की उपलब्धता को देखते हुए शून्य काल की शुरूआत की गई जोकि धर्मशाला में स्थित विधान सभा के इस परिसर से की गई। जिसमें माननीय सदस्यों ने शून्य काल के

दौरान 26 विषयों को उजागर किया। इन 26 विषयों में से बहुत सारे विषयों पर माननीय मंत्रियों का इंटरवेंशन भी आया और कइयों पर आश्वासन भी दिए गए।

सत्र में नियम-61 के अन्तर्गत 2 विषय और नियम-62 के अन्तर्गत 3 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये। सत्र में दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित था जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत 3 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। जिसमें से एक संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा वापिस लिया गया और एक संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ तथा उस पर चर्चा आगामी सत्र में की जायेगी।

नियम-102 के अन्तर्गत एक सरकारी संकल्प भी सदन में पारित किया गया जिसे आगामी कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। नियम-130 के अन्तर्गत 2 विषय चर्चा हेतु निर्धारित थे जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा सार्थक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त 14 सरकारी विधेयकों को भी सभा में पुरःस्थापित एवं चर्चा उपरान्त पारित किये गए तथा लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 व 2020-2021 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विवरण भी सदन में प्रस्तुत किये गए।

21-12-2024/1605/डी.सी.-एन.जी./2

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 6 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। सभा की समितियों के 26 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-1) (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2) हिमाचल प्रदेश सरकार, भी सभा पटल पर रखे गये।

इस तरह से सदन की कार्यवाही 21 घण्टे 30 मिनट तक चली, जिसमें सत्तापक्ष 9 घण्टे 30 मिनट तथा प्रतिपक्ष ने 8 घण्टे 30 मिनट सार्थक चर्चा की और सदन की उत्पादकता 106 प्रतिशत रही, जोकि अपेक्षाओं से परे हैं। अभी लोकसभा व राज्यसभा का भी शीतकालीन सत्र चला था और उनकी उत्पादकता क्रमशः 55 व 40 प्रतिशत रही है। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय उप मुख्य मंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों व नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी व उनके सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाये। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा।

21-12-2024/1605/डी.सी.-एन.जी./3

मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया का भी धन्यवाद करता हूं। मैं उप मुख्य सचेतक, श्री केवल सिंह पठानिया का भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी मेरे कार्यों में सहयोग किया है। मैं माननीय सदन के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश के विषयों को सदन में उठाया।

मैं राज्य सरकार, विधान सभा, जिला प्रशासन कांगड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार करता हूं जिन्होंने दिन-रात कार्य कर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया।

श्रीमती के.एस. द्वारा.....जारी

21.12.24/1610/केएस/एचके/1

अध्यक्ष जारी .....

मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। मैं प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मिडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस व नये वर्ष की शुभकामनाएं। इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रगीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा में उपस्थित सभी राष्ट्रगीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

धर्मशाला - 176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक : 21 दिसम्बर, 2024 **सचिव।**